लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३९, १९६०/१८८१ (शक)

[२२ फरवरी से ४ मार्च १९६०/३ से १४ फाल्गुन १८८१ (शक)]

Second Lok Sabha

सत्यमेव जयते

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ३९ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची पृष्ठ

अंक १२—मंगलवार २३, फरवरी, १९६०/४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०१ से ३०५, ३०७, ३०८ और ३१० से ३१६. १०७१–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०९ और ३१७ से ३४४ . . १०९७–१११०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५४ से ३६९ और ३७१ से ३९१ . . १११०–२६

सभा पटल पर रखा गया पत्र ११२७

प्राक्कलन समिति—

तिहत्तरवां प्रतिवेदन ११२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के कामगरों द्वारा अचानक हड़ताल . . ११२७–२८

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तालीसवां प्रतिवेदन ११२८–२९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९५९–६० . . . ११२९—५९

दहेज निषेध विधेयक—

राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव . . ११६०—७१

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . ११७२–७३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ११७४—७८

अंक १३—बुद्धवार, २४ फरवरी, १९६०/५ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३५२ और ३५४ से ३६० . ११७९—१२०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, ३५३ और ३६१ से ३७२ . . १२०२—०८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ४२५ . . . १२०८—२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२२७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन १२२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई इस्पात कारखाने में दुर्घटना १२२८

विषय-सूची

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ के उत्तर की शुद्धि . . . १२२९

विनियोग विधेयक, १९६०—पुरःस्थापित १२२९

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये वक्तव्य. . . १२२९–३०

निर्यात तथा आयात नियंत्रण (संशोधन) विधेयक . . . १२३०—५०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . १२३०—४९

खंड १ से ५ . . . . . १२५०

पारित करने के लिये प्रस्ताव १२५०

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . १२५०—७१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १२७२—७५

अंक १४—गुरुवार, २५ फरवरी, १९६० / ६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ से ३७७, ३८०, ३८१ और ३८३ से ३८९ १२७७—१३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . १३०२—०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८, ३७९, ३८२ और ३९० से ४१० . १३०४—१५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६ से ४७४ . . . १३१५—३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३३८–३९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन १३३९

विनियोग विधेयक, १९६०—पारित . . . . १३३९—४१

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १३४१—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३६८—७२

अंक १५—शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६० ७, फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ से ४१६, ४१८, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२९, ४३०, ४३१, ४३३ और ४३४ . . . १३७३—१४००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . १४००—०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४११, ४१७, ४२०, ४२५, ४२६, ४२८, ४३२ और ४३५ से ४४८ . . . . १४०२—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७५ से ५०९ . . . १४१२—२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४२७–२८

विषय-सूची पृष्ठ

राष्ट्रपति से सन्देश १४२८

राज्य सभा से सन्देश १४२९

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . १४२९

लाभ पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—

पहला प्रतिवेदन १४२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

त्रिपुरा में जंगली चूहों के उपद्रव के कारण उत्पन्न स्थिति . . १४२९—३१

सभा का कार्य १४३१

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १४३१—५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन १४५२

भारत के राष्ट्रमंडल से अलग होने के बारे में संकल्प . . . १४५२—७८

कृषि अनुसंधान कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १४७८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १४७९—८४

अंक १६—सोमवार, २९ फरवरी, १९६०/१० फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४९ से ४५७, ४५९ से ४६६ और ४७१ . १४८५—१५०९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . १५०९—१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५८, ४६७ से ४७० और ४७२ से ४८४ १५११—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१० से ५५६ और ५५८ से ५६५ . . १५१९—४०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १५४०—४२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन १५४२

तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ के उत्तर की शुद्धि . . . १५४३

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १५४३—८६

सामान्य आय व्ययक, १९६०-६१—उपस्थापित . . . १५८६—१६०६

वित्त विधेयक, १९६०—पुरःस्थापित. १६०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६०७—१०

विषय-सूची पृष्ठ

अंक १७—मंगलवार, १ मार्च, १९६०/११ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४९३ . . . १६१३—३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९४ से ५२३ . . . . १६३५—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ६३२ . . . . १६५०—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६८०

सदस्य का निरोध और रिहाई १६८१

मुरादनगर में दूध इकट्ठा और ठंडा करने के केन्द्र में फर्श के बैठ जाने के बारे में वक्तव्य १६८१–८२

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १६८२—१७२१

अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९६०–६१ . . . . १७२१–५०

विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १७५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १७५४—५९

अंक १८—बुधवार, २ मार्च, १९६०/१२ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२४ से ५२९, ५३३, ५३४, ५३६ से ५३८ और ५४२ . . . . . १७६१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५३२, ५३५, ५३९ से ५४१ और ५४३ से ५६६ . . . . . १७८५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३३ से ६७९ . . . १७९८—१८१७

स्थगन प्रस्ताव—

पुनर्वास मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों की सेवाओं का खत्म किया जाना १८१७—२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८२०–२१

राज्य-सभा से सन्देश १८२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन १८२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में चावल तथा धान के मूल्यों में वृद्धि . १७२१–२२

आसाम के मिज़ो डिस्ट्रिक्ट में खाद्य की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . १८२२–२५

विषय-सूची।	पृष्ठ
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों से सहमति . . .	१८२५–२६
अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०–६१	१८२६—७२
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . .	१८७२—८३
दैनिक संक्षेपिका	१८८४—८९
अंक १९—गुरुवार, ३ मार्च, १९६० / १३ फाल्गुन, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७४ और ६०७ . .	१८९१—१९१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७५ से ६०६ और ६०८ . .	१९१३—२६
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६९१ और ६९३ से ७२० . .	१९२६—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९४१–४२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दंडकारण्य में ट्रेक्टरों के बेकार पड़े होने से कथित हानि . .	१९४३–४४
अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०-६१	१९४४—८६
सदस्य की गिरफ्तारी	१९५५
दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के बारे में प्रस्ताव . . .	१९८७—२००१
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में आधे घण्टे की चर्चा .	२००१—०६
दैनिक संक्षेपिका	२००७—१२
अंक २०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९६०/१४ फाल्गुन, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१० से ६१४, ६१६ से ६२०, ६२२ से ६२६, ६२८ और ६२९	२०१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०९, ६१५, ६२१, ६२७ और ६३० से ६४३	२०३७—४५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७२१ से ७६६	२०४५—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२०६८–६९
राज्य सभा से सन्देश	२०६९
भारतीय वस्तुओं की बिक्री (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	२०६९
सदस्यों की गिरफ्तारी	२०६९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दक्षिण रलवे पर गाड़ियों की टक्कर . . .	२०७०
सभा का कार्य	२०७०
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६०—पुरस्थापित . . .	२०७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें–रेलवे, १९५९–६० . . .	२०७१—७९

विषय-सूची

	पृष्ठ
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव	२०७६——६३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	२०६३–६४
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार अ० सिं० सहगल का) राय जानने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	२०६४–६५
पिछड़ी जातियां (धार्मिक संस्करण) विधेयक (श्री प्रकाश वीर शास्त्री का) विचार करने के लिये प्रस्ताव——अस्वीकृत . . .	२०६५——२१०६
पूर्त तथा धार्मिक——न्यास (संशोधन) विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन तथा नई धारा ७-क तथा ७-ख का रखा जाना) (श्री रामकृष्ण गुप्त का)	
——वापस लिया गया	२१०६——१६
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२१०६——१६
महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक (श्री पु० र० पटेल का) विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	२११६–२०
कार्य मंत्रणा समिति——	
उनचासवां प्रतिवेदन	२१२१
दैनिक संक्षेपिका	२११२——२७

नोटः——मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

गुरुवार, ३ मार्च, १९६०
१३ फाल्गुन, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

छुट्टी गये सदस्यों के प्रश्नों के बारे में

†अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नों के उत्तर दिये जायेंगे। श्रीमती इला पालचौधरी। अनुपस्थित।

मैं उन माननीय सदस्यों द्वारा जिन्होंने अनुपस्थिति की अनुमति के लिये आवेदन किया है, भेजे गये प्रश्नों के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा हूं। यदि वे कहीं से प्रश्न भेजते रहें तो मैं उन प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिये क्यों रखूं।

†श्री रघुनाथ सिंह : श्रीमन्, एक बात और है। कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो भारत से बाहर हैं। उनके नाम से केवल प्रश्न ही नहीं वरन् 'ध्यान दिलाने' की सूचनाएं भी आ रही हैं।

†अध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य छुट्टी पर हों तो उन प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिये नहीं रखा जायगा। उन्हें मौखिक उत्तर के लिये रखने का कोई अर्थ ही नहीं है। उन्हें अतारांकित प्रश्न माना जाना चाहिये। जहां तक देश के बाहर गये व्यक्तियों का संबंध है, उनके प्रश्नों को उनकी अनुपस्थिति की अवधि में कार्यसूची में रखा ही नहीं जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

400(Ai)LSD—1.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निर्वाचन याचिका

†*५६८. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में विधान सभा के निर्वाचन के विरुद्ध १९५२ में चौधरी बलबीर सिंह बनाम चौधरी अमर सिंह के नाम से दाखिल की गयी निर्वाचन याचिका का फैसला हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या फैसला किया गया है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) किस प्रकार की कार्यवाही की गयी अथवा की जाने वाली है ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) १९५५ में पंजाब विधान सभा के लिये चौधरी अमर सिंह के निर्वाचन के बारे में चौधरी बलबीर सिंह द्वारा दाखिल की गयी निर्वाचन याचिका जुलाई, १९५५ से विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) निर्वाचन याचिका के निबटारे में विलम्ब होने के कारण यह हैं :—

(१) तत्कालीन विधि के अनुसार इस याचिका का फैसला करने के लिये गठित निर्वाचन न्यायाधिकरण में तीन सदस्य हैं और मुकदमे की तारीखें उन सभी की सहूलियतों का ध्यान रखते हुए डालनी पड़ती हैं ;

(२) न्यायाधिकरण के सदस्यों में किये गये बाध्यतामूलक परिवर्तन ;

(३) साक्षियों की विशाल संख्या (८० से अधिक) और लिये जाने वाले साक्ष्य का स्वरूप।

(घ) निर्वाचन आयोग इसके निबटारे में शीघ्रता कराने के लिये अपनी शक्तिभर पूरा प्रयास कर रहा है। उसने न्यायाधिकरण के सभापति से जोर देकर कहा है कि याचिका के मुकदम में शीघ्रता करना वांछनीय होगा।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों को, जो इस याचिका में सह-प्रत्युत्तरदायी हैं और जिनके खिलाफ महत् भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाये गये हैं अनर्हत बनाने के संबंध में कारण बताने का नोटिस दिया गया था ?

†श्री अ० कु० सेन : यदि यह जानकारी चाहिये तो हम इसे निश्चय ही सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इसके लिये पृथक प्रश्न पूछा जाना चाहिये।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या यह भी सच है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने पंजाब उच्च न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ़ अपील की थी और उसे रद्द कर दिया गया था ?

मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : यह चौधरी बलबीर सिंह द्वारा पंजाब विधान सभा के लिये चौधरी अमर सिंह के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल की गयी निर्वाचन याचिका है। क्या निर्णय में यह भी कहा गया है कि मुख्य मंत्री को अनर्ह कर दिया जाय ?

†श्री अ० कु० सेन : हम से कहा गया है कि याचिका विचाराधीन है । कुछ अन्तःकालीन आदेश निर्णय के लिये विचाराधीन हैं और ये सभी न्यायाधीन हैं। मेरा सुझाव है कि इनके संबंध में पृथक प्रश्न पूछा जाय। लेकिन यदि किसी न्यायाधीन बात के बारे में प्रश्न पूछना हो तो उसे इस समय नहीं पूछा जाना चाहिये।

†श्री दी० चं० शर्मा : अब तक कितने साक्षियों के बयान लिये जा चुके हैं और कितनों के बयान लेना अभी शेष हैं ?

†श्री अ० कु० सेन : हमें साक्षियों की संख्या नहीं मालूम क्योंकि यह मुकदमा लड़ने वाले पक्षों पर निर्भर है। लेकिन अब तक जिन साक्षियों के बयान लिये जा चुके हैं उनकी संख्या ५० से ऊपर है। हो सकता है कि यह संख्या गलत हो। हमें निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं है।

†श्री पु० र० पटेल : यह १९५२ में दाखिल की गयी थी और अब भी न्यायाधीन है ? इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†श्री अ० कु० सेन : इसीलिये अब की बार हमने तीन सदस्यों वाले न्यायाधिकरण नहीं बनाये। देश भर में हमने केवल एक सदस्य वाले न्यायाधिकरण बनाये हैं। कुछ में एक सदस्य की मृत्यु अथवा सेवा-निवृत्ति के कारण निर्णय में विलम्ब हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ अन्तःकालीन आदेशों के खिलाफ अपीलें चलती रहने के कारण यह याचिकायें विचाराधीन रहीं हैं।

†अध्यक्ष महोदय : यदि इस निर्वचन याचिका में कोई व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाय तो उसकी क्या स्थिति होगी ?

†श्री अ० कु० सेन : मुझे खुद नहीं मालूम । मैं तो समझता हूं कि निर्णय बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। मेरा ख्याल है कि इन के संबंध में आगे कार्यवाही करने की कोई दूसरी ही वजह होगी।

†श्री त्यागी : आपके अच्छे से अच्छे प्रशंसकों के धैर्य की भी तो कोई सीमा होती है। यह १९५२ से चल रहा है। इतने दीर्घ एवं असाधारण विलम्ब के मंत्री महोदय ने जो कारण बताये हैं संसद् उनसे संतुष्ट नहीं हो सकती। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ ऐसे अधिकारियों के लिये, जो इसके संबंध में कार्यवाही कर रहे थे, पंजाब सरकार ने सेवा-निवृत्ति के तत्काल पश्चात् अन्य नौकरियों की व्यवस्था कर दी थी ?

†श्री अ० कु० सेन : हम स्वयं काफी संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिये....

†श्री त्यागी : तब आपने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री अ० कु० सेन : हम कुछ भी कार्यवाही नहीं कर सकते। निर्वाचन आयुक्त केवल इन न्यायाधिकरणों को लिख सकता है, और वह कुछ नहीं कर सकता। आखिर हम तो न्यायाधिकरण नहीं हैं और न निर्वाचन आयुक्त ही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : इन बातों को सहन नहीं किया जाना चाहिये । निर्वाचन न्यायाधिकरण एक ऐसा मंच है जिससे लोकतंत्र का भाग्य बंधा हुआ है । क्या अपवाद स्वरूप मामलों में मंत्री को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वह शीघ्रता कराने की दृष्टि से एक न्यायाधिरण को बर्खास्त कर दूसरे की नियुक्ति कर दे ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि न्यायाधिकरण की नियुक्ति राज्य सरकार के हाथ में हो और यदि मुकदमा राज्य सरकार के खिलाफ़ हो . . . .

†श्री अ० कु० सेन : नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हाथ में है ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि ये लोग कार्य न करें तो भी आयुक्त के पास इसका कोई इलाज नहीं है ? चाहे वह आठ या दस वर्ष तक इसी प्रकार चलते रहने दें तो भी निर्वाचन आयुक्त केवल वहां के लोगों की सहूलियतों का ही ध्यान रखता रहे ?

†श्री अ० कु० सेन : एक बार नियुक्ति हो जाने पर जब तक वह स्थान रिक्त न किया जाय, जब तक सदस्य की मृत्यु न हो अथवा वह सेवा-निवृत्ति न हो जाय, तब तक उसकी बर्खास्तगी का कोई सवाल ही नहीं है । निर्वाचन आयुक्त को यह अधिकार नहीं है । वह सिर्फ़ अधिकरण को बार बार पत्र लिख सकते हैं । इस मामले में यह हुआ कि दुर्भाग्यवश न्यायाधिकरण के सदस्यों में तीन बार परिवर्त्तन करने पड़े ।

†श्री त्यागी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अफ़सर राज्य की नौकरी में था, और जिला जज की हैसियत से रिटायर होते ही राज्य ने उसे दूसरी नौकरी दे दी थी ?

†श्री अ० कु० सेन : इसमें किसी एक अधिकारी की बात नहीं है । इस से कोई अधिकारी संबंधित थे । मैं उनके नाम बता दूं । पहले होशियारपुर के जिला व सेशन जज श्री मनोहर सिंह बक्शी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे । बाद में उनके खिलाफ़ यह आरोप लगाया गया कि वे याचिका के एक प्रत्युत्तरदायी के निकट सहयोगी हैं । इसके फलस्वरूप श्री बक्शी ने स्वयं इस याचिका का फैसला करने में अनिच्छा प्रगट की । इसके पश्चात् उनके स्थान पर लुधियाना के अतिरिक्त जिला व सेशन जज श्री कर्तार सिंह चड्ढा को न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ।

२२ नवम्बर, १९५५ को अन्य दोनों सदस्य, अर्थात् एक अवकाश-प्राप्त जिला व सेशन जज श्री महाराज किशोर व एक वकील श्री महेन्द्र सिंह पन्नुन नियुक्त किये गये और न्यायाधिकरण ने याचिका का मुकदमा शुरू किया । मई, १९५६ में श्री महाराज किशोर को पुनर्वास मंत्रालय में स्पेशल जुडीशियल अफसर नियुक्त किया गया जिसके फलस्वरूप उन्होंने पदत्याग कर दिया । इसलिये उन के रिक्त स्थान को पूर्त्ति के लिये लुधियाना के अतिरिक्त जिला व सेशन जज श्री बद्री प्रसाद पुरी को नियुक्त किया गया ।

अब यह होता है कि यह दूसरे सज्जन श्री महेन्द्र सिंह पन्नुन पंजाब सरकार के सहायक एडवोकेट जनरल नियुक्त किये जाते हैं । मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट किया गया और इस पर इनसे पदत्याग कर देने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह सोचा गया कि पंजाब सरकार के सहायक एडवोकेट जनरल होने के नाते उनका ऐसे न्यायाधिकरण से संबंध नहीं होना चाहिये जो पंजाब सरकार में कुछ उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ़ लगाये गये आरोपों का फैसला कर रहा हो । इस पर उन्होंने अक्तूबर, १९५६ में पदत्याग कर दिया । नवम्बर, १९५६ में

---

†मूल अंग्रेजी में

इलाहाबाद के एडवोकेट श्री डी० डी० सेठ को इस पदत्याग के कारण रिक्त हुए स्थान पर नियुक्त किया गया। अब इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष थे श्री कर्तार सिंह चड्ढा और सदस्य थे श्री बद्रीप्रसाद पुरी व इलाहाबाद के श्री डी० डी० सेठ।

२६ अक्तूबर, १९५७ को इस न्यायाधिकरण ने धारा ९९ के अधीन बहुमत से कुछ प्रश्नों का फैसला किया। उसके खिलाफ़ उच्च न्यायालय में अपील की गयी और अपील की अर्जियां ग्राह्य कर ली गयीं व उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। ७ अक्तूबर, १९५८ को उच्च न्यायालय ने लेख-आदेश याचिकायें खारिज कर दीं और कार्यवाही रोकने का आदेश भी रद्द कर दिया गया।

अभिलेख ३ जनवरी, १९५९ को न्यायाधिकरण के पास लौटे और उसके बाद तीन अवसरों पर सुनवायी स्थगित करनी पड़ी क्योंकि न्यायाधिकरण के एक अथवा दूसरे सदस्य अपने स्वास्थ्य अथवा अन्य कारणों से बैठकों में अनुपस्थित रहे। हम क्या कर सकते हैं।

†**एक माननीय सदस्य**: यह कब चलेगा?

†**श्री अ० कु० सेन**: अक्तूबर १९५८ तक कार्यवाही उच्च न्यायालय ने रोक दी थीं; अक्तूबर, १९५८ के बाद अभिलेख जनवरी १९५९ में वापस लौटें। तीन बार न्यायाधिकरण की बैठक स्थगित करनी पड़ी—इसके तीन सदस्य थे—और एक सदस्य अपने स्वास्थ्य के कारण अथवा अन्यथा उसकी बैठकों में नहीं आ सके और इसके फलस्वरूप कार्यवाही नहीं हो सकी। और इसके बाद से कार्यवाही नियमित रूप से चल रही है।

यह ठीक है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अध्यक्ष के पास असंख्य स्मरण-पत्र भेजे हैं जिनमें यह कहा गया है कि इसमें यथासंभव शीघ्रता की जानी चाहिये। जहां तक मेरा ख्याल है इसमें प्रश्न इस चुनाव का नहीं है। इसका कोई विवाद नहीं है और हमारे यहां एक और चुनाव हो चुके हैं। निश्चय ही कुछ अन्य विवाद हैं—मुख्यतः कुछ प्रत्युत्तरदाताओं के खिलाफ़ भ्रष्ट आचारण के आरोप हैं जो मेरे ख्याल से विवाद के मुख्य प्रश्न हैं। इसीलिये, इसका फैसला सभी उपलब्ध साक्षियों की जांच के बाद उचित रूप से किया जाना चाहिये और इस समय यही काम चल रहा है।

वेतन नामावलि बचत योजना

†*५९९. { †**श्री स० चं० सामन्त**:
श्री सुबोध हंसदा:
श्री रा० च० माझी:
श्री अरविन्द घोषाल: }

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेतन नामावलि बचत योजना देश के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो यह कैसी चल रही है; और

(ग) क्या यह योजना मद्रास भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा सुझायी गयी योजना के अनुसार काम कर रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). वेतन नामावलि बचत योजना देश के कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू कर दी गयी है। इस योजना को अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू करने के लिये मालिकों और कर्मचारियों के सहयोग से कार्यवाही की जा रही है।

(ग) योजना के कार्य-करण में सम्मेलन के सुझावों को सथासंभव अपना लिया गया है।

†श्री स० चं० सामन्त : सम्मेलन ने यह विचार प्रगट किया था कि संग्रह केवल सरकारी अभिकरण द्वारा ही किया जाना चाहिये और रुपया मालिक के पास जमा नहीं किया जाना चाहिये। क्या यह काम किया गया है?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मजूरी भुगतान अधिनियम के अधीन मजूरी में से स्रोत पर कटौती करने की जिम्मेदारी मालिकों के अभिकरण को सौंपी गयी है और वही इसे जमा कर रहे हैं।

†श्री स० चं० सामन्त : उपमंत्री महोदया ने कहा है कि कई संस्थापनों ने यह योजना आरम्भ कर दी है। क्या वहां नियमित रूप से पर्चों, फोल्डरों, पोस्टरों आदि का वितरण किया जाता है?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जी हां, इसे प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक संभव कार्यवाही की जा रही है?

†श्री अरविन्द घोषाल : इसे किन किन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू किया गया है? क्या यह ऐच्छिक योजना है?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की, जिनमें इसे लागू किया गया है, संख्या काफ़ी ज्यादा है। मैं इन सभी के नाम तो नहीं बता सकती, परन्तु उन लोगों की संख्या अवश्य बता सकती हूं जो इसके सदस्य हैं—यह ६८,७३२ हैं। स्वाभाविक रूप से ही यह ऐच्छिक है क्योंकि इसे कर्मचारियों की रजामन्दी से ही लागू किया जा रहा है।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : कोयम्बटूर की कपड़ा मिलों में यह योजना कैसी चल रही है, और क्या इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कोशिश तो इसे देश में काम करने वाले प्राय : सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू करने की की जा रही है। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि कोयम्बटूर की कुछ फैक्ट्रियों में यह योजना किस ढंग से कार्य कर रही है।

†श्री वामानी : इस योजना के आरम्भ से उन्होंने अब तक कितनी रक़म जमा कर ली है?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : १९५९ के दिसम्बर के अन्त में जमा हुई रक़म १५,८७,०३७ रुपये थी।

†श्री तंगामणि : मद्रास के भारतीय श्रम सम्मेलन में जिस योजना का सुझाव दिया गया था क्या उसे उस सम्मेलन ने स्वीकार नहीं किया था, और यदि हां, तो क्या मंत्रालय किसी रूपभेदित योजना पर विचार करेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमारा संबंध उस सम्मेलन की कार्यावलि के साथ नहीं, उस के निर्णयों के साथ है। प्रायः सभी मामलों में निर्णय किये गये हैं और एक निर्णय यह था कि मालिकों को जो १ प्रतिशत सेवा प्रभार दिया जाता है उस का उपयोग इस वेतन नामावली बचत योजना में होने वाले संग्रह के वास्तविक व्यय के लिये किया जाये और यदि कुछ धन बचे तो उस का उपयोग मजदूरों के लिये किया जाये।

†श्री तंगामणि : प्रश्न का भाग (ग) यह है कि क्या यह योजना मद्रास के भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा सुझायी गयी योजना के अनुसार काम कर रही है। वहां यह योजना सुझायी गयी थी। हम जानना चाहते हैं कि क्या सम्मेलन ने यह योजना मंजूर कर ली थी और यदि हां, तो क्या रूपभेद सुझाये गये थे ? क्या आकर्षण बढ़ाने के लिये मंत्रालय उन रूपभेदों को स्वीकार कर लेगा ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं बार-बार बता चुकी हूं कि प्रायः सभी निर्णयों को यथासंभव लागू कर दिया गया है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार एक प्रतिशत का जो संग्रह-प्रभार दिया जाता है वह श्रमिकों में बांट दिया जायेगा या संग्रह के बाद मालिकान उस राशि को अपने अधिकार में ले लेंगे।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं पहले बता चुकी हूं कि यह निर्णय किया जा चुका है कि परिकल्पित योजना के अनुसार मालिकों से यह आशा की जाती है कि वे इस रकम का उपयोग या तो संग्रह का खर्च पूरा करने में या कर्मचारियों के सामान्य कल्याण के लिये करेंगे।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

+

†*५७०. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मुरारका :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, इस्पात संयंत्र में दोषपूर्ण पट्टेदार बुनियादों के मामले की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति द्वारा बताई गई बातों पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन चीजों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या सावधानी बरती जायेगी ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने समिति द्वारा बताई गई बातों की पूरी तरह से जांच नहीं की है। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ही पट्टेदार बुनियादों के बारे में अनौपचारिक रूप से कुछ महत्व सिफारिशों की सूचना

†मूल अंग्रजी में

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को दे दी थी और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये काफी कुछ किया गया है ।

परामर्शदाताओं के अधीन भारतीय इंजीनियरों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि काम की निगरानी और अच्छी तरह से हो सके ।

†श्री स० चं० सामन्त : १ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८५ के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड समिति द्वारा बताई गई बातों की जांच कर रहा है। उस जांच का क्या परिणाम हुआ है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं सभा को बता चुका हूं कि इस्कान (इंडियन स्टील वर्क्स कान्सट्रक्शन) दस साल की अवधि तक अपने ही खर्चे पर सब कुछ ठीक-ठीक कराने तथा छेददार चट्टों की बुनियादों के बैठ जाने के कारण होने वाले किसी नुकसान की पूर्ति करने के लिये सहमत हो गया है । अब उनके विचार में नीवें सुरक्षित हैं । समिति द्वारा बताई गई बातों का यह सब से महत्वपूर्ण परिणाम निकला ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या समझौते में यह लिखा गया था कि इन नुक्सानों के लिये वे उत्तरदायी ठहराये जायेंगे ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे पता नहीं कि ऐसा लिखा हुआ था किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह लिखा जाय क्योंकि किसी भी ठेके में इस प्रकार की बात पैदा होती है तो इस कमी के लिये जो पक्ष उत्तरदायी होता है वही सामान्य कानून के अन्तर्गत नुकसान के लिये उत्तरदायी होता है ।

†श्री वी० चं० शर्मा : समिति ने उपचार संबंधी कौन-कौन से उपाय बताये हैं; वे उपाय इस से संबंधित हैं कि जो निर्माण कार्य किया जाय उस की निगरानी रखी जाये अथवा इस से संबंधित हैं कि निर्माण कार्य में जो सामान लगाया जाता है उस का विशेष ध्यान रखा जाये; यदि हां, तो नीवें बनाने से पूर्व इन सब बातों की ओर पर्याप्त ध्यान क्यों नहीं दिया गया ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : उपचार संबंधी जो विशेष उपाय बताया गया है वह यह है कि जिन स्थानों पर चट्टे बहुत ज्यादा गहरे नहीं लगाये गये हों, वहां जगह जगह पर "अंडर पिनिंग" किया जाये । "अंडर पिनिंग" का अर्थ यह है कि ऐसे स्थानों पर मजबूती की और व्यवस्था की जाये । यह उन्हों ने अपने खर्चे पर किया है ; माननीय सदस्य ने जो निगरानी का सुझाव दिया है उस के लिये कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है और अब निगरानी अधिक ठीक ढंग से हो रही है ।

†श्री मुरारका : अभी माननीय मंत्री ने बताया कि प्रतिवेदन का ठोस परिणाम यह हुआ कि उन्हें दस वर्ष तक की गारंटी मिल गई । यह देखते हुए कि समवाय की परिदत्त पूंजी केवल १०० पौंड है सरकार यह स्थिति कैसे बनाये रख सकती है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इस समूह के सदस्य ही स्वयं गारन्टी की शर्तें पूरी करेंगे ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या समिति के परामर्शदाताओं ने कोई दण्ड लेने का सुझाव दिया था, यदि नहीं तो इस का क्या कारण है ?

†अध्यक्ष महोदय : दोषपूर्ण काम के लिये ?

---

†मूल अंग्रजी में

†श्री विद्याचरण शुक्ल : हां, श्रीमान् ।

†सरदार स्वर्ण सिंह : इस दृष्टिकोण से उन के काम की जांच करना समिति को उचित नहीं होगा। दण्ड के संबंध में मैं यह समझता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जो ठेके से संबंधित है । यह प्रविधिक समिति है, इस का मुख्य उत्तरदायित्व यह अनुमान लगाना था कि टेक्निकल दोष क्या क्या थे और क्या करना चाहिये। जहां तक दण्ड तथा अन्य बातों का संबंध है, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का ध्यान उस ओर दिलाया जा रहा है और भुगतान करते समय उन बातों का ध्यान रखा जायेगा। वस्तुत: अब भी जब कभी भुगतान किया जाता है वहां एक खण्ड जोड़ दिया जाता है कि उस संबंध में जो अन्तिम निर्णय किया जायेगा उसी के अनुसार भुगातन किया जायेगा ।

†श्री स० मो० बनर्जी : समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं वास्तविक तथा संगठनात्मक दोनों प्रकार की कुछ सिफारिशों के बारे में बता चुका हूं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : वे सामान्य रूप से बताई गई थीं ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री को उन्हें सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जब उन की परीक्षा की जा रही है तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि उस से हमारे ठेके के संबंध बिगड़ते हैं और यह हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के हित में नहीं है कि अन्तिम निर्णय होने से पूर्व हम उन्हें यहां रखें ।

†श्री जाधव : क्या निर्माण कार्य और निगरानी का काम एक ही सार्थ द्वारा किया जा रहा था ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं, श्रीमान् ।

†श्री दामानी : दोषपूर्ण चट्टेदार नीवों से उत्पादन पर क्या असर पड़ा है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : भाग्य से उत्पादन पर असर नहीं पड़ा है। कोक भट्टी तथा लपट वाली भट्टी में लगभग निश्चित कार्यक्रम के अनुसार ही उत्पादन होना आरम्भ हो गया है और सभा को यह बताते हुए मुझे हर्ष है कि लपट वाली भट्टी में बड़ा ही अच्छा काम चल रहा है ।

†श्री स० मो० बनर्जी: माननीय मंत्री ने कहा कि "भाग्य से उत्पादन पर असर नहीं पड़ा है।" मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने 'भाग्य से' शब्दों का प्रयोग क्यों किया और क्या उस पर वाकई असर पड़ने वाला था । वास्तविक रिपोर्ट क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : हम इतना स्वयं समझ सकते हैं ?

†श्री सूपकार : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को निर्णय करने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है ? १ दिसम्बर, १९५९ को भी यही उत्तर दिया गया था। तब से लगभग चार महीने बीत चुके हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट पर अभी तक अन्तिम निर्णय क्यों नहीं किया गया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह कहना ठीक नहीं है कि कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है तथा कोई भी निर्णय नहीं किया गया है। मैं ने बार बार कई बातें बताई हैं, जिन के बारे में निर्णय ले लिया गया है तथा उपयुक्त कार्यवाही की गई है। यह राष्ट्रीय हित में है कि जब तक सारे पहलुओं की पूरी तरह से जांच नहीं कर ली जाती, तब तक इस मामले को समाप्त न किया जाये। सावधानी के तौर पर,

---

†मूल अंग्रजी में

अतिरिक्त गारंटी के तौर पर तथा अतिरिक्त शारीरिक परिश्रम के तौर पर जो कुछ भी करना आवश्यक है, वह किया गया है अथवा किया जा रहा है। किन्तु जब तक सारी बात तनिक और स्पष्ट रूप से हमें मालूम नहीं होती, तब तक इस मामले को बन्द करना ठीक नहीं है।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय मंत्री ने बताया कि हिन्दुस्तान स्टीक लिमिटेड परामर्शदाताओं को दण्ड देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। यह परीक्षा किस अवस्था में है तथा कब तक यह पूरी हो जायेगी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नें यह नहीं कहा कि वे दण्ड देने की बात सोच रहे हैं। मैं ने केवल इतना कहा था कि दण्ड दिया जाये अथवा नहीं अथवा क्या यह दण्ड देने लायक मामला है, ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, ठेकेदारों तथा परामर्शदाताओं के बीच हमेशा विचार किया जाता रहा है तथा उन की बात चीत को दृष्टि में रखते हुए तथा ठेके की किसी शर्त के उल्लंघन पर ही इस बात का निश्चय किया जा सकेगा कि क्या कार्यवाही की जाये।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

+

*५७१. श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री पांगरकर :
श्री हाल्दर :
श्री हेम बरूआ :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य, खर्च और बच्चों के प्रशिक्षण कार्य में अब तक की गयी प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट पटल पर रखी जायेगी; और

(ख) १९६०-६१ में इस योजना के विकास का कार्यक्रम क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया।)

†श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह योजना बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई है और सन् १९५८-५९ के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे अभी उन से भी अधिक

†मूल अंग्रेजी में

सफलता इसे प्राप्त हो चुकी है । अतः, मैं जानना चाहता हूं कि सारे देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विद्यालय में इसे चलाने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : तीसरी पंचवर्षीय योजना में यदि धनराशि उपलब्ध हो गयी तो हमें आशा है कि इस काम को ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि युवकों के और छात्रों के अनुशासन के लिए और शारीरिक विकास के लिए जितनी भी योजनाएं इस समय इस देश में चल रही हैं उन में यह योजना सब से कम खर्चीली है ? और इसलिए क्या गवर्नमेंट यह विचार कर रही है कि उन सब का सामंजस्य करके सब को इसी में मिला दिया जाय, या एक और नई योजना इसी तरह की चालू की जाय ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं यह तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह योजना सब से कम खर्चीली है । शिक्षा के काम के लिए तो खर्चा करना होता है, बिना खर्चे के अच्छा काम नहीं हो सकता । लेकिन माननीय सदस्य को मालूम है कि एक कमेटी नियुक्त की गयी है जो यह जांच कर रही है कि इन सब योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा कोआर्डिनेशन किस प्रकार से हो सके ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को देखते हुए कि स्कूलों में ही अनुशासनहीनता के कारण हड़ताल की जाती है, क्या सरकार ने इसका अनुमान लगा लिया है कि जिन राज्यों में यह योजना चल रही है, वहां इस का अब तक क्या परिणाम निकला है और क्या सरकार उससे संतुष्ट है ? यदि वह इस से संतुष्ट है तो क्या सरकार इस योजना को अन्य राज्यों में विशेष रूप से आसाम जैसे सीमान्त राज्यों में लागू करना चाहती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया था । राष्ट्रीय अनुशासन योजना सहित सभी योजनाओं की, जो इस समय चल रही हैं, जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है और इस विषय में कोई और कार्यवाही करने से पूर्व हमें इस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** योजना को धन की कमी के कारण धक्का नहीं पहुंचा है । वस्तुतः हमारे समक्ष जो विवरण है उसके अनुसार इसमें एक बहुत बड़ी कमी है । जैसा कि इस में बताया गया है, उपयुक्त शिक्षकों की कमी थी । वर्ष १९५८-५९ में शिक्षकों को प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया गया और क्या कार्यक्रम बनाया गया है ? कितने शिक्षकों की आवश्यकता है तथा कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विवरण में इस कमी के कारण भी बताये गये हैं जो इस प्रकार हैं : शिक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सके; देश के विभिन्न भागों में एक साथ शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर चालू करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल सका और राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों में योजना चालू करने में देरी की । अतः इसका केवल एक ही कारण नहीं है । व्यय में कमी के तीन कारण हैं । माननीय सदस्य यह भी देखेंगे कि बाद की दो पंक्तियों में यह बताया गया है कि हम वर्ष १९६०-६१ के अन्त तक विभिन्न राज्यों में

---

†पूल अंग्रेजी में

१००० से ऊपर स्कूलों में योजना चालू करना चाहते हैं । इससे माननीय सदस्य को यह पता चल जायेगा कि अगले साल इस योजना का कितना विस्तार किया जायगा ।

†श्री पलनियाण्डी : केवल पांच अथवा छः राज्यों में ही यह योजना चालू की गई है । क्या सरकार इस योजना को अन्य राज्यों में, यदि वे इस योजना को आरम्भ करने के इच्छुक हों, चालू करेगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जैसा मैंने बताया, हम इस योजना का विस्तार करना चाहते हैं और यदि सभी राज्य सरकारें सहयोग देंगी और कुछ धन से भी सहायता करेंगी तो हम इसका विस्तार शीघ्र कर सकेंगे ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों में डिसिप्लिन की जो कमी हो रही है, उस को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उन को मारल एजूकेशन देने की किसी स्कीम पर विचार कर रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह तो इस प्रश्न से नहीं उठता है । यह एक विशेष योजना के बारे में प्रश्न था । जैसा कि माननीय सदस्य महोदय को मालूम है, उस सम्बन्ध में भी सरकार जांच कर रही है । कमेटी नियुक्त की गई थी, जिस की रिपोर्ट अभी आई है । सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ने उस की जांच की थी और गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है ।

†श्री जोकीम आल्वा : विश्वविद्यालयों में इतनी अनुशासनहीनता होने पर भी यह योजना जितनी अनुशासन की भावना पैदा कर रही है उसको देखते हुए मंत्रालय ने इस योजना के सम्बन्ध में इतना कम खर्च क्यों किया ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : शायद माननीय सदस्य ने विवरण नहीं पढ़ा है । विवरण में साफ-साफ यह बताया गया है कि हम ने इस योजना के लिए जितने धन की व्यवस्था की थी, उतना व्यय नहीं किया जा सका है और व्यय में कमी क्यों रही इसके कारण भी उस में बता दिये गय हैं । ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा मंत्रालय धन न देना चाहता हो । हम योजना के लिये अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं और वस्तुतः प्रत्येक वर्ष व्यय बढ़ता जा रहा है और इस योजना के पूर्णतः सफल न होने का कारण यह नहीं है कि धन की कमी थी अपितु राज्यों में इस योजना को चलाने में कुछ कठिनाइयां थीं तथा उचित कर्मचारियों की कमी थी ।

†श्री दिगे : यह बात देखते हुए कि बम्बई राज्य के प्रत्येक हाई स्कूल में व्यायाम शिक्षक अध्यापक है, जिसके पास व्यायाम शिक्षा का डिप्लोमा होता है, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये लोग हाई स्कूलों में इस योजना के अन्तर्गत बच्चों को और क्या शिक्षा देते हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं माननीय सदस्य का तात्पर्य नहीं समझ सका । यदि उनका यह हो कि ऐसे स्कूलों में, जहां पहले से ही व्यायाम शिक्षक हो, इस योजना को चलाना व्यर्थ है . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दिगे : वे और क्या शिक्षा देते हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को सब से पहले इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि वहां वस्तुतः क्या हो रहा है ताकि वह इसकी तुलना उससे कर सकें जो कि होने जा रहा है । अतः उन्हें यह कहना चाहिए कि मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

†श्री दिगे : केवल व्यायाम की शिक्षा दी जाती है ।

†अध्यक्ष महोदय : संभवतः कुछ कवायद व जिमनास्टिक करवाया जा रहा है । यदि माननीय मंत्री को वहां के पाठ्यक्रम की जानकारी न हो, तो वह यह कह सकते हैं कि उन्हें सूचना चाहिए ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस प्रकार प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या शिक्षा संस्थाओं में व्यायाम सम्बन्धी कोई शिक्षा दी जा रही है । वह मुझ को यह नहीं बताते कि वहां किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है । यह योजना व्यर्थ हो अथवा नहीं किन्तु इस प्रकार उत्तर देना कठिन है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस प्रकार उत्तर देना कितना कठिन है ।

†श्री आचार : मुझे विवरण से ज्ञात होता है कि केवल सात राज्यों ने अपने स्कूलों में यह योजना चलाई है । दक्षिण के किसी भी राज्य ने यह योजना नहीं चलाई है । इसका क्या कारण है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : कारण स्पष्ट है । प्रारम्भ में यह योजना प्रमुखतः शरणार्थियों के लिए केवल उन्हीं राज्यों में चालू की गई थी जहां अधिकांशतः शरणार्थी बसे हुए थे । वे देश के पूर्वी तथा उत्तरी भागों में अधिकांशतः बसे हुए थे । अब हम योजना का विस्तार कर रहे हैं और हम इसे दक्षिण की ओर भी ले जा रहे हैं । कुछ समय के बाद हम इस योजना को सम्पूर्ण देश में फैला देंगे ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं एक आधारभूत प्रश्न पूछ सकता हूं ? योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाई गई है । इस योजना को शिक्षा पद्धति के साथ-साथ चलाने के बजाय इसको उसका अभिन्न अंग क्यों नहीं बना दिया जाता ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं उस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । सरकार ने एक समन्वय समिति नियुक्त की हैं । यह समिति उन सभी योजनाओं की जांच कर रही है जो शिक्षा संस्थाओं में चलाई जा रही है और इस विषय में कोई निर्णय करने से पूर्व हमें उस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य नहीं है कि देश के प्रत्येक राज्य में और लगभग प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक व्यायाम के शिक्षक पहले से मौजूद हैं और क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उन्हीं को इस नई योजना की ट्रेनिंग दे कर शिक्षकों की कमी को दूर कर दिया जाय और इस योजना का भी अधिक प्रसार हो सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सत्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल और विद्यालय ऐसे हैं, जहां कोई फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगलौर निगम के भवन

+

†*५७२. { श्री केशव :
श्री अगाड़ी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने बंगलौर निगम की प्रार्थना पर निगम के भवन बनाने के लिये मैसूर सरकार को एक स्थान दिया था ;

(ख) क्या उन्हें यह बात मालूम है कि प्रधान मंत्री ने १६५५ में भवन का शिलान्यास किया था ; और

(ग) यदि हां, तो अब भवनों के निर्माण के लिये अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). १६४८ में बंगलौर में ३० एकड़ और ३२ गुन्ठों का भूमि का एक टुकड़ा मैसूर सरकार को "देख भाल और संधारण" के आधार अस्थायी रूप से अधिकार में रखने के लिये दिया गया था। शर्तों से ऐसी कोई बात नहीं जान पड़ती कि यह भूमि उस समय निगम के भवन बनाने के लिये दी गई थी। क्योंकि यह बंगलौर का एक खुला हुआ महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा आक्सीजन क्षेत्र का भाग है जो कि सशस्त्र सेनाओं के लिये बहुत आवश्यक है अतः इसको छोड़ा नहीं जा सकता।

इस स्थान की क्या स्थिति है तथा उसका क्या महत्व है इसकी जानकारी प्रधान मंत्री को नहीं थी।

†श्री केशव : क्या इन बातों पर उस समय विचार नहीं किया गया था जब कि सरकार ने भवन का तथा उसके शिलान्यास की अनुमति दी थी ?

†श्री कृष्ण मेनन : रिकार्ड से ऐसी कोई बात नहीं जान पड़ती कि हमने कभी भवन के लिये स्वीकृति दी। यदि यह भूमि भारत सरकार की होती, तब भी प्रतिरक्षा मन्त्रालय उस स्थान पर भवन बनाने देने के लिये सहमत नहीं होता।

†श्री रघुनाथ सिंह : जो नींव का पत्थर वहां अब भी है, उसका क्या होगा ?

†श्री कृष्ण मेनन : इस मामले का उपहास उड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि एक स्थान पर शिलान्यास हो जाता है और जब उस से भी उपयुक्त स्थान प्राप्त हो जायेगा तो माननीय प्रधान मंत्री को उसके बारे में बता दिया जायेगा। स्थिति को और जटिल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। यह भूमि प्रतिरक्षा कार्यों के लिये आवश्यक है।

†श्री केशव : क्या यह सच नहीं है कि कानूनी तौर से यह भूमि मैसूर सरकार की थी और केन्द्रीय सरकार द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं की गई है और न कभी कोई हस्तांतरण किया गया तो फिर केन्द्रीय सरकार उस पर किस आधार पर दावा करती है ?

†श्री कृष्ण मेनन : मुझे प्रसन्नता है कि यह प्रश्न पूछा गया है। यह भारत सरकार के प्रतिरक्षा मंत्रालय की सम्पत्ति है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछड़े वर्ग निर्धारित करने की कसौटी

+

†*५७३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री पांगरकर :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री हेम राज :
श्री सिदन्ना :
श्री चुनी लाल :

क्या गृह कार्य मंत्री ९ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्ग निर्धारित करने की कसौटी तय करने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पिछड़े वर्ग आयोग ने अनेक वर्ष बीते जब कि अपना प्रतिवेदन दिया था और गृह-कार्य मंत्रालय उस प्रतिवेदन पर पिछड़े वर्ग निर्धारित करने की कसौटी पर विचार कर रहा है । निर्णय करने में इतना समय क्यों लगा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : सभा-पटल पर जो ज्ञापन रखा गया था उसमें भारत सरकार का दृष्टिकोण दिया गया था । पिछड़े वर्ग निर्धारित करने की कसौटी पर स्वयं समिति में ही काफी मत-भेद था । सभापति ने जाति को कसौटी मानने के बारे में दृढ़ विचार प्रकट किये हैं । इस सदन और दूसरे सदन के सदस्यों ने बार बार इस पर जोर दिया है कि जाति को कसौटी नहीं माना जाना चाहिये और यथासंभव जाति-पांति को मान्यता नहीं मिलनी चाहिये तथा इन सिद्धान्तों का और आगे विस्तार नहीं होना चाहिये । ऐसी परिस्थिति में जाति को मान्यता नहीं मिलनी चाहिये । इस मामले में कोई समान सिद्धान्त अपनाये जाने के बारे में मैंने राज्य सरकारों से कई बार परामर्श लिया था । वे अपनी वर्तमान सूचियों में परिवर्तन करने में हिचकिचाती हैं क्योंकि उनका विचार है कि इसमें परिवर्तन करने से कुछ हितों को हानि पहुंचेगी । ऐसी दशा में हमारी ओर से यथाशक्ति प्रयत्न करने के बावजूद भी हम कोई समान सिद्धान्त नहीं बना सके हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या राज्यों और केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय के बीच समझौता कराने के लिये किसी आयोग की स्थापना की जायेगी जिस से पिछड़े वर्ग की कसौटी के आधार पर शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक अथवा किसी अन्य दृष्टिकोण से दृढ़ निश्चय किया जा सके ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिये केन्द्र से पूरी सहायता मिल रही है और प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी सूची है । इन सूचियों का आधार कोई समान सिद्धान्त नहीं है । अतः जब हम कोई कसौटी निर्धारित नहीं कर सके, तो हम ने राज्य सरकारों से पिछड़े वर्गों की उन की सूची में उन लोगों को भी शामिल करने का निवेदन किया जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं और राज्यों से यह भी कहा कि राज्यों की सूचियों में जो पिछड़े वर्ग दिखाये गये हैं उन लोगों को वृत्तिका देना जारी रखें । केन्द्र की अपनी कभी भी कोई भी सूची नहीं थी । जब तक कि राज्यों को समान आधार अपनाने के लिये तैयार नहीं किया जाता तब तक उन पर कोई चीज लादी नहीं जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम राज : कुछ महीने पहले राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। क्या उस सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया था ?

†श्री गो० ब० पन्त: इस प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों से बातचीत की गई थी। मैं ने उन से बातचीत की थी और हाल ही में हम ने उन से इस मामले की जांच करने का निवेदन किया था। स्वयं मेरा अपना विचार यह है कि कुछ वर्ग जैसे अस्थिरवासी जातियां, वे जातियां जो पहले खूख्वार थीं तथा कुछ अन्य लोग ऐसे हैं जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं। अतः हमें ऐसी जातियों की यथाशक्ति सहायता करनी चाहिये और राज्यों से भी कहना चाहिये कि वे उन की सहायता करें और उन की सूचियों का पुनरीक्षण अथवा उन में परिवर्तन करने के लिये राज्यों पर जोर न डालें। यह काम हम उन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि कोई भी दूसरा उपाय वे स्वीकार नहीं करेंगे जब कि इस संबंध में प्रमुख उत्तरदायित्व राज्यों को होता है। संविधान में कोई भी संरक्षण नहीं रखा गया है और इस संबंध में हम राज्यों पर अपनी राय नहीं मढ़ना चाहते।

†श्री त्यागी : इन वर्गों के पूर्णतया उपयुक्त परिवारों को यह लाभ देने की दृष्टि से क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों की सूची में से उन परिवारों को निकाल देने की संभाव्यता की जांच की है जिन की आय औसत आय से अधिक है ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं यह सुझाव राज्यों को भेज दूंगा।

†श्री भा०कृ० गायकवाड़ : माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है उस से पता लगता है कि वह पिछड़े वर्गों की समस्या को हल करने के बड़े इच्छुक हैं। इसे हल करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री गो० ब० पन्त : इसे तो हर दिन हल किया जा रहा है। समय समय पर जो योजनायें बनाई गई हैं उन का उद्देश्य असमानता को दूर करना, पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति सुधारना और उन्हें सामान्य आय-व्ययक में से जो सहायता मिलती है उस के अलावा उन के लिये अलग राशि आवंटित करके अधिकाधिक सहायता करना है। इस प्रकार प्रति दिन ही इस समस्या को हल किया जा रहा है और हम ने घोषणा कर दी है हमारा उद्देश्य जातिहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना है।

†श्री सम्पत : क्या संबंधित राज्यों के सुझाव पर शिक्षा मंत्रालय ने पिछड़े वर्गों की जो सूचियां तैयार की हैं उन में कुछ कमी बेशी की जा सकती है ?

†श्री गो० ब० पन्त : जहां तक मुझे पता है शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी कोई भी सूची नहीं तैयार की है। उन का पथ-प्रदर्शन तो भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा तैयार की गई सूचियां करती हैं और अब तो राज्यों में वृत्तिका वितरण का काम भी राज्यों ने अपने हाथों में ले लिया है जिस से वृत्तिका वितरण का काम भी शिक्षा मंत्रालय के पास नहीं रह गया है।

†श्री कालिका सिंह : क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में पिछले सप्ताह श्री गौड़ नामक एक भारतीय प्रशासन सेवा पदाधिकारी ने अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए एक अखिल भारतीय जाति संबंधी निकाय बनाने की वकालत की थी और उस संबंध में उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की भी चर्चा की थी ? यह समाचार सभी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था।

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उस प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गो० ब० पन्त : मुझे माननीय सदस्य के समान जानकारी नहीं है। मैं तो जो कुछ भी वह कहते हैं, मान लेता हूं।

†श्री पलनियाण्डी : क्या सरकार को पता है कि हाल ही में मैसूर सरकार ने ब्राह्मण जाति को छोड़कर शेष सभी जातियों को पिछड़े वर्गों में शामिल कर लिया है। यदि ऐसा है, तो इसका निश्चय करने में उन्होंने किस कसौटी का पालन किया है ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि मैसूर सरकार ने हाल ही में अपनी सूचियों का पुनरीक्षण करके पिछड़े वर्गों का अनुपात ६० प्रतिशत से कम करके ५० प्रतिशत कर दिया है।

†श्री तंगामणि : पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिश के बाद, जिसमें लगभग १४ बातें बताई हैं, क्या सरकार सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े होने के आधार पर भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई सूची को स्वीकार कर लेगी ?

†श्री गो० ब० पन्त : राज्य सरकारों को जो निधि दी जाती है वे उसका इस्तेमाल करती हैं और योजना आयोग भी पिछड़े लोगों की सहायता के लिये कुछ योजनाएं बनाता है। केन्द्र सीधे-सीधे स्वयं कुछ भी नहीं करता है।

†श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि ३१ जनवरी को नई दिल्ली में राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाषण देते हुए माननीय गृह-कार्य मंत्री ने यह कहा था कि पिछड़े वर्गों के लिये जो कल्याण योजनायें बनाई गई हैं उनको सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं राज्यों पर इस बात पर जोर देता रहा हूं कि पहले से स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय के भीतर ही उन्हें कार्यान्वित कर लेना वाछंनीय होगा।

श्री हेम बरूआ : क्या इन कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने में गैर-सरकारी अभिकरणों का सहयोग भी मांगा गया है। यदि ऐसा है तो वे अभिकरण कौन-कौन से हैं ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं आशा करता हूं कि जिन गैर-सरकारी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है उनको अपने कल्याण के लिये बनाई गई योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहयोग देना चाहिये। यदि वे सहयोग नहीं देते तो अन्य गैर-सरकारी लोगों को, जो प्रभावशाली हैं उन्हें उन व्यक्तियों को ऐसा करने के लिये तैयार करना चाहिये ?

†श्री विद्या चरण शुक्ल : कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने बार बार यह सुझाव दिया है कि कुछ निर्धारित स्तर से नीचे के गरीब लोगों को पिछड़े वर्गों का समझा जाना चाहिये। क्या सरकार ने इस सुझाव की जांच की है ?

†श्री गो० ब० पन्त : मुझे इस सुझाव पर सहानुभूति है कि जिन व्यक्तियों को विशेष सहायता की आवश्यकता है उन्हें यह सहायता दी जानी चाहिये। किन्तु यह कह सकना कठिन है कि इस देश में कितने लोग गरीब नहीं हैं और यदि इस प्रकार की कोई कसौटी अपनाई जाती है तो प्रश्न यह होगा कि ७०—८० प्रतिशत जनसंख्या को इसमें शामिल किया जाये अथवा १०—२० प्रतिशत लोगों को। अतः कोई सामान्य विभेद आसानी से नहीं किया जा सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी यूरोपीय देशों से इस्पात का आयात

+

†*५७४. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी यूरोपीय देशों से विशेषकर रूस से इस्पात का आयात कर रही है ;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनको इस इस्पात के उतारने और वितरण का काम सौंपा गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि पहले इन में से कोई भी फर्म इस्पात व्यापार नहीं करती थी और किसी को भी इस्पात के उतारने आदि के काम का अनुभव नहीं है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी हां।

(ख) सरकारी लेखे पर आयात किये गए इस्पात को उतारने के लिये लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा नियुक्त हैंडलिंग एजेंटों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७]** ।

(ग) जी नहीं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं कि सरकार की नीति कोटे की चीजों का व्यापार ख्यातिप्राप्त आयात कर्ताओं को देने की है। यदि ऐसा है, तो क्या इस मामले में उससे भिन्न नीति बरती गई है ? विवरण में दिखाये गए विक्रेताओं में से कितने विक्रेता इस्पात के अलावा अन्य वस्तुओं का व्यापार करते हैं ? हमें बताया गया है कि सामान्यतः वे सूती वस्त्रों, सिल्क, बैंकिंग आदि का व्यवसाय करते हैं और इन लोगों के पहले काम करने का कोई रिकार्ड नहीं है ? इनमें से कितने लोग पहले व्यापार करते रहे है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : यह सच है कि दो वर्ष पहले अधिकांश हैंडलिंग एजेंट इस्पात के ख्यातिप्राप्त आयात करने वाले थे। किन्तु १६५७ में उन्होंने अजीब रवैया अपना लिया। इस्पात के कुछ बड़े बड़े आयात-कर्ताओं ने जहाज से आये माल को तब तक उतारने से इन्कार कर दिया जब तक कि उनकी मजूरी नहीं बढ़ाई जायेगी। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के पास फिर यही दूसरा उपाय रह गया कि वह व्यवसाय नये लोगों के हाथों में दे क्योंकि जहाज यहां आ गए थे और माल उतारा जाना था। हो सकता है कि नये व्यापारी अधिक संख्या में न हों तब तक हमें भी चाहिये कि हम एकाधिकार न रखें।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या यह सच है कि बड़ी प्रतिष्ठित कम्पनियों को, जो इस्पात, के हैंडलिंग एजेंट के रूप में काम कर चुकी हैं, अवसर नहीं दिया गया और उन्हें इस्पात का आयात करने के लिये हैंडलिंग एजेंट नहीं नियुक्त किया गया जबकि उन नई कम्पनियों को यह काम सौंप दिया गया है जिनको इस काम का कुछ भी अनुभव नहीं है और उनमें से कुछ कम्पनियों के नाम मैं बता सकता हूं जो ऐसी हैं जिन्होंने १६५८ के बाद यह व्यापार आरम्भ किया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि हर एक को यह पता है कि ये सभी कथित ख्याति-प्राप्त आयात कर्ता बड़े होशियार लोग होते हैं और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे यह काम मिलना चाहिये था और नहीं मिला तो वह अन्य व्यापारियों की भांति जो कुछ भी वह कर सकता है उसे करने में चूकेगा नहीं। यदि माननीय सदस्य के मस्तिष्क में कोई ऐसा नाम है तो वह मुझे बता सकते हैं। यहां सदन में यह प्रश्न पूछना कोई महत्व नहीं रखता कि किसी फर्म विशेष को काम मिलना चाहिये था और नहीं दिया गया।

†**श्री सूपकार** : इस व्यवसाय में जो चोर बाजारी चल रही थी उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ नये व्यापारियों को लाने का निश्चय किया है। क्या इन नये व्यापारियों के आ जाने से व्यापारियों का नैतिक सुधार हो गया है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य जिसका उल्लख कर रहे हैं, मेरे पास उस नैतिकता को सही-सही मापने का कोई मीटर नहीं है। यह प्रश्न हैंडलिंग एजेंटों के बारे में है जिनका काम बिल्कुल सीमित है। वे सामान आ जाने पर उसे उतरवाते हैं। और उसके लिये निश्चित पारिश्रमिक लेत हैं। उन्हें बाजार में माल को बेचने का अधिकार नहीं है। बेचने का काम लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के निदेशानुसार किया जाता है। किन्तु सम्पूर्ण रूप से देखा जाये तो कमी अब नहीं रह गई है और इस्पात विक्रेताओं के बारे में हमें पहले वाली अपनी धारणा बदल देनी होगी क्योंकि जब कमी नहीं होगी तो लाभ भी कम रह जाता है।

†**श्री पु० र० पटेल** : इस प्रयोजन के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र ही क्यों चुना जाता है जब कि सरकारी क्षेत्र में राज्य व्यापार निगम मौजूद है। क्या सरकार को यह पता नहीं है कि आयात किया गया इस्पात देश में महंगा बिकता है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस प्रकार का काम राज्य व्यापार निगम द्वारा नहीं किया जाता.....

†**श्री पु० र० पटेल** : क्यों?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ....मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसी निकाय के बारे में समझ रहे हैं। हमने इस बारे में निर्णय नहीं किया है कि ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों से सारा व्यापार छीन लिया जाये। यह प्रश्न हैंडलिंग एजेंटों के बारे में है, किसी मूल्य पर बिक्री से हमारा कोई मतलब नहीं है। यह बिक्री भी कंट्रोल भाव पर की जाती है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : आवेदकों का चुनाव करने में माननीय मंत्री की सराहना करते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय ने इस बारे में सहायता के लिय बम्बई अथवा कलकत्ता के लोहा तथा इस्पात संघों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था? उन्होंने सरकार से सहयोग किया अथवा नहीं?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : किसी ने भी हमको असहयोग नहीं किया। किन्तु इस प्रकार के व्यापारिक मामलों में हम संघों से परामर्श नहीं लेते क्योंकि प्रत्येक सहयोगी सदस्य अपने लिये व्यवसाय चाहने लगता है।

महत्व पूर्ण प्रश्नों का बिना बारी उत्तर दिया जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : आगामी प्रश्न को लेने से पूर्व मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि श्री रामेश्वर टांटिया ने मुझ से तारांकित प्रश्न संख्या ६०७ को लेने के लिये निवेदन किया था जो

---

†मूल अंग्रेजी में

समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में जीवन बीमा निगम के विनियोजन के संबंध में था। क्या सदन की इच्छा है कि इस प्रश्न को अब लिया जाये ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : आपने इस संबंध में कुछ नियमों का सुझाव दिया है। क्या मैं यह समझूं कि वे नियम लागू हो गए हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब भी सदन चाहेगा हम वैसा ही कर लेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैंने सुझाव दिया था कि जब कभी नियमों के अलावा कोई काम किया जाय या उनमें परिवर्तन अथवा रूपभेद किया जाये तो वह विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श से होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सहमत हूं। किन्तु विभिन्न दलों के नेताओं से सदन बड़ा होता है। जब कभी सदन कोई मार्ग विशेष अपनाना चाहता है, तो मैं सदन को उसके लिये अधिमान्य दूंगा। इसमें सन्देह नहीं कि माननीय सदस्य ने नियमों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। मैं समझता हूं कि नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। यदि कोई प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो और यदि सदन उस पर विचार करना चाहेगा तो नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हमें देखना चाहिये कि उसका क्या परिणाम निकलता है। यदि माननीय सदस्य इसके पक्ष में नहीं हैं तो मैं सदन से यह कहने नहीं जाता कि वह इस पर विचार करे।

उस दिन मैंने सदन को बताया था कि कोई भी माननीय सदस्य सूची को पढ़कर यह समझता है कि कोई प्रश्न विशेष को लिये जाने की संभावना नहीं है तो प्रश्न आरम्भ किये जाने से पहले वह मेरे पास यह लिखकर भेज दे कि अन्त में इस प्रश्न को ले लिया जाय तो सदन की अनुमति लेकर मैं उस प्रश्न के लिये जाने पर स्वीकृत दे दूंगा। मेरी इस घोषणा के पशचत् श्री रामेश्वर टांटिया ने इस प्रश्न के बारे में मेरे पास नोटिस भेजा है। श्री पाणिग्रही का कहना है कि तारांकित प्रश्न संख्या ५८० लिया जाय। उन्होंने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं लिखा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : कल दिल्ली हवाई अड्डे के बारे में प्रश्न लिया गया था। यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं था। उस समय मेरा प्रश्न लिया जाना चाहिये था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि किसी प्रश्न विशेष को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तो ग्यारह बजने से ५ मिनट पहले उन्हें मुझे लिख देना चाहिये और यदि सदन सहमति दे देता है, तो मैं वह प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूंगा। एक माननीय सदस्य ने पूर्व सूचना दे दी है, तो उसके स्थान पर दूसरा सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर यह नहीं कह सकता "जी नहीं, मेरा प्रश्न लिया जाना चाहिय।" उन्हें पहले ही सूचना देनी चाहिये। भविष्य में सदन की सहमति यदि होगी तो यही प्रक्रिया अपनाई जायगी। सदन यह सदैव कह सकता है कि किसी प्रश्न विशष को प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : यदि दो सदस्य दो अलग-अलग प्रश्नों के बारे में लिखते हैं तो आपके लिये निर्णय कर पाना कठिन होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर मैं उसका निर्णय करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : नियम बनाकर आपको परम्परा स्थापित करना चाहिये। यह लोकतन्त्र है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदन इस प्रक्रिया को स्वीकार करता है। अतः अब हम तारांकित प्रश्न संख्या ६०७ लेंगे। श्री रामेश्वर टांटिया।

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन

†*६०७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के शेयर खरीदे हैं या उनको ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के क्या नाम हैं और उनमें से प्रत्येक में कितना धन विनियोजित किया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८**]।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : विवरण में बताया गया है कि मेसर्ज कस्तूरी एंड संज़ लिमिटेड के कुछ प्राथमिकता शेयर खरीदे गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि ये शेयर क्यों खरीदे गये हैं जब कि ये शेयर मार्केट में आसानी से नहीं बेचे जा सकते और जब कि इसी मूल्य पर बाजार में और अच्छे शेयर खरीदे जा सकते हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस प्रस्ताव की स्थिति के बारे में निगम बहुत प्रभावित हुआ था।

†**श्री त्यागी** : क्यों कि समाचार पत्र राजनैतिक तत्व है—...

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस ओर के सदस्यों को भी पुकारूंगा। श्री टांटिया।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इन प्राथमिकता शेयरों को खरीदने के लिये क्या बातों पर विचार हुआ ? क्या जीवन बीमा निगम के अन्य समाचार पत्रों से भी उनके प्राथमिकता शेयरों के बारे में पूछा है ? भविष्य में जीवन बीमा निगम की क्या नीति होगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बारे में मैं माननीय सदस्य का ध्यान जीवन बीना निगम की विनियोजन नीति के बारे में वित्त मंत्री महोदय के वक्तव्य की ओर आकृष्ट करती हूं। वे सब बातें देखी जाती हैं।

†**श्री त्यागी** : क्योंकि समाचारपत्र महत्वपूर्ण राजनैतिक तत्व हैं क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम को यह परामर्श देने की संभावना पर विचार किया है कि वह अपने धन को ऐसे किसी संस्थान में न लगायें जिसका राजनीतिक दलों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह एक सुझाव है।

†**श्री त्यागी** : एक अच्छा सुझाव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जोकीम आल्वा** : मैं देखता हूं कि सरकार बड़ी निधियों और धन वाले बड़े समाचार पत्रों के प्रति पक्षपात दिखाती है। पहले तो भारत के राज्य बैंक ने समाचारपत्रों को एक बड़ी धन राशि, लगभग ५० लाख रुपये, का ऋण दिया। यहां उन्होंने बहुत बड़े पत्रों को ऋण दिया है। उन बेचारे पत्रों का क्या होता है जो १० हजार से २० हजार तक की रकम के लिये तरसते हैं? ..... (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है? प्रधान मंत्री महोदय।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य, श्री त्यागी द्वारा दिये गये सुझाव पर सरकार विचार करेगी ..... (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री ब्रजराज सिंह** : नहीं, इस पर विचार नहीं किया जायगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह महत्वपूर्ण विषय है और हम इस पर विचार करेंगे।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि आनन्द बाज़ार पत्रिका को २५ लाख रुपये दिये गये हैं। इसकी क्या कसौटी थी और जीवन बीमा निगम द्वारा किस आधार पर २५ लाख रुपये दिये गये हैं?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : प्राथमिकता शेयर और कर योग्य रिडीमेबिल फ़र्स्ट मोर्टगेज डिबेन्चर खरीदना जीवन बीमा निगम की नीति रही है। समय समय पर निगम अच्छे समवायों के प्राथमिकता शेयर और डिबेन्चर खरीदता रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। निगम द्वारा की गयी कार्यवाही नीति के विमुख नहीं है।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या शेयरों के खरीदने का फैसला करने से पहले पत्र की नीति पर विचार किया जाता है?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : खरीदने के लिये सदन ने नीति पहले ही अनुमोदित कर दी है ..... (**अन्तर्बाधा**)।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : जी नहीं, पत्र की नीति।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या पत्र की नीति पर विचार किया जाता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि पत्र को ऋण देने से पहिले क्या उसकी नीति पर विचार किया जाता है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जीवन बीमा निगम द्वारा पत्र की वित्तीय दशा और स्थिति पर हमेशा विचार किया जाता है ..... (**अन्तर्बाधा**) निगम द्वारा राजनीतिक बातों पर विचार नहीं किया गया था परन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने अभी घोषणा की है, इस पर विचार किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री पट्टाभिरामन्।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या मैं जान सकता हूं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री गुह का नाम नहीं पुकारा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या यह सच नहीं है कि वे केवल प्राथमिकता शेयरों में ही अभिरुचित थे और ईक्विटी शेयरों में नहीं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वे प्राथमिकता शेयर और कर योग्य रिडीमेबिल मॉर्टगेज डिबेन्चरों में भी अभिरुचित हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या यह फैसला करने से पहले, जो कि लगभग राजनीतिक फैसला है, जीवन बीमा निगम ने उस कम्पनी के शेयर खरीदने का मामला या अन्य ऐसा ही कोई मामला सरकार को भेजा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जीवन बीमा निगम बनने से पहले ही कुछ ऋण दिये जा चुके थे । कुछ वचन दे दिये गये थे । जीवन बीमा निगम द्वारा ये ऋण परम्परा के रूप में दिये जाते हैं । कुछ और भी वचन दिये गये थे अतः जीवन बीमा निगम को वे वचन पूरे करने थे । केवल कस्तूरी एण्ड संज़ लिमिटेड को एक ऋण दिया गया है । जीवन बीमा निगम ने यही सूत्रपात किया है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : अनुभवी और नयों में अन्तर होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री तिरुमल राव ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या जीवन बीमा निगम पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के शेयरों में धन लगाने से पहले उन के मैनेजिंग डाइरेक्टरों के राजनीतिक कार्य का भी ध्यान रखता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह उस प्रश्न का उत्तर है ।

†**श्री तिरुमल राव** : यह मामला केवल समाचारपत्रों के बारे में ही नहीं परन्तु बड़े व्यक्तियों के बारे में भी है जोकि इन विनियोजनों से लाभ उठाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बच्चे उठा ले जाने वालों के गिरोह

†*५६७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के पुलिस उप महा-निरीक्षकों ने भारत सरकार के पास १९५८ के आरम्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिस में बच्चे उठा ले जाने वालों के गिरोहों के अन्तर्राज्यीय कारनामों और अपहृत बच्चों से भीख मंगवाने का प्रलोभन देने का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की खास-खास बातें क्या हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाई की गई ;

(घ) क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट से पता लगा है कि बच्चों का अपहरण कर के उन से भीख मंगवाने का काम देश में काफी हो रहा है और विद्यमान विधि इस समस्या को सुलझाने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

(ग) भारतीय दण्ड विधान (संशोधन) अधिनियम, १९५९ जिस में अपहरण अथवा नाबालिग की अभिरक्षा प्राप्त करने और नाबालिग से भीख मंगवाने के लिये उसे अपंगु बनाने के लिये कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है बन गया है और जो १५ जनवरी, १९६० से जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर शेष सारे देश में लागू कर दिया गया है । राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया गया है कि वे महिला तथा बाल संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों को शीघ्र ही लागू कर के अपने-अपने क्षेत्रों के लिये उपयुक्त बाल अधिनियम बना लें ।

(घ) रिपोर्ट गोपनीय ढंग की है ।

ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण

†*५७५. **श्री गोरे :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स, जलाहली ने एक ट्रॉजिस्टर रेडियो निकाला है ;

(ख) यह वाणिज्यिक स्तर पर इस्तेमाल के लिये कब तैयार किया जायेगा ; और

(ग) इस से गांवों की आवश्यकता किस प्रकार पूरी होने की आशा की जाती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, जलाहली में ट्रॉजिस्टराइज्ड कम्युनिटी रिसीवर (सामुदायिक रेडियो) तैयार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). इस प्रक्रम पर इस प्रश्न का उत्तर दे सकना कठिन है । परीक्षण के परिणाम और उस का मूल्यांकन उपलब्ध हो जाने के बाद इस प्रश्न पर विचार कर सकना सम्भव होगा ।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा, कानपुर के प्राधिकारियों के विरुद्ध आरोप

†*५७६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक इंजीनियरिंग सेवा, कानपुर के अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) क्या किसी गैरीसन इंजीनियर के विरुद्ध कोई विभागीय जांच करवाई गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ये आरोप किस प्रकार के हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । १ दिसम्बर, १९५८ को कर्मचारी जांच न्यायालय द्वारा जांच की गई थी ।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९३ ।]

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का पुनर्गठन

†*५७७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति, १९५८-५९ की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का पुनर्गठन करने का निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) योजना किस प्रकार की है ; और

(ग) वह किस तारीख से लागू होगी ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति का प्रतिवेदन अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है और उस पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सम्मिलित रक्षित पुलिस बल[1]

†*५७८. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी क्षेत्र के लिये सम्मिलित रक्षित पुलिस बल निर्माण करने के प्रश्न पर कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर अस्वीकारात्मक हो तो इस समय क्या स्थिति है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल रखा जाता है ।

विवरण

पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के लिये सम्मिलित रक्षित पुलिस बल रखने की योजनायें स्वीकार की जा चुकी हैं । इन योजनाओं में इन में से प्रत्येक क्षेत्र को राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में विद्यमान रक्षित बल में से सहमत कोटे का संचय करने की योजनायें शामिल हैं जिस से उस क्षेत्र में जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर सम्मिलित बल उपलब्ध हो सके । प्रतिवर्ष बारी-बारी से भिन्न-भिन्न राज्यों आदि में रक्षित बल को अल्पकाल के लिये संयुक्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Common police force.

इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो परिषद् की आगामी बैठक के समक्ष रखा जायेगा ।

दक्षिणी क्षेत्र परिषद् ने सिद्धान्त रूप में आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर राज्यों के लिये सम्मिलित रक्षित पुलिस बल का निर्माण स्वीकार कर लिया है । इन राज्यों के पुलिस महा-निरीक्षक योजना का ब्योरा तैयार कर रहे हैं ।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् ने फिलहाल क्षेत्र के लिये एक सम्मिलित रक्षित पुलिस बल का गठन करना आवश्यक नहीं समझा है ।

जापानी जीपों का क्रय

†*५७९. **श्री मुरारका** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कोई जापानी जीपें खरीदी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक का मूल्य क्या है ; और

(ग) भारत में बनने वाली जीपों की अपेक्षा उन्हें क्यों खरीदा गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बोलानी में लौह अयस्क की खानें

†*५८०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलानी की लौह अयस्क की खानों में मशीन द्वारा अयस्क निकालने का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) बोलानी लौह अयस्क की खानों से अयस्क निकालने पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ; और]

(ग) क्या इस समवाय के प्रबन्ध पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से सरकार का विचार समवाय के अधिकतर अंश लेने का है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ३१-१२-१९५९ तक १,०६,८८,५८४ रु० ।

(ग) इस में सरकार के अधिकतर अर्थात् ५०.५ प्रतिशत अंश हैं ।

सेना में अधिकारियों की कमी

†*५८१. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्दौर में सेना बलाधिकृत के भाषण को देखा है कि भारतीय सेना में ३००० अधिकारियों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान । मैं ने एक प्रेस समाचार देखा है । यह विचारने का कोई कारण नहीं है कि सेना बलाधिकृत ठीक संख्या का उल्लेख कर रहे थे । फिर भी, सेना अधिकारियों की कमी है ।

(ख) यह बताना और इस पर विचार विमर्श करना राष्ट्रीय हित में नहीं है ।

सोने का तस्कार व्यापार

†*५८२. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वित्त** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६८-क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक के लिफाफों से सोने का तस्कर व्यापार सम्बन्धी जांच पड़ताल का क्या परिणाम रहा; और

(ख) क्या अब तक कोई गिरफ्तारी की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). मामले की अभी जांच पड़ताल हो रही है । २७ फरवरी, १९६० तक इस सम्बन्ध में ८ व्यक्ति पकड़े गये थे ।

जलियांवाला बाग के संबंध में महात्मा गांधी की रिपोर्ट की पांडुलिपि

†*५८३. {**श्री राधा रमण** :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार जलियांवाला बाग के सम्बन्ध में गांधी जी की रिपोर्ट की महात्मा जी द्वारा अपने हाथ से लिखी गई मूल पांडुलिपि की खोज कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग). जिन संस्थाओं के बारे में यह ख्याल था कि उनके पास पाण्डुलिपि है या उन्हें यह ज्ञान है कि पाण्डुलिपि कहां है, उन से पूछताछ की गयी थी । परन्तु पाण्डुलिपि उनके पास न थी ।

भारत में पश्चिम जर्मनी की पूंजी का लगाया जाना

†*५८४. {**श्री सरजू पांडेय** :
श्री अजीत सिंह सरहदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और बोन सरकार के बीच भारत में पूंजी लगाने के बारे में जो पत्र-व्यवहार हो रहा था उस की क्या स्थिति है; और

(ख) इस सम्बन्ध में किये गये समझौते की शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). भारत सरकार ने संघीय जर्मन गणराज्य (फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी) की सरकार को सूचित कर दिया है कि वह जर्मनी द्वारा भारत में पूंजी लगाये जाने के बारे में करार करने के लिए बातचीत करने को तैयार है। पश्चिम जर्मनी की सरकार के जवाब का इन्तजार है।

कलकत्ता और हावड़ा को कोयला भेजना

†*५८५. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के कोयले के थोक व्यापारियों की इस निरन्तर शिकायत की ओर आकर्षित किया गया है कि दिसम्बर, १९५९ और जनवरी, १९६० के मासों में पश्चिमी बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से कलकत्ता कोयला लाने के लिए उन्हें माल डिब्बों का पूरा कोटा नहीं मिला है और इसके कारण कलकत्ता और हावड़ा में कोयला का बहुत अभाव है;

(ख) कलकत्ता के कोयले के थोक व्यापारियों को प्रति कितने माल डिब्बे नियत होते हैं और वास्तव में उन्हें कितने डिब्बे दिये जाते हैं; और

(ग) कलकत्ता को कोयला भेजने के लिए माल डिब्बे देने में अव्यवस्था होने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) दिसम्बर, १९५९ और जनवरी, १९६० के महीनों में कलकत्ता और हावड़ा को साफ्ट कोक भेजने के लिए कम माल डिब्बे उपलब्ध होने के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार ने कोयला नियंत्रक को बताया था।

(ख) और (ग). इस काल में कलकत्ता और हावड़ा के लिए साफ्ट कोक का दैनिक औसत कोटा ७७ माल डिब्बे था। इस कोटे के बदले दिसम्बर में ६२ माल डिब्बे और जनवरी, १९६० में ७२ माल डिब्बे प्रति दिन दिये गये। अभाव अधिक न था।

रडार का उत्पादन

†*५८६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "भारत इलैक्ट्रोनिक्स" रडार का कितना उत्पादन कर रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री श्री रघुरामैया** : इस मामले पर जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

आयकर भवन, कलकत्ता[1]

†*५८७. **श्री सुबिमन घोष :**
श्री दा० रा० चावन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के चौरिंघी स्क्वायर में नये आयकर भवन के निर्माण पर कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या १२ जनवरी, १९६० को उक्त भवन की एक बड़ी छत गिर गई थी;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुए और सरकार को कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या हताहत व्यक्तियों को प्रतिकर दे दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Income tax Building, Calcutta.

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) कलकत्ता के चौरिंघी स्क्वायर नये आय-कर भवन पर लगभग ६९.३ लाख रु० व्यय हुए हैं ।

(ख) 'एनेक्सी' की नीचे की मंजिल की कृत्रिम छत (फाल्स सीलिंग) का केवल कुछ भाग १२-१-१९६० को कुछ मजदूरों के अतिरिक्त भार के कारण पेड़ पर गिर गया था ।

(ग) दो व्यक्तियों को साधारण चोट आई तथा अन्य चार व्यक्तियों को खरोंच आईं । उनकी तत्काल चिकित्सा की गई । काम एक ठेकेदार कर रहा है और उसने अपनी ही ओर से क्षतिपूर्ति कर दी है । मजदूरों को दिया जाने वाला प्रतिकर भी वही देगा, और इस में सरकार की कोई हानि नहीं है ।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कलकत्ता के एक्ज़ीक्यूटिव इंजिनियर ने अस्पताल प्राधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट शीघ्र देने की प्रार्थना की है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मजदूर अधिकारी इसके बाद हताहत व्यक्तियों को ठेकेदार द्वारा दिये जाने वाले प्रतिकर के प्रश्न पर कार्यवाही करेंगे ।

विदेशी पूंजी के विनियोग केन्द्र

†*५८८. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए औद्योगिक विनियोग तथा ऋण सहकार के तत्वावधान में विनियोग केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र कहां-कहां खोले जायेंगे; और

(ग) उनके संचालन का विस्तृत प्रबन्ध क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय सहकार प्रशासन के बीच ५ अक्टूबर, १९५९ को हुए परियोजना करार संख्या ९७ की ओर आकर्षित किया जाता है । इसकी प्रतियां पुस्तकालय में पहिले ही रख दी गई हैं । प्रस्तावित अखिल भारतीय विनियोग केन्द्र अभी नहीं खुला है । केन्द्र को एक गैर-सरकारी एजेन्सी के सहयोग से खोलने की संभावना पर विचार विमर्श हो रहा है ।

त्रिपुरा में आदिम जातियां

†*५८९. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गमचा कबरा और उससे मिले हुए गांवों की आदिमजातियों से उनकी भूमियां छुड़ाई जा रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विस्थापित व्यक्तियों से कहा गया है कि वे उक्त क्षेत्र की आदिम जाति के लोगों की भूमियों पर बलपूर्वक अधिकार कर लें; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नौसेना के पोतों का निर्माण

†*५९०. {श्री सै० अ० मेहदी :
श्री गोरे :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना ने अपनी आवश्यकता के लिए स्वयं पोत बनाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) भारत में छोटे नौसेना-पोत बनाने पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) अभी योजना का ब्यौरा बताना लोकहित में नहीं है ।

भारतीय एवरेस्ट अभियान दल

†*५९१. {श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री प्रभात कार :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष एक अखिल भारतीय दल एवरेस्ट पर चढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार उन्हें समस्त युक्तियुक्त सुविधायें दे रही है; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) २० पुरुषों का एक दल मार्च के मध्य में एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ाई करने का प्रयास आरम्भ करेगा । इस दल में एक शरीर विज्ञानवेत्ता, एक चिकित्सक, एक ऋतु विज्ञानवेत्ता, एक फोटोग्राफर और एक रेडियो विशेषज्ञ होगा तथा इसके नेता दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्था के मुख्याध्यापक होंगे । श्री तेनसिंग नार्गे इस दल के टेक्निकल परामर्शदाता होंगे ।

सेलम में निम्न उदग्र भट्टी[1]

†*५९२. श्री नरसिंहन : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या किसी व्यक्ति ने लोहे के उत्पादन के लिये सेलम (मद्रास) में निम्न उदग्र भट्टी स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को दिया ?

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Low Shaft Furnace.

दिल्ली में मोटरकारों की चोरी

†*५९३. श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राधा रमण :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री विभूति मिश्र :

क्या गृह-कार्य मंत्री निम्न बातें दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार चुराने वालों का एक संगठित दल बम्बई में बेचने के लिये दिल्ली से छोटी कारें चुरा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० में अब तक ऐसी कितनी कारें चोरी गई हैं;

(ग) कार चुराने वालों से रक्षा करने के लिये पुलिस ने क्या रोकथाम की है; और

(घ) अब तक कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं और कितनी कारें चोरी गई हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) बम्बई में बेचने के लिये १९५९ में दिल्ली में चार कारें चुराई गई थीं ।

(ख)

१९५७	१९५८	१९५९	१९६० (२४-२-६० तक)
शून्य	शून्य	४	शून्य

(ग) जनता से प्रार्थना की गई है कि वे अपनी कारें बिना ताला लगाये न छोड़ें, अपनी कार की चाबियों के बारे में सावधान रहें और अपनी कारों की चोरी की सूचना बिना विलम्ब पुलिस को दें ।

(घ) चारों कारें मिल गई हैं और १२ व्यक्ति पकड़े गये हैं ।

लद्दाख में भू-राजस्व की वसूली[1]

†*५९४. श्री अर्जुन सिंह भद्रौरिया :
श्री प्र० गं० देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में लद्दाख के उत्तरी जिलों में राजस्व वसूल न करने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पत) : (क) और (ख). लद्दाख में राजस्व वसूल करना पूर्णतया जम्मू तथा काश्मीर सरकार का उत्तरदायित्व है। हमने राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी मांगी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Land Revenue.

राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना[1]

†*५६५. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पांगरकर :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल कूद के लिये राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना बनाने के प्रस्ताव में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यह कब तक पूरी होगी; और

(ग) क्या यह पूर्णतया भारत सरकार के नियंत्रण में होगी ?

†णशिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था (सेन्ट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट) को स्थापित होने पर और उसमें विभिन्न खेल कूदों में प्रथम दल के प्रशिक्षित होने पर आरम्भ की जायेगी। आशा है कि संस्था आगामी छः मास में स्थापित होगी और राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना उस के बाद आगामी १२ मास में आरम्भ होगी ।

(ग) इस मामले पर अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

सफेद सीमेंट

†*५६६. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २२ दिसम्बर, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफेद सीमेंट की उत्पादन की प्रक्रिया की वाणिज्यिक दृष्टि से उपयुक्तता का सुनिश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :(क) और (ख). श्रीमान, अभी नहीं । प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला हैदराबाद में अग्रिम संयंत्र के प्रयोगों के परिणाम १६६० के अन्त तक विदित हो सकेंगे ।

शिक्षा संस्थाओं को सहायता

*५६७. श्री भक्त दर्शन : क्या शिक्षा मंत्री १७ दिसम्बर, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय महत्व की शिक्षा संस्थाओं के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिये नियुक्त की गई विशेष समिति ने इस बीच अपने कार्य में क्या प्रगति की है; और

(ख) उस का कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]National Coaching Scheme.

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) आवश्यक सूचनायें प्राप्त करने के लि उच्च शिक्षा की कुछ विशिष्ट संस्थाओं को एक प्रश्नावली भेजी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर ही समिति अपना कार्य करेगी। संस्थाओं के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) जब तक योजना चलती रहेगी तब तक समिति भी काम करती रहेगी ।

दिल्ली में प्राइवेट स्कूल

†*५९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री ६ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगरपालिका निगम ने जो संकल्प स्वीकृत किया था कि उसे प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने या मना करने, उन में काम करने वाले अध्यापकों की सेवा की शर्तें नियमित करने और इन संस्थाओं संबंधी ऐसे अन्य अधिकार दे दिये जायें, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) मांग पूर्ति के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

मेमारी (पश्चिमी बंगाल) में तेल के लिए छिद्रण

†*५९९. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री हाल्दर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दो-स्टानवाक पैट्रोलियम प्रोजैक्ट नें मेमारी (पश्चिम बंगाल) में जो छिद्रण किये थे उन का क्या परिणाम रहा ;

(ख) प्राजैक्ट में कितने भारतीय टैक्निसियन काम कर रहे हैं और कब से; और

(ग) जिन छः स्थानों पर परिणाम फलीभूत नहीं रहा वहां क्या पुनः छिद्रण करने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) यह एक सूखा छेद है।

(ख) प्राजेक्ट में ५३ भारतीय टेक्निसियन काम कर रहे हैं। इस में से प्रत्येक टेक्निसियन की कार्यविधि एक से नौ वर्ष तक की है ।

(ग) केवल रानाघाट के पास अन्य छेद करने का विचार है ।

समाज कल्याण बोर्ड

†*६००. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतों और सामुदायिक विकास के पुनर्गठन के संबंध में समाज कल्याण बोर्ड को जारी रखने की आवश्यकता पर विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : हां, श्रीमान् ।

उच्च न्यायालयों के जज

†*६०१. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने २२ दिसम्बर, १९५९ को उत्तर प्रदेश वकील कान्फ्रेन्स में भाषण करते हुए कहा था कि अभियोगों के शीघ्र निर्णय के लिये अधिक जजों की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो अधिक जज नियुक्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). सरकार ने इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उस भाषण की केवल प्रेस रिपोर्ट देखी है जो उन्हों ने दिसम्बर, १९५९ में उत्तर प्रदेश वकील कांफ्रेन्स के तत्वाधान में हुई गोष्ठी में दिया था ।

जिन उच्चन्यायालयों में कार्य की दृष्टि से आवश्यकता होती है वहां अधिक जज नियुक्त किये जाते हैं और १ नवम्बर, १९५६ से अब तक ऐसे ३८ स्थानों की स्वीकृति दी गई है । राज्य प्राधिकारियों से उच्चन्यायालयों में अधिक जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव मिलने पर तुरन्त विचार किया जाता है ।

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम

†*६०२. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री २२ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४१ के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों के इन सुझावों पर कि महिलाओं तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ को और अधिक प्रभावी रूप में लागू किया जाये, विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सुझावों पर राज्य सरकारों के परामर्शों से विचार किया जा रहा है ।

होम गार्ड

†*६०३. श्री हेम बरुआ :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य-सरकारों से होम गार्डों का स्वयं सेवक दल[1] संगठित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्य सरकारों ने अब तक संघ सरकार के इस सुझाव को स्वीकार किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Voluntary Corps.

(ग) संगठन करने और योजना लागू करने में कितना व्यय होगा;

(घ) क्या राज्य और केन्द्र में व्यय विभाजन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो दोनों में क्या अनुपात होगा ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) हां ।

(ख) सामान्यतया राज्य सरकारों का मत स्वीकारात्मक है । दिल्ली में नगर सैनिक संघ स्थापित हो गया है, और अन्य संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में ऐसे संघ संगठित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) सम्पूर्ण व्यय उठाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है ।

(घ) नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी

†*६०४. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १७ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी (इलाहाबाद) में वस्तुओं के स्थानीय क्रम में अनियमितताओं सम्बन्धी विशेष पुलिस संस्थान की जांच में अग्रेतर क्या प्रगति हुई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : विशेष पुलिस संस्थान का प्रतिवेदन २९-२-६० को प्राप्त हुआ था और मंत्रालय के विचाराधीन है ।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के लिए स्थायी फार्मूला

†*६०५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ९ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस स्थायी फार्मूला का निश्चय करने के लिए तेल समवायों के साथ आरम्भ हुए विचार विमर्श का परिणाम क्या रहा जिसके आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों के नये मूल्य निर्धारित होंगे ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : ९ दिसम्बर, १९५९ के उत्तर में निर्दिष्ट तदर्थ करार ३१ मार्च, १९६१ तक के लिए है । इस तारीख के बाद की अवधि के वास्ते फार्मूला तैयार करने के लिए प्रक्रिया तथा समय अनुसूची पर पर्याप्त समय पहिले फैसला कर लिया जायेगा । जब कभी आवश्यकता होगी, तेल समवायों से ऐसी प्रक्रिया और समय अनुसूची के अनुसार विचार-विमर्श किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कामगरों की शिक्षा के लिये सायंकालीन संस्था

†*६०६. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री ४ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामगरों की शिक्षा के लिए सायंकालीन संस्था प्रारम्भ हो गयी है; और

(ख) इस योजना से प्रति वर्ष कितने व्यक्ति लाभ उठा सकेंगे ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं । संस्था के लिए परामर्श-दात्री समिति और कार्यकारिणी समिति स्थापित कर दी गयी है और उसकी प्रथम बैठक दिसम्बर, १९५९ में हुई थी । आशा है कि राज्य सरकार द्वारा उस संस्था का वास्तविक कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(ख) इस समय यह बताना बड़ा कठिन है कि इस योजना से प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को लाभ हो सकेगा, क्योंकि कार्यक्रम का विकास हो जाने के बाद ही यह ज्ञात हो सकेगा कि प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को शिक्षा दी जा सकेगी ।

बिहार-पश्चिमी बंगाल सीमा विवाद

†*६०८. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री २२ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल और बिहार सरकारों के प्रमुख सचिवों ने इस बात का निर्णय करने के लिए कोई जांच की है कि क्या पश्चिमी बंगाल का मालदा ज़िला और बिहार का पूर्निया जिला वास्तव में पश्चिमी बंगाल के भाग हैं या कि बिहार के; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). अभी नहीं; आशा है कि वे इस बारे में शीघ्र ही जांच कर लेंगी ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए कुएं

†६८०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की अनुसूचित जातियों के लिए जल सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए १९५६-५७ से १९५७-६० में अब तक केन्द्रीय योजनाओं के अधीन कितने कुएं मंजूर किये गये हैं; और

(ख) उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में जुआ

†६८१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में दिल्ली में जुआ खेलने के अपराध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) उन में कितने व्यक्तियों को अभी तक दण्ड दिया जा चुका है; और

(ग) दिल्ली में जुए के अड्डों को समाप्त करने के लिए क्या क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ५६१३ ।

(ख) ४४१६ ।

(ग) जब भी इस प्रकार की कोई विश्वस्त सूचना मिलती है, पुलिस द्वारा उस स्थान पर छापा मारा जाता है । इसके अतिरिक्त पुलिस भी सतर्क रहती है ।

पंजाब के हाई स्कूलों के मुख्याध्यापक

†६८२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के 'ए' तथा 'बी' टाइप के हाई स्कूलों के मुख्याध्यापकों के वेतनों में वृद्धि करने के लिए १९५९-६० में अभी तक पंजाब को कोई वित्तीय सहायता दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गयी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुरुदासपुर में भूतपूर्व सैनिक

†६८३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरुदासपुर ज़िले के कितने भूतपूर्व सैनिकों को अभी तक अपनी जीविका कमाने के लिए काश्तकारी के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है; और

(ख) उन्हें अभी तक और क्या क्या सहायता दी गयी है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) ७२.

(ख) उन्हें ट्रेक्टरों, बैलों, हलों, कुओं/नलकूपों, मकानों तथा सामान्य भवनों जैसे कि पंचायत घरों, बीज गोदामों, औषधालयों और स्कूलों की व्यवस्था के रूप में सहायता दी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केन्द्रीय सरकार के विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

†६८४. **श्री सिदय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री ६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में केन्द्रीय सरकार के विभागों में कुल रिक्त स्थानों तथा उन में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित स्थानों के सम्बन्ध में जानकारी अब प्राप्त हो गयी है; और

(ख) क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं। अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अभी तक उपलब्ध जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०**]। शेष जानकारी प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

'बाद की देखभाल' कार्यक्रम

†६८५. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण के अधीन चल रहे 'बाद की देखभाल' गृह ('आफ्टर केयर' होम्स) अब गृह-कार्य मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिये गये हैं;

(ख) क्या सौंपे जाने के बाद इन का प्रशासन कार्य केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की देख रेख के अधीन राज्य समाज कल्याण बोर्डों के द्वारा चलाया जायेगा अथवा सीधे ही राज्य सरकारों द्वारा चलाया जायेगा जैसा कि इस समय चलाया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). फिलहाल तो कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

उड़ीसा में जिला गजेटीयरों[1] का प्रकाशन

†६८६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्यमंत्री** ६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के जिला गजेटीयरों के संकलन के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सरकार विभिन्न राज्यों को इन ज़िला गज़ेटीयरों के प्रकाशन के लिये कोई वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कोरापुट और पुरी जिले के गज़ेटीयरों के प्रारूप तैयार हो रहे हैं।

(ख) भारत सरकार राज्य सरकारों को ज़िला गज़ेटीयरों के संकलन पर आने वाले कुल खर्च की ४० प्रतिशत राशि और प्रत्येक ज़िला के गजेटीयर के लिये अधिकतम ६,२११ रुपयों की राशि सहायक अनुदान के रूप में देती है। यह अनुदान केवल उन्हीं गज़ेटीयरों के लिये दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Districs Gazetteers.

जाता है जो कि केन्द्र द्वारा निर्धारित स्टैण्डर्ड तथा रूप के अनुसार होता है। इसके अतिरिक्त जिला गज़ेटीयरों के मुद्रण पर आने वाले खर्च भी ४० प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा किया जाता है।

पदक

†६८७. श्री प्र० के० देव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त अब तक भारतीय सेनाओं के लिये कौन कौन से पदक दिया जाना आरम्भ किया गया है।

(ख) उन्हें प्राप्त करने वालों की अर्हतायें क्या है ;

(ग) अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को ऐसे मेडल दिये जा चुके है ; और

(घ) कितने व्यक्तियों के लिये मृत्यु के उपरान्त पदक दिये गये हैं।

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (घ). सभा पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की काश्त

†६८८. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में आन्ध्र प्रदेश में कितने क्षेत्र में तम्बाकू की काश्त की गयी थी ;

(ख) उस से पहले वहां पर कितने क्षेत्र में काश्त की जा रही थी ;

(ग) १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में तम्बाकू से कुल कितनी आय प्राप्त हुई थी ;

(घ) उक्त वर्षों में तम्बाकू से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ; और

(ङ) उक्त वर्षों में कुल कितने तम्बाकू का निर्यात किया गया था ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २ , अनुबन्ध संख्या १२]।

आन्ध्र प्रदेश में राजस्व की वसूली

†९६८ . श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ और १९५८–५९ में आन्ध्र प्रदेश में करों तथा अन्य राजस्व कार्यवाहियों के द्वारा कुल कितनी राशि एकत्रित की गयी थी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

१९५७–५८	२३,२३,४२,००० रुपये
१९५८–५९	२५,५९,७०,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

उक्त आंकड़ों में "असैनिक प्रशासन, मुद्रा, टंकशाला, असैनिक कार्य आदि" के अन्तर्गत विभिन्न प्रमुख शीर्षों के अधीन प्राप्त राशियां सम्मिलित नहीं है क्योंकि वे किसी भी राजस्व सम्बन्धी कार्यवही से प्राप्त नहीं होतीं ।

उड़ीसा से हॉल तथा आडीटोरियम

†६६०. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या शिक्षा मंत्री २२ दिसम्बर, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की जिन शिक्षा संस्थाओं ने हॉल तथा आडीटोरियम के निर्माण के लिये सहायता मांगी थी, उन्हें दे दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी संस्थाओं ने सहायता प्राप्त की है ; और

(ग) प्रत्येक संस्था को कितनी सहायता दी गयी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ़ टेक्नालोजी, खड़गपुर

†६६१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १७ दिसम्बर, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ टेक्नालोजी खड़गपुर के कार्य तथा विकास के सम्बन्ध में विचार करने के लिये नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर संस्था के बोर्ड आफ़ गवर्नर्स के टिप्पण प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) बोर्ड ने १३ फरवरी, १६६० की अपनी बैठक में उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं परन्तु वे विचार अभी औपचारिक रूप से हमारे पास नहीं पहुचे हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उड़ीसा को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अनुदान

†६६२. श्री संगण्णा :
श्री स० चं० सामन्त :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी योजनाओं की कार्यान्विति के लिये उड़ीसा सरकार को विशेष अनुदान देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है ;

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). १ और २ फरवरी १९६० को राज्य सरकार के पदाधिकारियों से उन योजनाओं के बारे में चर्चा की गयी थी और उस चर्चा के परिणामस्वरूप पुनरीक्षित योजनायें अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं।

रांची में हिन्दुस्तान स्टील लि० का हेडक्वार्टर

†*६९४. श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० का हैडक्वार्टर रांची में नये दफ्तर में स्थानान्तरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब स्थानान्तरित किया गया था ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) २६-१२-१९५९ को।

इंडिया आफिस लायब्रेरी

†६९५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अगाड़ी :
श्री शंकरैया :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडिया आफिस लायब्रेरी के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान द्वारा भेजे गये संयुक्त नोट का ब्रिटिश सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठकें

†६९६. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की अक्तूबर, १९५९ में नई दिल्ली में हुई बैठकों की कार्यवाहियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो बैठकों में किये गये निर्णयों की कार्यान्वित के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ।

†गृह कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) परिषद की सिफारिशों की कार्यान्वित के लिये उन की प्रतियां राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास भेज दी गयी हैं ।

पाइप लाइन संबंधी अध्ययन दल

†६९७. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री मुरारका :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइप लाइन सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय इस रिपोर्ट की बातें बताना लोक हित में नहीं होगा ।

निवेली में तापीय बिजली घर[1]

†६९८. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली में तापीय बिजली घर के निर्माण के लिये मैसर्स टेक्नो एक्सपोर्ट मास्को से विभिन्न उपकरण, संयंत्र तथा मशीनरी प्राप्त होनी शुरू हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक निवेली में १३८३ टन कच्चा, रीइन्फोर्समेंट व स्ट्रकचरल स्टील पहुंचा है और २३७ टन स्टील अभी रास्ते में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Thermal Station.

विश्वविद्यालयों में फिल्म क्लब

†६९९. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या शिक्षा मंत्री ६ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों में फिल्म क्लब स्थापित करने की योजना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) केवल पांच विश्वविद्यालयों ने अभी तक इस पुनरीक्षित योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा प्रकट की है ।

(ख) कुछ नहीं ।

सिरकीवालान (दिल्ली) में अग्निकांड

†७००. श्री बैं० च० मलिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ दिसम्बर, १९५९ की रात को सदर रोड, दिल्ली के सिरकीवालान में सिरकी की झोंपड़ियों में आग लग गयी थी;

(ख) क्या उसके परिणामस्वरूप २५ परिवार बेघर हो गये थे; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उन्हें कोई सहायता दी गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) आठ झोंपड़ियां जल गयी थीं । यह ज्ञात नहीं हो सका है कि कितने परिवारों को बेघर होना पड़ा था ।

(ग) सहायता के लिए कोई भी प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

हिमाचल प्रदेश में तम्बाकू की खेती

७०१. श्री पद्म देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि हिमाचल प्रदेश में तम्बाकू की खेती निजी प्रयोग के लिए एक विशेष सीमा तक वैध थी; और

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि अब वह सीमा घटा कर नगण्य कर दी गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून (सेंट्रल एक्साइज ला) के अन्तर्गत तम्बाकू की खेती पर कभी भी कोई पाबन्दी नहीं लगायी गयी । जान पड़ता है इस प्रश्न का सम्बन्ध उस 'पहाड़ी, जंगली और रेगिस्तानी क्षेत्र योजना' से है जो अब समाप्त हो चुकी है । इस के अनुसार, कुछ हालतों में तम्बाकू को उत्पादन शुल्क से छूट दी जाती थी । यह योजना १९५२ में हिमाचल प्रदेश जैसे बिखरी खेती वाले इलाकों में, जहां आमतौर से तम्बाकू

†मूल अंग्रेजी में

की खेती १० सेंट से ज्यादा जमीन में नहीं की जाती, प्रयोग के रूप में कानूनी तौर के अलावा जारी की गयी थी। यह योजना बिना किसी नोटिस के बन्द की जा सकती थी और वास्तव में २५ जून, १९५९ से बन्द कर दी गयी।

(ख) १९५८ में अखिल भारतीय आधार पर, "मल्टिपल आफिसर्स रेंज स्कीम" नाम की एक नयी योजना जारी की गयी जिसके अनुसार तम्बाकू की खेती नोटिफाइड (गैर-तिज़ारती) और नान-नोटिफाइड (तिजारती) इलाकों में बांट दी गयी है। नोटिफाइड इलाकों में, आमतौर पर पहले से सभी पहाड़ी, जंगली और रेगिस्तानी इलाके व मैदानों के ऐसी ही बिखरी खेती वाले इलाके आते हैं। जिन कलक्टरों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ के नियम १५ और १६ के अनुसार, २० सेंट और १०० पौंड की सीमाओं के अन्दर नोटिफाइड इलाकों का ऐलान करने का अधिकार दिया गया है वे स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखते हैं और इस बात का भी कि बहुसंख्यक सीमांतिक (मार्जिनल) कर-दाता इस योजना के बाहर ही रहें। इसलिए कुछ इलाकों में ६ सेंट तक खेती करने और ४० पौंड तक तम्बाकू पैदा करने वालों तथा हिमाचल प्रदेश के दूर के कुछ इलाकों में १५ सेंट तक खेती करने और ९० पौंड तक तम्बाकू पैदा करने वालों को तम्बाकू की खेती के सम्बन्ध में सूचना देने से मुक्त कर दिया गया है और इसी सीमा तक उन से उत्पादन शुल्क नहीं लिया जाता है। चूंकि नयी योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के अधिकतर गांवों में ये सीमायें बढ़ाकर १५ सेंट (क्षेत्र) और ९० पौंड (पैदावार) कर दी गयी हैं, जब कि समाप्त की गयी 'पहाड़ी, जंगली और रेगिस्तानी क्षेत्र योजना' के अन्तर्गत केवल १० सेंट तक ही छूट दी जाती थी, इसलिए मोटे तौर पर, मौजूदा योजना, समाप्त 'पहाड़ी, जंगली और रेगिस्तानी क्षेत्र योजना' के मुकाबले तम्बाकू की खेती करने वालों के लिए ज्यादा फायदेमन्द है। इस तरह, व्यवहार की दृष्टि से नयी योजना पहले से न सिर्फ आसान और उदार है, बल्कि उसका क्षेत्र भी पहले से ज्यादा बड़ा है।

सोने की खानें

†७०२. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सोने की कुल कितनी खानें हैं ;

(ख) क्या १९५९ में भारत के किन्ही स्वर्ण-क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) इस समय भारत में चार स्वर्ण-खानों में काम चल रहा है। वे हैं —(१) चैम्पियन रीफ़, (२) नंदीद्रुग, (३) कोलार तथा (४) हट्टी।

(ख) और (ग). भारत भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से १९५९ में मैसूर के कोलार तथा गदग स्वर्ण क्षेत्रों का तथा आन्ध्र प्रदेश के रायगिरि स्वर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण जो अभी तक चालू हैं के परिणामों का मूल्यांकन अभी से नहीं किया जा सकता।

†मूल अंग्रेजी में

कोयले का निर्यात

†७०३. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६० तक मासवार कुल कितने कोयले का निर्यात किया गया : और

(ख) पिछले वर्ष की उक्त अवधि में किये गये कोयले के निर्यात की तुलना में यह मात्रा कैसी रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). नवम्बर, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६०, मास वार, किये गये कोयले के निर्यात का ब्योरा निम्नलिखित है :—

नवम्बर, १९५९	१२६,१९० टन
दिसम्बर, १९५९	१३८,६४० टन
जनवरी, १९६०	१४२,३५० टन

नवम्बर, १९५८; दिसम्बर, १९५८ और जनवरी, १९५९ के सम्बन्ध में आंकड़े क्रमशः १६४,८०० टन, १७३,९८० टन और १४३,७९० टन थे ।

पुस्तकालय आंदोलन

†७०४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को उस राज्य में द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए कोई अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गयी है; और

(ग) उस राशि का उपयोग कैसे किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५७–५८ में एक लाख रुपये दिये गये हैं । १९५८-५९ के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अब अनुदान चार मुख्य वर्गों में, अर्थात्, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अन्य शिक्षा योजनाओं के अनुसार दिये जाते हैं ।

(ग) यह अनुदान ग्राम्य पुस्तकालयों को सहायता देने, अंगुल में समन्वित पुस्तकालय सेवा योजना के लिए धन देने और हेडक्वार्टर्स में एक सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए दिया गया है ।

त्रिपुरा में सड़कें

†७०५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में त्रिपुरा में ग्राम्य क्षेत्रों में कितने मील लम्बी सड़कें तैयार की गयी हैं;

(ख) वे सड़कें कहां कहां स्थित हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अभी और कौन कौन सी सड़कें बनायी जानी हैं और इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और कितनी खर्च की जानी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मंत्रियों के दौरे

†७०६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रियों के दौरों में साज-सामान[1] कम करने के लिए कोई उपाय निकाले हैं;

(ख) यदि हां, तो उन का क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या इन उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). जी, हां । किये गये उपायों में से कुछ नीचे दिये गये हैं :—

(१) रेलवे सैलूनों के प्रयोग;

(२) गार्ड आफ़ आनर के पेश किये जाने;

(३) आगमन और विदा के समय के शिष्टाचार;

(४) दौरे में साथ जाने वाले कर्मचारी; और

(५) मंत्रियों के सम्मान में होने वाले समारोहों में कमी कर दी गई है ।

(ग) जी, हां ।

आसाम में सरकारी कर्मचारी

†७०७. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में रहने वाले भारत सरकार के कर्मचारियों की किस श्रेणी को प्रतिकरात्मक भत्ता दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :

राजपत्रित (गजटेड)

जब केवल शिलांग में नियुक्त किये जायें तो 'ख' श्रेणी (बी क्लास) की दरों पर मकान किराया भत्ता ।

अराजपत्रित (नान-गज़टेड)

(क) वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (आफिस आर्डर) संख्या २ (२५)-ई० २/बी/५६ दिनांक २६ जुलाई, १९५६ और १०(२३)-ई०२ (बी)/५७ दिनांक ३ सितम्बर, १९५७ में निर्धारित दरों पर समूचे आसाम राज्य में प्रतिकरात्मक भत्ता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Paragraph 11 a,

(ख) जब केवल शिलांग में नियुक्त किये जायें तो प्रतिकरात्मक भत्ता के अतिरिक्त (ह श्रेणी (बी क्लास) की दरों पर मकान किराया भत्ता ।

पंजाब में स्मारकों की देखभाल

†७०८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब में १९५९–६० के लिये केन्द्रीय रक्षित स्मारकों की देखभाल और मरम्मत के लिये आवंटित कुल धन राशि का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: जनवरी, १९६० तक आवंटित राशि का लगभग ७५ प्रतिशत खर्च किया गया था ।

बस्तर के भूतपूर्व शासक की गिरफ्तारी

†७०९. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जगदलपुर के जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) ने सुनेर उर्फ छोटला की ७ दिसम्बर, १९५९ को मरवा डालने के अपराध में बस्तर के भूतपूर्व शासक, श्री प्रवीन चन्द्र देव को भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ के अधीन गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या यह अनुमति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) दिसम्बर, १९५९ में मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से बस्तर के शासक की तलाशी लेने, सम्पत्ति पर कब्जा करने और उस को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी, यदि इस मामले की जांच-पड़ताल के दौरान इन में से कोई कार्यवाही करना आवश्यक हो। उत्तर में उसे सूचित कर दिया गया था कि वह मामले में जो उचित समझे करे और यह कि जांच-पड़ताल के दौरान वह अभियोजन (प्रासीक्यूशन) को छोड़ कर जो भी कार्यवाही करना मुनासिब समझे करे । राज्य सरकार ने अभी तक शासक पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९७-क के अधीन अभियोग चलाने की भारत सरकार से अनुमति नहीं मांगी है । भारत सरकार को इस बात का पता नहीं है कि जिला न्यायाधीश ने राज्य सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना की है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

औद्योगिक प्रबन्ध पूल

†७१०. { **श्री कर्णी सिंहजी** :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री १८ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्तियों के प्रस्ताव भेजे गये हैं, क्या उन्होंने औद्योगिक उपक्रमों में अपने पद संभाल लिये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: अब ११४ अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पत्र भेजे जा चुके हैं । इन में से ८३ ने अपने पद संभाल लिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में बुनियादी शिक्षा

†७११. श्री दशरथ देव : क्या शिक्षा मंत्री १० अगस्त, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में बुनियादी शिक्षा की प्रगति के बारे किये गये मूल्यांकन का क्या परिणाम निकला ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने और उन को दूर करने के मार्गोपाय ढूंढ़ने के लिये बुनियादी शिक्षा की प्रगति का समय समय पर विभागीय रूप से मूल्यांकन किया जाता है। ये प्रतिवेदन सामान्यतः विभाग द्वारा उपयोग के लिये तैयार किये जाते हैं उन्हें प्रकाशित करने की दृष्टि से नहीं।

त्रिपुरा में मनीपुरी पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी

†७१२. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुरी पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को त्रिपुरा में निःशुल्क शिक्षा की सुविधा मिलती है;

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) १६५६–६० में त्रिपूरा में स्कूल वृत्तिका पाने वाले मनीपुरी विद्यार्थियों की क्या संख्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) मनीपुरी जाति के विद्यार्थियों को सब सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कालिज की पढ़ाई तक और गैर-सरकारी हायर सेकेन्डरी, हाई और जूनियर हाई स्कूलों में १ अप्रैल, १६५६ से निःशुल्क पढ़ाई की सुविधायें मिल रही हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) पांच ।

त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल

†७१३. श्री दशरथ देव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हाई स्कूल हैं;

(ख) उन में से कितने गैर-सरकारी तौर पर चलाये जाते हैं; और

(ग) क्या त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का और हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) तेईस ।

(ख) दस ।

(ग) जी, हां। जब कभी आवश्यकता प्रतीत हो ; ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में राजनीतिक पीड़ित

†७१४. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कितने राजनीतिक पीड़ितों ने सरकार से वित्तीय सहायता के लिये आवेदन किया है; और

(ख) कितने राजनीतिक पीड़ितों को वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) २२ ।

(ख) ६ ।

केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशालायें

†७१५. **कुमारी मो० बेदकुमारी** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत वर्ष १९५९ तक काम कर रही राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला संस्थानों पर कुल कितना खर्च किया गया है; और

(ख) क्या इन प्रयोगशालाओं में किये गये कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ३१ दिसम्बर, १९५९ तक किया गया कुल खर्च लगभग २३,४१,२३,४०० रुपये है ।

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्य का मूल्यांकन वर्ष १९४७ में सर आरदेशिर लाल दलाल की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी पुनर्विलोकन समिति द्वारा किया गया था । सर आल्फ्रेड इगरटन के सभापतित्व में एक समिति ने १९५५ में फिर मूल्यांकन किया । हाल ही में, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिये कार्यकारी परिषदें बनाने के लिये कार्यवाही की गयी है । वैज्ञानिक उप-समितियों की सहायता से, वे अपने अधीन संस्थाओं का मूल्यांकन करती रहती हैं ।

राज्यों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त[1]

†७१६. **श्री सिदय्या** क्या गृह-कार्य मंत्री १ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्तों का चुनाव कर लिया है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: संघ लोक सेवा आयोग ने सहायक आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिये छः व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की है ।

हिमाचल प्रदेश में पोलीटेक्निक

†१७. **श्री हेम राज** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में अब तक कितने पोलीटेक्निक खोले गये हैं और वे कहां पर खोले गये हैं;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाकी कालावधि में कितने पोलीटेक्निक खोले जायेंगे, और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Assistant Commissioners for Scheduled Castes and Tribes

(ग) प्रत्येक पोलीटेक्निक कितनी जनसंख्या और कितने बड़े क्षेत्र के लिये है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल एक पोलीटेक्निक की व्यवस्था है जो कि सुन्दरनगर में खोला गया है । वह सारे हिमाचल प्रदेश के लिये है ।

कुडप्पा में खनिजों का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†७१८. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कुडप्पा जिले में वर्ष १९४७ के बाद खनिजों का कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) १९४७ के बाद किये गये सब सर्वेक्षणों का प्रमुख ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी, हां । कुडप्पा जिले में भारत भूपरिमाप विभाग द्वारा खनिज निक्षेपों का क्रमबद्ध भूतत्वीय मानचित्रण और जांच पड़ताल की गयी है और की जा रही है ।

(ख) १९४७ के बाद कुडप्पा जिले में भारत भू परिमाप विभाग द्वारा की गयी खनिज जांच पड़ताल का प्रमुख निम्न प्रकार है ।

बैराइट्स : भकरापुरम के उत्तर–पूर्व की ओर लगभग $\frac{1}{4}$ मील पर मैसिव क्वार्टजाइट्स के साथ साथ फुछ बैराइट्स का पता लगा था परन्तु वह आर्थिक महत्व का नहीं समझा जाता । कुडप्पा और पुलिपेन्डला तालुकों में उपलब्ध सब प्रकार के सामान के कुल भंडार का अनुमान ६,२३,५०० टन लगाया गया है ।

चूने का पत्थर : की गयी जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप यह अनुमान लगाया जाता है कि कमालपुरम् सब-तालुक के नरजी चूने के पत्थर के ६००० लाख टन होने की संभावना है ।

मेंगनीज : सेटीगुन्ता से लगभग २ मील दक्षिण-पश्चिम में पहाड़ी इलाकों के समीप मेंगनीज के पाये जाने की जांच की गयी । अयस्क बहुत घटिया किस्म का है और वह आर्थिक महत्व का नहीं समझा जाता ।

नासिक रोड में नया करेंसी नोट प्रेस

†७१९. **श्री जाधव** : क्या **वित्त** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक रुपये के नोट छापने के लिये नासिक रोड में एक नया करेंसी नोट प्रेस स्थापित करने में तब से कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इसके लिये आवश्यक इमारत बन गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). नये करेंसी नोट प्रेस के लिये इमारत बन रही है और निकट भविष्य में इसके पूरा हो जाने की आशा है । संयंत्र और मशीनें खरीदी जा चुकी हैं और नयी इमारत के तैयार होते ही इन्हें लगा दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में हत्या की घटनायें

७२०. **श्री पद्म देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में हिमाचल प्रदेश में कितनी हत्यायें की गईं ;

(ख) उन में से कितने मामलों में चालान किया गया ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को सजा दी गयी और कितने व्यक्ति अभी लापता हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) पुलिस में १६ सही मामलों की रिपोर्ट की गई ।

(ख) अब तक ११ मामलों में चालान किया गया है जिनमें से ९ अदालतों में चल रहे हैं : ५ मामलों में जांच-पड़ताल हो रही है ।

(ग) अभी तक किसी भी मुजरिम को सजा नहीं दी गई है और कोई भी मामला लापता करार देकर समाप्त नहीं किया गया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

†**श्रम, रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा):** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) सूती वस्त्र उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन ।

(२) सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यु० बी०-८(७८) दिनांक, २ मार्च, १९६० ।

[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिये संख्या एल० टी०-१९४७/६०]

यह प्रतिवेदन हमें १ दिसम्बर, १९५९ को प्राप्त हो गया था। इस उद्योग में लगभग ५०० मिलें हैं और आठ लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। अतः बोर्ड की सिफारिशों के प्रभावों पर अच्छी तरह विचार करना आवश्यक था। इस हेतु राज्य सरकारों तथा अन्य हितों परामर्श करना पड़ा ताकि घोषणा के बाद इन सिफारिशों को शीघ्रता से व अच्छी तरह लागू किया जा सके । मैं घोषित करता हूं कि इन सिफारिशों पर सरकार के निश्चयों का अन्तिम निर्णय हो गया है ।

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) नियम, १९५७ में संशोधन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** मैं कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी०—१९४८६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन बन्धपत्रों की खरीद

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन बन्ध पत्रों की खरीद के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी०—१९४९/६०]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन जारी की गयी अधिसूचनायें

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(१) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक, २० फरवरी, १९६० का जी० एस० आर० १८३ ।

(दो) दिनांक १८ फरवरी, १९६० का जी० एस० आर० १९८ ।

(तीन) दिनांक २० फरवरी, १९६० का जी० एस० आर० २०१-क ।

[पुस्तकालय में रखी गयीं ; देखिये संख्या एल० टी०—१९५०/६०]

(२) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(क) दिनांक २० फरवरी, १९६० का जी० एस० आर० १८५ ।

(ख) दिनांक १० फरवरी, १९६० का जी० एस० आर० १८६ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी ; देखिये संख्या एल० टी०—१९५१/६०]

(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० फरवरी, १९६० का जी० एस० आर० १८७ ।

(ख) दिनांक २० फरवरी, १९६० का जी० एस० आर० १८८ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी ; देखिये संख्या एल० टी०—१९५२/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दण्डकारण्य में ट्रैक्टरों के बेकार पड़े होने से कथित हानि

†**श्री आसर** (रत्नगिरि) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"दण्डकारण्य में जापान से आयात किये गये ट्रैक्टरों के बेकार पड़े होने के कारण भारत सरकार को हुई कथित हानि।"

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : भूमि कृष्यकरण मशीनों को खरीदने की जरूरत दण्डकारण्य की भूमि को कृषि के योग्य बनाने के लिए थी। सबसे पहले मंत्रालय ने केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की सभी मशीनें, जी काम लायक थीं, अपने हाथ में ले लीं इन मशीनों का अनुमानित मूल्य लगभग २५ लाख रुपये था। चूंकि बहुत बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य बनाना था और केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें भी लानी थीं अतः संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक ने इस प्रयोजन के लिए संसार के सभी देशों से टेण्डर मांगे। सबसे कम मूल्य वाला टेण्डर युद्धास्त्र कारखाने के महा निदेशक का था जापानी मशीनों की संभरण करने के लिए। इस तरह की मशीनें बनाने के लिए (भारत में) प्रतिरक्षा मंत्रालय ने जापानी निर्माताओं के साथ एक करार कर लिया था। इस मामले पर प्रधान मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, पुनर्वास मंत्री तथा वित्त मंत्री के बीच विचार किया गया और उसके बाद युद्धास्त्र कारखानों के महानिदेशक को ५८ मशीनों के संभरण के लिए आज्ञा दे दी गयी। इससे मूल्य तथा विदेशी मुद्रा में बहुत बचत हो गई।

दिसम्बर, १९५८ में इन मशीनों को परालकोट क्षेत्र में काम में लगाया गया। ये मशीनें दो तरह की हैं डी-८० और डी०-१२० जिनकी संख्यायें क्रमशः १६ और ४२ हैं। डी०-१२० तरह की मशीनों का काम अभी तक संतोषजनक रहा है। डी०-८० तरह की मशीनों में कुछ त्रुटि पाई गई और जापानी कर्मचारियों के परामर्श पर उनको काम में लाने से रोक दिया गया। युद्धास्त्र कारखानों के महानिदेशक ने १५ से १७ फरवरी तक परालकोट का दौरा किया और जब वह दिल्ली लौटे तो इस मामले पर उन्होंने, पुनर्वास मंत्रालय के सचिव, और दण्डकारण्य परियोजना के मुख्य प्रशासक से इस मामलें पर बात चीत की। युद्धास्त्र कारखानों के महानिदेशक ने हमें आश्वासन दिया कि त्रुटियां कोई गम्भीर नहीं हैं और उन्हें शीघ्र ही ठीक कर दिया जायेगा। इस संबंध में वह आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। उन्होने यह भी राय दी कि अभी जिन ८ डी-८० तरह के ट्रैक्टरों को चलाया नहीं गया है, उनको तभी चलाया जाये, जब उनमें आवश्यक अतिरिक्त पुर्जे वगैरह लगा दिये जायें। इस संबंध में आदेश दे दिये गये हैं।

चूंकि आगामी वर्ष के बाद दण्डकारण्य में कृष्यकरण कार्य को तेजी से चलाना है अत: सरकार ने निश्चय किया है कि वह युद्धास्त्र कारखानों के महानिदेशक को ५ यूनिटों के लिए आदेश देगी, जिसमें डी-१२० प्रकार की ७५ मशीनें तथा आवश्यक पुर्जे भी होंगे। ये मशीनें सितम्बर, १९६० तक दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के पास पहुंचेंगी। ताकि काम में कोई विलम्ब न होने पावे। इनकी कीमत लगभग १२५ लाख रुपये होगी। इन ट्रैक्टरों में भारतीय पुर्जे लगे होने के कारण उनके मूल्य में क्रमशः २६ लाख रु० व ४५ लाख रु० की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

मशीनों में कुछ त्रुटि मिलने के कारण कृष्यकरण कार्यक्रम में कुछ बाधा अवश्य पड़ी है पर भारत में महत्वपूर्ण मशीनों के उत्पादन कार्य के बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बचाने के हितों को देखने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

के लिए हम कुछ खतरा उठा सकते हैं, यह कुछ अनुचित न होगा । ऐसा खतरा उठाने के बाद ही आगे चल कर उन्नति हो सकेगी ।

अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०-६१

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १९६०–६१ के संबंध में रेलवे की शेष मांगों अर्थात् मांग संख्या २ से २० पर चर्चा आरंभ करेगी । जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हों, वे अपने कटौती प्रस्तावों की संख्या १५ मिनट के अन्दर सभा पटल पर दे दें । यदि माननीय सदस्य उपस्थित होंगे, और उनके कटौती प्रस्ताव अन्यथा नियमानुसार होंगे, तो मैं उन्हें प्रस्तुत किया गया मान लूंगा ।

वर्ष १९६०–६१ के लिये रेलवे की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२.	विविध व्यय .	१,८७,४८,०००
३.	चालू तथा अन्य लाइनों को भुगतान .	२४,४७,०००
४.	सामान्य कार्यवहन व्यय—प्रशासन . .	३९,१०,०२,०००
५.	सामान्य कार्यवहन व्यय—मरम्मत और संधारण	१२३,३६,६७,०००
६.	सामान्य कार्यवहन व्यय—परिचालन कर्मचारी	७४,७४,७४,०००
७.	सामान्य कार्यवहन व्यय—परिचालन (ईंधन) . .	६८,०७,७८,०००
८.	सामान्य कार्यवहन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त) . .	२३,७०,७८,०००
९.	सामान्य कार्यवहन व्यय—विविध व्यय	३२,१३,६५,०००
१०.	सामान्य कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण	११,०५,३०,०००
११.	अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग . . .	४५,००,००,०००
१२.	सामान्य राजस्व में देय लाभांश . . .	५७,२७,०२,०००
१३.	चालू लाइनों पर काम (राजस्व)—श्रम कल्याण . .	१,६४,१८,०००
१४.	चालू लाइनों पर काम (राजस्व)—श्रम कल्याण छोड़ कर .	१२,३५,८२,०००
१५.	नई लाइनों का निर्माण—पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि.	५४,७६,०९,०००
१६.	चालू लाइनों पर काम—विस्तार . .	२६४,१८,१२,०००
१७.	चालू लाइनों पर काम—बदलाव .	९२,३०,६१,०००
१८.	चालू लाइनों पर काम—विकास निधि . .	२५,००,००,०००
१९.	सामान्य राजस्व से ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी—विकास निधि	१,०६,१२,०००
२०.	विकास निधि में विनियोग	१८,४२,५२,०००

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कुन्हन (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अधिक समय न ले कर अपने कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा ।

केरल के लोगों का ख्याल है कि रेलवे सुविधाओं के सम्बन्ध में उन की पूर्ण उपेक्षा की जाती है । मेरा निवेदन है कि शोरानूर जंक्शन के पास एक ऊपरी पुल बनवा दिया जाय । राष्ट्रीय राजपथ से यात्रा करने वालों को इस फाटक के पास बहुत देर तक इन्तजार करना पड़ता है । यह केरल का सब से बड़ा जंक्शन है और यहां पर वैसी सुविधायें भी नहीं हैं, जो ऐसे जंक्शनों पर उपलब्ध हैं ।

पालघाट के पास पार्ली में भी एक ऊपरी पुल की जरूरत है । कोजीकोड नगर के पूर्व की ओर भी एक पुल की जरूरत है, जिसे कई वर्षों में भी पूरा नहीं किया गया है । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इन मांगों पर विचार करें और इन पुलों को बनाने की तुरन्त आज्ञा दें ।

एक और निवेदन है । कोचीन एक्सप्रेस व बंगलौर मेल में बड़ी भीड़भाड़ होती है । अतः जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये वहां इन लाइनों पर दो और गाड़ियां चलाई जानी चाहियें ।

मद्रास से आगे जाने वाले यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वहां उन्हें गाड़ी बदलनी होती है । अतः यदि जी० टी० एक्सप्रेस और दिल्ली जनता एक्सप्रेस में मंगलौर व कोचीन के लिये सीधे जाने वाले डिब्बे लगा दिये जाया करें, तो जनता बड़ी कठिनाइयों से बच जाय ।

केरल में वर्ष के अधिकांश में वर्षा होती है और धूप भी तेज होती है । कुछ स्टेशनों पर प्लेटफार्म पर छाया या शेड नहीं हैं । अतः यात्रियों को कठिनाई होती है । मेरा निवेदन है कि पहम्बी, पार्ली, लक्किटी, नीलाम्बर रोड आदि स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर छाया या शेड का कुछ प्रबन्ध अवश्य व शीघ्र किया जाय ।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेंद्रगढ़) : मैं सिर्फ डिमांड नम्बर २ के बारे में केवल दो, तीन तजवीजें हाउस के सामन रखना चाहता हूं । जैसेकि पहले भी कहा गया कि पैसेंजर एमेनिटीज़ के लिये काफी रकम दी जा रही है तो मेरी इस मामले में सिर्फ इतनी ही तजवीज है कि जो रकम सैंक्शन की जा रही है वह थोड़ी है और हमें उस के लिये यह कोशिश करनी चाहिये कि और ज्यादा रकम दें क्योंकि हम अक्सर यह देखते हैं कि जो भी प्रोग्राम इस सिलसिले में बनाया जाता है वह काफी से ज्यादा अधूरा रह जाता है और उस के लिये यह कहा जाता है कि चूंकि फंड के लिये कमी थी इस लिये प्रोग्राम जिस की कि स्कीम बनाई गई वह वक्त के अन्दर पूरा नहीं हुआ । इस के बारे में मैं दो, तीन तजवीजें भी हाउस के सामने रखना चाहता हूं । पिछले दिनों दो साल हुए इस बात का फैसला हुआ था कि मेरे हलके में एक रेलवे स्टेशन चरखी दादरी के प्लेटफार्म को कवर करने के प्रोग्राम को सन् १९५९-६० में मुकम्मिल किया जायगा लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया और जब मैं ने इस बारे में सवाल उठाया तो यह जवाब दिया गया कि चूंकि फंड की कमी थी इसलिये मैं चाहता हूं कि जो भी प्रोग्राम बनाया जाय उस को मुकम्मिल तौर पर एम्पलीमेंट किया जाय क्योंकि प्रोग्राम जो बनता है अगर वह विदिन टाइम पूरा नहीं होगा तो उस से ज्यादा फायदा नहीं होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले साल का प्रोग्राम है सब से पहले उस की तरफ ध्यान दिया जायगा और उस को मुकम्मिल करने की पूरी कोशिश की जायगी और नये प्रोग्राम को बाद में हाथ में लिया जायेगा । इस के लिये अगर ज्यादा रकम खर्च करनी पड़े तो उस का भी इस्तेमाल करना चाहिय ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

दूसरी मेरी तजवीज यह है कि मेरे हलके में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है उस के दरमियान एक नया फ्लैग स्टेशन बनाने का फैसला हो गया था । रेलवे बोर्ड ने यह फैसला किया था कि इस के लिये गांव के लोग लेबर और ४००० इन कैश दाखिल कर दें तो वह बना दिया जायेगा । अब वह रुपया काफी दिनों से दाखिल हो चुका है तो भी उस हाल्टिंग स्टेशन को बनाने के लिये कोई अमली प्रोग्राम नहीं बनाया गया । यह बड़े दुःख की बात है कि जब रेलवेज़ की तरफ से जो भी शरायत लगाई गई थीं मान ली गईं और कैश रुपया भी दाखिल कर दिया गया तब भी इस को शुरू नहीं किया गया । उस के बाद तो प्रोग्राम को जरूर हाथ में लेना चाहिये था । मुझे पूरा विश्वास है कि इन बातों की तरफ पूरा ध्यान दिया जायगा ।

मैं एक नई रेलवे लाइन की तामीर के मुताल्लिक भी कहना चाहता हूं क्योंकि आनरेबुल मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इस के बारे में कोई खास पूरी तौर से जवाब नहीं दिया । पंजाब के अन्दर दो रेलवे लाइन्स की सब से ज्यादा जरूरत है । यह सवाल दो, तीन दफे हाउस में पहले भी उठाया गया था । एक लाइन तो जगाधरी–लुधियाना वाया चंडीगढ़ बनानी चाहिये । इस रेलवे लाइन की सब से ज्यादा जरूरत है क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और इस बात की जरूरत है कि चंडीगढ़ को मेन लाइन पर लाया जाय ताकि लोगों को वहां राजधानी में आने जाने के लिये रेलवे के जरिए सहूलियत मिले । खास तौर से जिस इलाके से मैं आता हूं वह बैकवर्ड एरिया है और वहां के लोगों को उस जगह पहुंचने में बड़ी मुश्किल पेश आती है और उन का इस में बहुत सा समय जाया होता है । बस के सिवाय और कोई जल्दी पहुंचने का साधन नहीं है । इसलिये मुझे पूरा विश्वास है कि इस रेलवे लाइन को थर्ड फाइव इयर प्लान में जरूर लिया जायगा और चंडीगढ़ को मेन लाइन पर लाने के लिये पूरी कोशिश की जायगी । इस के बारे में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी कई दफे दरख्वास्त आई है और मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से चंडीगढ़ शहर की अहमियत बढ़ेगी और उस के इंडस्ट्रियल और एकोनामिक डवलपमेंट में भी काफी से ज्यादा मदद मिलेगी ।

इस के अलावा एक दूसरी रेलवे लाइन के बारे में भी मैं तजवीज़ रखना चाहता हूं । जैसेकि मैं कई दफे पहले भी कह चुका हूं कि जो दूसरी लड़ाई हुई थी उस लड़ाई से पहले यह मुकम्मिल तौर पर तय हो गया था और मैं ने हाउस में एक सवाल भी रक्खा था और उस के जवाब में भी यह बात बतलाई गई थी और रेलवे बोर्ड से जो मुझे इत्तिला मिली उस के मुताबिक रोहतक और भिवानी को बजरिय रेलवे लाइन कनैक्ट करने की तजवीज़ थी । उस के बारे में सर्वे भी हुआ था लेकिन उस स्कीम को इसलिये पोस्टपोन कर दिया कि दूसरी लड़ाई शुरू हो गई थी । लड़ाई की दिक्कतों के कारण इस काम को हाथ में नहीं लिया जा सका । चाहिये तो यह था कि आजादी के बाद सब से पहले उस रेलवे लाइन के कामको हाथ में लिया जाता लेकिन बड़े दुःख की बात है कि बार बार मांग करन के बावजूद उस रेलव लाइन की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता । मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्कीम को थर्ड फाइव इयर प्लान में जरूर लिया जायगा क्योंकि ऐसा करने से इस बैकवर्ड एरिया के लोगों को सफर करने की सहूलियतें मिलेंगी और यह एरिया इन्डस्ट्रियली और एकोनामिकली तरक्की कर सकेगा । यह तीन, चार तजवीजें मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन को पूरा करने की पूरी कोशिश की जायगी ।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : अध्यक्ष महोदय, यह डिमांड नम्बर २ पर मिसलेनियस एक्सपेंडीचर के तहत जो बहस शुरू हुई है उस में मैं खास तौर पर रेलवे मिनिस्टर साहब के नोटिस में कुछ चीजें लाना चाहता हूं । वैसे जनरल डिसकशन का जवाब देते हुए रेलवे मिनिस्टर साहब ने जो बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही हैं उन से, उन की बजट स्पीच से भी और उस जवाब से भी यह तो साफ

जाहिर है कि रेलवे के मुहकमे ने बहुत तरक्की की है। इस मुहकमे पर जो पंचवर्षीय योजना की वजह से बड़ी भारी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाने की कोशिश की है। खास तौर पर पिछले साल के मुकाबले में भी जो इस हाउस में कई चीजें कही गई थीं और कई किस्म की नुक्ताचीनी की गई थी, उस को भी मुहकमे ने ठीक कर देने की कोशिश की है। गो यह दुरुस्त है कि जितनी एफिशिऐंसी मुहकमे में होनी चाहिये थी जितनी किफायतशारी होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई लेकिन जैसाकि रेलवे मिनिस्टर साहब ने फरमाया इतनी बड़ी किसी भी संस्था में १०० फीसदी काम ठीक होना मुमकिन नहीं है लेकिन फिर भी तरक्की की बहुत गुंजाइश है और मैं खास तौर पर रेलवे मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जैसे अभी एक स्पेशल रिआर्गेनाइज़ेशन यूनिट ने दूसरे मुहकमों में काम करना शुरू किया है और उस की कोशिशों से काफी बचत हुई है। खास तौर पर हाउस के आनरेबुल मेम्बरान को इस चीज का इल्म है जिस स्पेशल रिआर्गेनाइज़ेशन यूनिट ने फारेन एफेयर्स में काम किया तो सिर्फ हमारा लन्दन में जो एक दफ्तर है उस में ३५००० रुपय सालाना की बचत हुई। लेकिन मुझे तो मालूम होता है कि इतना बड़ा काम हो और किसी इंस्टीट्यूशन के सुपुर्द यह काम हो और उस में सिर्फ इतनी थोड़ी सी आमदनं हो जितनी कि रेलवे मुहकमा कर के दिखाता है तो यह आमदनी मेरी राय में कम है और बहुत कम है। अगर यही काम हम किसी प्राइवेट फर्म या कैपटेलिस्ट को सौंपते तो वह इस से दस गुना आमदनी कर के दिखाते। अब इस के लिये वह यह जवाब देंगें कि यह एक यूटिलिटी सर्विस है जैसाकि उन्हों ने फरमाया। लेकिन इस के साथ साथ जब हम अपने देश के लोगों पर तरह तरह के नये टैक्स लगाते हैं तो क्या यह हमारा फर्ज नहीं होता कि यह एक मुहकमा जिस के कि जिम्मे एक मोनोपली हो, जिस के कि सुपुर्द तमाम हिन्दुस्तान की रेलें चलाने की, पैसेंजर्स ट्रैफिक और गुड्स ट्रैफिक की सारी मोनोपली हो तो वह फिर क्यों न इस तरीके से काम करे कि हमारे जनरल रेवेन्यूज़ को ज्यादा आमदनी हो। उस की आमदनी कैसे बढ़ सकती है। एक तरीका जो खुद दूसरे मुहकमों ने आजमा कर देखा है तो मैं यह तजवीज करूंगा कि वह स्पेशल रिआर्गेनाइज़ेशन यूनिट जल्दी से जल्दी रेलवेज़ में कायम करें।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : कल शायद आप ने नहीं सुना कि वह जो ६ करोड़ की बचत हुई है उस में से पौने ६ करोड़ रेलवेज़ का ही है।

श्री मू० चं० जैन : जी क्या कहा ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली): ६ करोड़ की जो बचत है उस में से पौने ६ करोड़ रेलवेज़ का है।

श्री मू० चं० जैन : मेरी इस सिलसिले में तजवीज यह है कि रेलवे मुहकमे के अफसर तो इस किफायतशारी के लिय जितना काम कर सकते हैं वह कर ही रहे है, आप इस मुहकमे से कुछ बाहर के आदमियों को स्पेशल रिआर्गेनाइज़ेशन यनिट के तौर पर लगायें ताकि वह अच्छे तरीके से देखें। पिछले दस बारह बरसों में मैं ने यह बराबर देखा है कि इस मुहकमे में और दूसरे मुहकमों में क्लर्कों और अफसरों की तादाद बढ़ रही है और वह कम होने को नहीं आती। इस के लिये दूसरे मुहकमे के इंडिपेंडेंट अफसरों को लगा कर एक स्पेशल रिआर्गेनाइज़ेशन यूनिट बनाई जाय तो खातिरखाह नतीजा भी होगा और किफायत भी होगी।

दूसरी बात मैं खास तौर पर करप्शन के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे यह एक ऐसा टापिक हो गया है जिस को छेड़ने का कोई खास जी भी नहीं करता। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि लोअर रेंक्स में करप्शन है और अपर रेंक्स में नहीं है। अभी पिछले दिनों जब हमारे मिसटर माथुर ने आर्गेनाइज़ेशन और मैथड डिवीजन के बारे में बहस उठाई थी तो मैं ने आफिशियल करप्शन का ही

[श्री मू० चं० जैन]

नहीं बल्कि नानआफिशियल करप्शन का भी जिक्र किया था । अगर हम को करप्शन को रोकना है तो पहले नानआफिशियल करप्शन को रोकने की कोशिश करनी चाहिये । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा करप्शन रोकने का सपना कभी पूरा नहीं होगा । मैं तो कहता हूं कि हम को लेजिसलेचर के लेवेल पर मिनिस्टरों के लेविल पर, एम० एल० ए० और एम० पीज़० के लेविल पर और गवर्नमेंट आफ इंडिया के मिनिस्टरों के लेविल पर करप्शन को रोकने की कोशिश करनी चाहिये । अगर ऊपर करप्शन बन्द हो तो हम पब्लिक सरविसेज़ में करप्शन को रोक सकते हैं । अगर आज मैं हाई आफिशियल्स के बारे में कहता हूं तो उन को बुरा नहीं मानना चाहिये और न मिनिस्टरों को बुरा मानना चाहिये । मैं एक किस्सा जानता हूं और शायद मिनिस्टर साहब भी जानते होंगे । कुछ दिनों पहले एक किस्सा मेरे नोटिस में आया । एक हाई आफिसर की लड़की की शादी पंजाब में थी । वह शादी पंजाब के एक कोने में हो रही थी । लेकिन सैकड़ों बड़े बड़े आफिसरों ने और हैड्स आफ डिपार्टमेंट्स ने उस शादी में शामिल होने के लिये उसी दिन उस जगह के लिये अपने दौरे डाले । क्या इस तरह से दौरे डालना करप्शन नहीं है । तो यह कहना कि आप के अपर रेंक्स में करप्शन नहीं है बिल्कुल गलत है । जब हम इस गलतफहमी को दूर करेंगे तभी करप्शन जा सकता है ।

आप के यहां कुछ जगहें हैं जोकि करप्शन के नर्व सेंटर हैं जैसे एस० डी० ओ० का दफ्तर है या जनरल मैनेजर का दफ्तर है जहां पर कि छोटे छोटे क्लर्कों के, स्टेशन मास्टरों के और गुड्स क्लर्कों वगैरह के ट्रांस्फर के पेपर पुट अप किये जाते हैं, वहां पर करप्शन की जड़ है । मेरे नोटिस में ऐसे कई केस हैं कि एक एक ऐसा आदमी है जोकि उस नर्व सेंटर पर बैठा है उस को नहीं हटाया जा सकता । मुझे इस तरह का तजरबा है । मैं ने एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया है । इन नर्व सेंटरों पर एक एक आदमी दस दस पांच पांच बरस से बैठा है । अगर कोई अफसर ऐसा आ जाता है और उस का तबादला कर देता है तो ऐवान का ऐवान हिल जाता है और फिर उस को वहीं वापस किया जाता है । तो इन नर्व सेंटरों की वजह से आप के मुहकमे के छोटे छोटे मुलाजमीन को बड़ी परेशानी हो रही है । कुछ स्टेशनों पर आमदनी होती है और कुछ पर नहीं होती । जो नर्व सेंटर को एप्रोच कर लेता है उस को आमदनी वाले स्टेशन पर भेज दिया जाता है और जो एप्रोच नहीं करता उस को धक्के दिये जाते हैं ।

टिकिटलैस ट्रेवलिंग के बारे में श्री शाहनवाज़ खां ने कहा था और रेलवे के एक अखबार में भी यह बात निकली थी कि रेलवे को सालाना टिकिटलैस ट्रेवलिंग से पांच करोड़ का नुकसान होता है । अगर पूछा जायगा कि आप उस का क्या इन्तजाम करते हैं तो आप कहेंगे कि साहब जितना ह्यूमैनली पासिबिल है, जितना हमारी ताकत में है, उतना हम रोकने की कोशिश करते हैं । मैं कहता हूं कि छोटी लाइनों को तो आप छोड़िये । जहां तक ब्रांच लाइनों का ताल्लुक है, मुझे तजर्बा है, और परसों शायद एक मेम्बर साहब ने कहा भी था कि ब्रांच लाइनों पर तो लूट मची हुई है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मेन लाइनों पर इस को रोकने के लिये आप का क्या सिस्टम है और क्या उस को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता । मैं समझता हूं कि उस को इम्प्रूव करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है । अगर आप इस पांच करोड़ की बचत कर सकें तो जो आप ने ५ पैसे का टैक्स लगाया है उस की जरूरत नहीं होती । मैं टैक्स लगाने के वैसे खिलाफ नहीं हूं । अगर आप अपनी योजनायें चलाना चाहेंगे तो आप को टैक्स तो लगाना ही होगा । लेकिन लोगों को यह देख कर दुःख होता है कि एक तरफ तो आप टैक्स लगाते हैं लेकिन उस से उन को पूरा फायदा नहीं होता । वह तो मैं मानता हूं कि इस चीज़ को कतई तौर पर तो बन्द नहीं किया जा सकता लेकिन क्या रेलवे मिनिस्टर साहब को तसल्ली है कि जितनी कोशिश उन के मुहकमे की होनी चाहिये उतनी हो रही है । आप को इस लीकेज को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिये । अगर किसी बरतन के पेंदे में छेद हो और आप उस में

पानी डालते जायें तो वह कभी नहीं भर सकता । इसलिये आप को इस लीकेज को रोकने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये ।

ये बातें तो मुझे रेलवे बजट के जनरल डिसकशन के वक्त कहनी चाहिये थीं, लेकिन तब मुझे मौका नहीं मिला, इसलिये मैं ने इस मौके पर ये बातें अर्ज कर दीं । अब मैं कुछ अपने एरिया को एमेंनिटीज़ और रेलवे लाइनों के बारे में आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं ।

मुझे खुशी है और मैं रेलवे के मुहकमे, मिनिस्टर साहब, डिप्टी मिनिस्टर साहिबान का दिली शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्हों ने जींद, पानीपात, कुरुक्षेत्र, नरवाना सेक्शन पर कुछ फालतू ट्रेनें चला दीं जिस से लोगों को बहुत सहूलियत हो रही है । मैं ने उन से ऐसा करने की दरख्वास्त की थी । उन्होंने मेरी दरख्वास्त के मुताबिक ज्यादा ट्रेनें चला कर लोगों को जो सहूलियत दी है उस के लिये मैं उन का शुक्रिया अदा करता हूं ।

लेकिन एक चीज है जिस के बारे में पंजाब के तमाम मेम्बरान ने मिनिस्टर साहब से दरख़ास्त की है । पंजाब में रोहतक पानीपत गोहाना लाइन जोकि सन् १९४०-४१ में डिसमेंटल हुई थी जंग के जमाने में, उस लाइन को जो आप ने पारशियली रेस्टोर किया है सिर्फ रोहतक से गोहाना तक, लेकिन गोहाना से पानीपत तक अभी नहीं रेस्टोर की है । मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि मुहकमा यह कहता है कि जब यह देख लें कि हम को रोहतक गोहाना लाइन से कमर्शियली फायदा होता है तब हम आगे रेस्टोर करेंगे । मैं कहता हूं कि इस तरीके से आप सही अन्दाजा नहीं लगा सकते, आप ने आधी लाइन रेस्टोर की है और आधी छोड़ दी है । और फिर उम्मीद करते हैं कि आप को उस से फायदा होगा । यह कभी नहीं हो सकता । यह डिफेक्टिव कमर्शियल थिंकिंग है । जब तक आप इस पूरी लाइन को रेस्टोर नहीं करेंगे तब तक आप का फायदा होने का सपना पूरा नहीं हो सकता । अगर आप इस पूरी लाइन को रेस्टोर नहीं करना चाहते हैं तो जो रोहतक गोहाना आप ने रेस्टोर की है उस को भी उठा लीजिये क्योंकि इस लाइन से फायदा तभी होगा जब आप इस को गोहाना से पानीपत तक मिला दें । पानीपत में शुगर मिल है, रोहतक में शुगर मिल है, जींद के पैसिंजर हैं, करनाल के पैसिंजर हैं, तो इतना सारा एरिया आप को मिलता है । मेरी दरखास्त है कि आप मेहरबानी कर के इस को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करायें, इस पर रुपया तो खर्च होगा ही, लेकिन यह बहुत जरूरी चीज है और पंजाब के तमाम मेम्बर आप से इस के सिलसिले में रिक्वेस्ट कर चुके हैं ।

इसके बाद दूसरी चीज मैं ओवर ब्रिजेज़ के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में जबाब दिया है कि इसके लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे उस जवाब से तसल्ली नहीं हुई । आप फरमाते हैं कि इस काम का ताल्लुक स्टेट गवर्नमेंट्स से और लोकल बोर्डस् से है, कुछ काम उन्हें करना है, कुछ रुपया उन्हें देना है, हम क्या करें हम उनको लिखते हैं । लेकिन मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि जिस स्टेट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है उसका मुझे तजर्बा है । १९५६ में मैं पंजाब में इस मुहकमे का इनचार्ज था और मैं ने ओवर हैड ब्रिजेज की तमाम फाइलें मंगवाई और हिदायत दी कि मुझे बताया जाय कि इस काम में क्या प्राग्रेस होती है । सन् १९५६ से अब सन् १९६० आ गया, इस अरसे में कोई प्राग्रैस नहीं हुई है, मामला ज्यों का त्यों पड़ा है । यह काम इस तरह से नहीं हो सकता । इसके लिए आप कोई कोआर्डिनेटिंग एजेंसी बनाइये जो कि इस काम की जिम्मेदारी ले । इस तरह कहने से कि मिनिस्ट्री यह कर रही है, और स्टेट से यह कहा जा रहा है, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे चाहे आप खुद रेसपांसिबिलिटी लें या कोई कोआर्डिनेटिंग एजेंसी बनाऐं जो कि जिम्मेदारी ले तब यह काम आगे बढ़ सकता है, । खर्च के सिलसिले में जो मैशिनरी है उसको खास तौर पर सिम्पलीफाइड करना

[श्री मू० चं० जैन]

चाहिए। तभी यह चीज़ कामयाब हो सकती है। पंजाब में इस तरह का राजपुरे का मामला है, लुधियाने का मामला है, जालंधर का मामला है और हिसार में ओवरहैड ब्रिज की जरूरत है। कहा जाता है कि इनके लिए स्टेट गवर्नमेंट हमको प्रायरिटी लिस्ट भेजे। चार साल से यह मामला चल रहा है और अभी तक कुछ काम नहीं हो पाया है। यह बड़ी अहम यूटिलिटी की चीज़ें हैं और इसके बगैर पब्लिक को बहुत तकलीफ है। इसकी तरफ खास तवज्जह दी जानी चाहिए। पंजाब के जो मामले थे वह मैं जानता था और उनको मैंने आपके नोटिस में ला दिया लेकिन इस किस्म की तकलीफ मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी है जिसके बारे में मेम्बरान ने आप से रिक्वेस्ट की है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप कोई ऐसा कदम उठाएं जिसका खातिरखाह नतीजा निकले जिस से कि अगले साल के बजट के मौके पर इस शिकायत की गुंजाइश न रहे। तभी मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपको हार्दिक बधाई दूंगा।

इसके बाद एक चीज है पैसिंजर एमेनिटीज के बारे में। अब की दफा आपने इसके लिए २ करोड़ रुपया रखा है और पिछले साल भी रखा होगा। रेलवे वालों के क्वार्टर्स के लिए आपने ६ करोड़ रुपया रखा है। मैं तीसरे चौथे दिन करनाल के स्टेशन से आता जाता हूं तो उस वक्त वहां के स्टेशन मास्टर, और असिसटेंट स्टेशन मास्टर उनको जो तकलीफ होती है मुझ से कहते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा करने में इन्सानी खसलत के खिलाफ कुछ नहीं है। अगर उन की कोई तक्लीफ मैं माननीय मंत्री के महकमे के नोटिस में लाऊं, तो महकमा इस बारे में ऐलर्जिक होता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मुझे पार्लियामेंट में भी यह क्वेश्चन रेज़ करना पड़ा। अगर मिनिस्टर साहब बिहार में अपनी कांस्टीच्युएन्सी में जायें, तो चूंकि वह मिनिस्टर हैं, इसलिये रेलवे के आदमी उन से शायद कुछ न कहें, लेकिन अपनी तक्लीफ़ों और शिकायात को नोटिस में लाना एक कुदरती बात है। पिछले दिनों जब हम चंडीगढ़ गए, तो वहां के स्टेशन वालों ने अपनी तक्लीफ़ों का जिक्र किया। यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों की तक्लीफ़ों को माननीय मंत्री और महकमे के नोटिस में लायें। जब हम करनाल के लोगों की तक्लीफ़ों को महकमे के नोटिस में लाते हैं, तो उन के जो जवाब आते हैं, मुझे उन से गुस्सा आता है। उन के एक एक शब्द से मालूम होता है कि महकमे वाले इस बात से नाराज़ हैं कि मैं उन के काज़ को क्यों ले रहा हूं। वे कहते हैं कि अपने स्टाफ की तक्लीफ़ों को हम मिटाने वाले हैं और इस लिए पार्लियामेंट के मेम्बरों को क्या ज़रूरत है कि वे इस में दख़ल दें। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह कोई अच्छा रवैया नहीं है। यह एक इन्सानी बात है कि जब एक स्टेशन पर रहते हैं और उतरते चढ़ते हैं, तो वहां की तक्लीफ़ें हमारे नोटिस में लाई जाती हैं। हर एक मेम्बर को इस का तजुर्बा होगा। अगर हम स्टाफ़ के किसी इंडिविजुअल की तक्लीफ़ को नोटिस में लायें कि उस की तरक्की हो, या कुछ और हो, तो उस पर गिला किया जा सकता है, लेकिन अगर हम उन लोगों के क्वार्टर्ज के ड्रेनेज प्राबलम की बात महकमे के नोटिस में लायें, तो इस में एतराज की कोई गुंजायश नहीं होनी चाहिये। वहां का ड्रेनेज ठीक नहीं है और गला सड़ा पानी खड़ा रहता है, इसलिये उस को ठीक किया जाय। वहां पर बीस क्वार्टरों में से पांच में तो बिजली लगी हुई है और पंद्रह में नहीं है। बिजली सारे शहर में लगी हुई है और उन पांच क्वार्टरों में भी है, लेकिन पंद्रह क्वार्टरों में नहीं है। उन पंद्रह क्वार्टरों के बच्चे तो लालटेन ले कर पढ़ते हैं और पांच क्वार्टरों के बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ते हैं, तो इस से क्या हार्ट-बर्निंग नहीं होगी? क्या ऐसी सूरत में स्टाफ़ के आदमी शान्ति से काम कर सकेंगे। जहां तक ख़र्च का सवाल है, मैं श्री जगजीवन राम की ख़िदमत में कहना चाहता हूं कि तीन चार बरस से एस्टीमेट्स बनते जा रहे हैं। इस में सिर्फ़ छः सात हज़ार रुपये का ख़र्च है, लेकिन क्या मजाल कि नौ करोड़ में से छः हज़ार करनाल पर ख़र्च किया जाये और शायद

इस वजह से कि पार्लियामेंट के एक मेम्बर की हिम्मत हुई कि उस ने स्टाफ़ का क्वस्चन उठा दिया। यह बात मुनासिब नहीं है कि अगर किसी पार्लियामेंट के मेम्बर ने स्टाफ की फ़ैसिलिटी का सवाल उठा दिया, तो उस सवाल को हल करना ही नहीं। उन की भी इस में शान है और पार्लियामेंट मेम्बरों की भी इस में शान है कि उस को हल किया जाय। मैं चाहूंगा कि इस में अब देर न की जाय और मिनिस्टर साहब पर्सनली इस पर ध्यान करें और इस तक्लीफ़ को दूर करें।

स्पीकर साहब, बातें तो मैंने और भी कहनी थीं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं महदूद करता हूं और आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

†**श्री रा० रा० मिश्र** (फैज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर, २ से १५ तक जो वर्किंग एक्सपेंसिज़ दिए गए हैं, उन की तरफ़ मैं माननीय रेलवे मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मालूम होता है कि हमारे वर्किंग एक्सपेंसिज़ हर साल ज्यादा बढ़ रहे हैं। बजट के काग़ज़ों के साथ जो किताब इंडियन रेलवेज, १९५८–५९ दी गई है, उस के पेज २१ पर रेलवेज़ के वर्किंग एक्सपेंसिज़ का जो चार्ट दिया हुआ है, उस से मालूम होता है कि १९५६–५७ में २३३ करोड़ रुपये के एक्सपेंसिज़ थे और १९५७–५८ में वे बढ़ कर २६४ करोड़ रुपए हो गए। १९५८–५९ में वे २७६ करोड़ रुपये हो गए हैं। यह ख़र्चा १९५४–५५ में २३५ करोड़ रुपये था। इस से पता चलता है कि ख़र्चा इस साल पार साल ३४ करोड़ रुपये ज्यादा हो गया है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे एक्सपेंसिज़ ज्यादा बढ़ रहे हैं और इस को देखने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि हमारे रेलवे मंत्री महोदय और रेलवे प्रशासन इन सब बातों की तरफ़ देखता रहा है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बातों में कमी की गुंजायश हो? मान लीजिए कि इस साल फ्यूल के सम्बन्ध में ९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। फ्यूल पर पार साल ५९ करोड़ रुपये का खर्च था और इस साल ६८ करोड़ रुपये रखा गया है। यह सही है कि इस साल कोयले के दाम में वृद्धि के कारण और कुछ एक्साइज सैस बढ़ जाने से कुछ वृद्धि हो जाना ज़रूरी है, लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं है कि इस में कुछ कटौती हो सके। यद्यपि यह कहना कठिन है कि रेलवे मंत्रालय और रेलवे का प्रशासन इस तरफ़ ध्यान नहीं देता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस तरफ़ कम ध्यान दिया जाता है। हमारे सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरफ़ ध्यान दिलाया है कि मंत्रालय को अपने ख़र्चे में कमी करने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये, ताकि यह मालूम हो सके कि रेलवे का ख़र्चा कम हो रहा है और आमदनी बढ़ रही है। इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम रेलवे से कुछ बचा लें, बल्कि पब्लिक को मालूम होना चाहिये कि हमारा ख़र्चा कम और आमदनी ज्यादा बढ़ रही है और रेलवेज़ एक कमर्शियल वाडी के तौर पर काम कर रहे हैं। पहली बात यह है कि इस में ख़र्च कम करने की ओर विशेष कर कोयले के ख़र्च में कमी की ज़रूरत है। माननीय मंत्री महोदय ने कोयले के खर्चे में जो कमी करने के स्टेप्स लिए हैं, वे उपयुक्त ही हैं, लेकिल फिर भी उस तरफ विशष ध्यान देने की ज़रूरत है।

जहां तक नई रेलवे लाइन्ज़ का सम्बन्ध है, डिमांड नम्बर १५ में ५४,७६ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस में बहुत सी लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में रुपया है। इस में कुछ रुपया टांडा-अकबरपुर लाइन के सम्बन्ध में है। इस लाइन का मसला करीब बारह-तेरह सालों से सामने है और चार पांच साल से लगातार इस के लिये कुछ रुपया रखा गया है, लेकिन इस को शुरू करने की नौबत नहीं आती है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जानते होंगे कि टांडा एक मशहूर तिजारती मुकाम है। वहां की डोरियां और मामदानी आज से नहीं सैकड़ों बरसों पहले से मशहूर हैं और वे बाहर जाया करती थीं। लेकिन वह रोज़गार ख़त्म हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि टांडा-अकबरपुर लाइन का काम इस साल शुरू किया जाये।

[श्री रा० रा० मिश्र]

तीसरी पंच-वर्षीय योजना के सम्बन्ध में मैं रेलवे मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि नार्थ-ईस्ट्रन रेलवे घाघरा नदी के उत्तर तक जाती है और उस का आखिरी मुकाम लकड़मंडी है। घाघरा नदी के दक्षिण की तरफ़ नार्दन रेलवे जाती है और उस का आखिरी मुकाम घाघरा नदी पर अयोध्या है। इन दोनों के बीच में करीब करीब तीन चार मीलों का फ़ैसला है। यदि वहां पर रेलवे ब्रिज बन जाये, तो उस से नार्दरन रेलवे और नार्थ-ईस्ट्रन रेलवे का मिलान हो जाये और इस तरफ़ दक्षिण से उत्तर जाने का रास्ता सुलभ हो जाये। यह नैशनल हाईवे के ऊपर भी है और यहां से दक्षिण से नेपाल जाने का भी रास्ता है। यहां पर यह ब्रिज बन जाने से दोनों रास्ते जुड़ जायेंगे और लखनऊ से आसाम जाने का जो रास्ता है, जो नैशनल हाईवे है, वह बिल्कुल साफ़ हो जायगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। मैं प्रार्थना करूंगा कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना में इस तरफ़ ध्यान दिया जाये।

जहां तक रेलवे पैसेंजर एमिनिटीज़ का सवाल है, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि ९.८७ करोड़ रुपये चार बरसों में ख़र्च हुए और अगले वर्ष ५.१३ करोड़ रुपये इस पर ख़र्च होंगे। ऐसा मालूम होता है कि अभी तक हम ने १५ करोड़ रुपये में से कम ख़र्च किया है और इस साल ज्यादा ख़र्च करना है। मैंने पहले भी सदन का ध्यान इस तरफ़ दिलाया था कि छोटे स्टेशनों की तरफ़ मंत्रालय का ध्यान कम है। मैंने अपने ज़िले के दो तीन रेलवे स्टेशनों की तरफ़ ध्यान दिलाया है—दियोरा कोट, दर्शननगर वगैरह की तरफ़, कि वहां पर कोई प्लैट फ़ार्म नहीं है, वहां पर सिगनल नहीं है, वहां पर बैठने की जगह नहीं है, बैंचिज़ वगैरह नहीं हैं। हमें खुशी है कि रेलवे मंत्री महोदय ने इस साल यह आश्वासन दिया है कि उन्होंने सर्कुलर ज़ारी किया है कि छोटे स्टेशनों का ध्यान रखा जायेगा और उन को एमिनिटीज़ की सुविधा दी जायेंगी। लेकिन मैं नहीं जानता कि वे आश्वासन काम में आयेंगे। मेरी इच्छा और प्रार्थना है कि छोटे स्टेशनों के सम्बन्ध में इस आश्वासन को पूरा किया जाये और कम से कम वारिश के वक्त मुसाफ़िरों के बैठने के लिये छोटे से शैड का इन्तज़ाम ज़रूर होना चाहिये। उस पर ज्यादा ख़र्चा नहीं होना है। जब हम बड़े स्टेशनों पर लाखों करोड़ों रुपये ख़र्च करते हैं, तो यह आवश्यक है कि देहात के रहने वालों के लिये छोटे स्टेशनों पर भी कुछ सुविधायें दी जायें।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं उस के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर रेलवे के मुलाज़मीन और ख़ासकर रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स के लोग इस तरफ़ विशेष ध्यान दें, तो इस में बहुत कमी हो सकती है। मैंने एक आध दफ़ा रेलवे पुलिस के लोगों को फ़र्स्ट क्लास के डिब्बे में सोते हुए देखा है। मैंने जब उन को कहा कि वह क्या काम करते हैं, तो मुझे जवाब मिला कि मैं सो लूं थोड़ी देर, मैंने ड्यूटी अभी करनी है। इस तरह की वे गफलत करते हैं। रेलवे प्रोटेकशन फोर्स के सम्बन्ध में जैसा की अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि वे चोरियां कराने में मदद करते हैं आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उसको सचेत करना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो मुझे विश्वास है कि जो रेलों पर चोरियां हो जाती हैं या लोकोस में चोरियां हो जाती हैं, या डायनमो सैट्स काट लिए जाते हैं या बल्ब निकाल लिये जाते हैं, इनमें कमी आ सकती है और जो नुक्सान होता है वह कम हो सकता है।

कम्पेसेशन देने का जहां तक प्रश्न है माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इस साल उनको सिर्फ ३.१३ करोड़ रुपये देने पड़े हैं और पार-साल ज्यादा देने पड़े थे। मैं समझता हूं कि इस पर संतोष मान कर नहीं चला जा सकता है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। जब हम नये नये टैक्स

लगाते जाते हैं तो हमारा यह देखना भी कर्त्तव्य हो जाता है कि एक एक पैसा बचाने का हम प्रयत्न करें। अभी आपने पांच नए पैसे प्रति रुपया फ्रेट चार्जिज में बढ़ाया है जिस के खिलाफ सारे देश में शोर मचा हुआ है। कम्पेसेशन के तौर पर जो ५०–६० लाख रुपया कम देना पड़ा है, इस पर ही आपको संतोष नहीं मानना चाहिये। आपको चाहिये कि जो अधिकारी गफलत करें उनके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें। बजट पेपर्ज़ को पढ़ने से हमें यह मालूम नहीं पड़ा है कि कहां-कहां और किन-किन स्टेशनों पर किन-किन लोगों के खिलाफ़ क्या एकशन लिया गया है और यह भी हमें मालूम पड़ना चाहिये था। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और जो कम्पेंसेशन दिया जाता है, उसको और भी कम करने का प्रयत्न करें।

ओवर-क्राउडिंग का जहां तक सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है कि पार-साल और इस साल भी कुछ नई ट्रेनें चलाई गई हैं। लेकिन उससे इस ओवर-क्राउडिंग की समस्या हल नहीं हुई है और न ही उनसे लोगों को सन्तोष हुआ है। रेलवे मंत्री महोदय स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्हें अभी तक इस बारे में सन्तोष नहीं है और अभी भी काफी ओवर क्राउडिंग होता है। मेरा सुझाव है और यह सुझाव कई दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा भी दिया गया है कि कुछ और डिब्बे एयर-कंडिशन वगैरह को निकाल कर तीसरे दर्जे के लगाये जायें, थर्ड क्लास की कोचिज़ लगाई जाएं और इनको खास तौर पर उन लाइनों पर लगाया जाए जहां पर कि बहुत ज्यादा ओवरक्राउडिंग होता ह ताकि वह कम हो सके। साधारण जनता आज काफी परेशान है और लोग कहते हैं कि देश में दो तबके हो गए हैं, एक बड़ा और एक छोटा और हम लोग जो कि इस सदन के सदस्य हैं उनके बारे में भी वे कहने लग गए हैं कि ये बड़े तबके में आते हैं। वे समझते हैं कि इनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऊंचे दर्जे पर होने वाले खर्चे को कम करके तीसरे दर्जे की नई कोचिज़ लगाई जायें, उसकी तायदाद बढ़ाई जाए।

टिकिट लैस ट्रेवल के बारे में मुझे यह कहना है कि इसको रोकने के लिए रेलवे मंत्रालय ने जो कदम उठाये हैं, वे उपयुक्त हैं। मैं चाहता हूं कि इस ओर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए ताकि एक तो यह जो अनैतिकता बढ़ रही है, इस पर रोक लगाई जा सके और दूसरे आपकी आमदनी बढ़ सके। इज चीज़ को रोकने के लिये और भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

१ अप्रैल, से ५ नए पैसे प्रति रुपया फ्रेट पर बढ़ाने का जो आपने प्रस्ताव किया है उसमें से मिलिटरी, होस्टल और रेलवे के सामान को मुक्त कर दिया है, वह मुनासिब ही किया गया है। हमारे देश का जो गरीब तबका है वह चाहता है कि फूडग्रेंज़ तथा जो दूसरी खाने पीने की चीज़ें हैं वे भी इससे मुक्त कर दी जायें ताकि जो खाने का रोज़ाना खर्चा है जो लिविंग एक्सपेंडिचर है, वह न बढ़ने पाए और वे महसूस कर सकें कि उनकी आजीविका की चीज़ों को इससे मुक्त कर दिया गया है जिससे उनको कुछ राहत मिली है। मेरा खयाल है कि रेलवे मंत्रालय इसके बारे में विचार कर रहा है। यदि उसने इनको इस कर से मुक्त कर दिया तो मैं समझता हूं कि रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन जनता के धन्यवाद के पात्र होंगे और वह उनकी कृतज्ञ होगी।

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़) : प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिए केवल २०० करोड़ रु० व्यय किये जाने वाले थे पर जरूरतों को देखते हुये ४२३ करोड़ रु० व्यय किये गये। उसके बाद दूसरी योजना में रेलवे के लिए ११२५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। आशा है कि रेलवे की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये यह राशि कुछ अधिक नहीं है और इससे भी भी अधिक राशि इस योजना के अन्त तक खर्च हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कालिका सिंह]

साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि तीसरी योजना पर विचार करते समय भी हम रेलवे के लिए समुचित राशि की व्यवस्था करेंगे ताकि हमारी परिवहन सेवायें किसी तरह जरूरत से कम न पड़ने पावें।

अनेक माननीय सदस्यों ने रेलवे के विस्तार की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अधिकाधिक नई लाइनें बनाई जायें। पर ध्यान रहे कि पुरानी व नई लाइनों के बनाने के साथ-साथ रेलवे की कार्य कुशलता भी बढ़ानी है। उसके बढ़ाये बिना हमारा विकास कार्य सफल नहीं हो पायेगा।

इस समय रेलवे की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है। उसकी खाता पूंजी १२०० करोड़ रुपये है। इसी लिए विश्व बैंक ने रेलवे को ऋण दिया है——जब कि उसने अनेक अन्य उपक्रमों को ऋण नहीं दिया है। तीसरी और चौथी योजनाओं में रेलवे अधिक ऋण नहीं ले सकेगी। अतः मेरा निवेदन है कि रेलवे का विस्तार-कार्य काफी सावधानी के साथ किया जाये। हम सीमा से अधिक विस्तार न करें।

दूसरी योजना में रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए ५० करोड़ रु० की व्यवस्था है। पर सामान्य शिकायत यही है कि इंजीनियरिंग विभाग इससे बहुत सी राशि बरबाद कर रहा है। मेरा कहना है कि इस सम्बन्ध में ध्यान रखा जाये कि धन गलत तरीके से खर्च न होने पावे।

गाजीपुर गंगा पुल के सम्बन्ध में माननीय मंत्री का कहना है कि इस परियोजना का परीक्षण किया जा चुका है। इस परियोजना पर १४ करोड़ रु० व्यय होगा। इस पुल के बन जाने के बाद गाजीपुर——आजमगढ़——अकबरपुर लाइन बनेगी। यह पुल बहुत आवश्यक है।

अकबरपुर——टांदा लाइन युद्ध के जमाने में उखाड़ दी गई थी। १९५८ और १९५९ के बजट में इस लाइन को फिर से लगाने के लिए धन की व्यवस्था की गई थी पर न जाने क्यों काम शुरू ही नहीं किया गया। इस वर्ष फिर आयव्ययक में इस लाइन को बिछाने के लिये धन की व्यवस्था की गई है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री आश्वासन दें कि इस वर्ष इस लाइन का काम अवश्य शुरू कर दिया जायेगा।

औढियार एक बहुत बड़ा जंक्शन है। यहां एक चारदीवारी है। जनता चाहती थी कि इस दीवार को हटा कर लगभग २५ फुट जगह छोड़ दी जाये जनता के लिये। उत्तर पूर्व रेलवे के चीफ इन्जीनियर खुद मौके पर गये और उन्होंने कहा कि दीवार को हटा कर २५ फुट जगह छोड़ दी जाये। पर उसके बाद उस जगह के लिए औढ़ियार ग्राम पंचायत से २०,००० रु० की मांग की जा रही है। भला यह कहां का न्याय है। इस सम्बन्ध में पत्रव्यवहार चल रहा है मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जनता की इस मांग पर सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार करें।

अब मैं भ्रष्टाचार सम्बन्धी बातों को लेता हूं। इस सम्बन्ध में दो विभाग काम कर रहे हैं——१. गृहकार्य मंत्रालय का विशेष पुलिस विभाग और रेलवे का चौकसी विभाग। अयोध्या में सरजू नदी पर एक पुल बन रहा था। चुनार से पत्थर आ रहा था। वैगनों में नाप से अधिक पत्थर भरा जा रहा था। किसी ने शिकायत कर दी। इस पर विशेष पुलिस विभाग व रेलवे चौकसी विभाग के लोगों ने वहां जांच की। ठेकेदार पकड़े गये। रेलवे के लोग भी पकड़े गये। भ्रष्टाचार का पता लगा। पर बाद में इन दोनों विभागों के बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई। अतः मेरा कहना है कि इसके लिए एक ही अच्छा विभाग होना चाहिए ताकि काम में गड़बड़ी न हो।

माननीय मंत्री को चाहिए कि वह इस मामले की छानबीन करके इसे समाप्त करें। यह दोहरी व्यवस्था लाभदायक नहीं है।

यात्री सुविधाओं के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि १९५६ और १९५८ के आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि १९५९ में १९५८ की तुलना में प्रथम श्रेणी के व वातानुकूलित डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गयी और तीसरी श्रेणी के डिब्बों की संख्या कम कर दी गई है। मेरा कहना है कि प्रथम श्रेणी और तीसरी श्रेणी दोनों के डिब्बे बढ़ाये जायें। यदि ऐसा किया जायेगा, तो तीसरी श्रेणी में अधिक भीड़भाड़ नहीं होगी।

†श्री अ जद अ नी (धुबरी) : सबसे पहले मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। मेरे प्रदेश, आसाम की हालत उनसे कुछ छिपी नहीं है। वह जानते हैं कि रेल सुविधा के सम्बन्ध में आसाम की हालत सबसे पिछड़ी हुई है। अन्य प्रदेशों की तुलना में वहां रेल सुविधायें बहुत कम हैं।

गारो पहाड़ी क्षेत्र के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वहां उद्योग विल्कुल नहीं है। पर वहां सीमेन्ट का, कोयले का तथा कागज़ का उद्योग खोला व चलाया जा सकता है। बहुत सा सामान बाहर से आसाम में आता है। आसाम में परिवहन सुविधा न होने के कारण टनों फल सड़ जाते हैं। अतः माननीय मंत्री को इन बातों पर ध्यान करना चाहिये और वहां का विकास करना चाहिए। यदि वहां रेल लाइनें बन जायें, तो आसाम इतना पिछड़ा हुआ नहीं रह जायेगा, जितना पिछड़ा हुआ, वह इस समय है।

रेलवे मंत्रालय ने पांडु-अमीनगांव पर पुल बनाने का निश्चय कर लिया है, १९४६ में रेलवे बोर्ड ने एक समिति नियुक्त की थी। इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए १९४९ में उस समिति ने प्रतिवेदन दिया कि मनश संगम के पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाना गलती होगी। क्योंकि यहां पर पानी की अधिकता के कारण लाइन को सुरक्षित रख पाना कठिन होगा। रेलवे मंत्रालय ने उस प्रतिवेदन को रद्द करके अब पाण्डु-अमीन गांव के बीच पुल बनाना चाहती है। उस समिति ने कहा था कि जोगीघोपा से पंचरत्न तक लाइन बनाई जाये। इस तरफ लाइन बनाने में पानी का भी खतरा नहीं था। पर रेलवे ने उस समिति के प्रतिवेदन की कोई चिन्ता नहीं की। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ पर कुछ कारण तो होगा ही। रेलवे मंत्रालय ने पाण्डु से सिजो तक लाइन बनाने का निर्णय कर लिया है। आज कई वर्षों से वहां का सर्वेक्षण हो रहा है पर अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मैंने सुना है कि वहां इंजीनियरों की कमी है। यदि ऐसा है, तो वहां इंजीनियर क्यों नहीं भेजे जाते हैं ताकि सर्वेक्षण जल्दी पूरा हो जाये।

माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इन बातों पर ध्यान करके ऐसी कार्यवाही करें कि आसाम की परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां दूर हो जायें।

सदस्य की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे बैलहोंगल के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस से दिनांक २ मार्च, १९६० का एक तार मिला है जिसमें बताया गया है कि संसद् सदस्य, श्री नाथ पाई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३४१ और ३५३ के अन्तर्गत उस दिन ११.३० बजे खानपुर तालुका पुलिस स्टेशन, के गांव इदल हौंड की सीमा में गिरफ्तार किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०-६१ —जारी

†श्री दामानी (जालोर) : गत वर्ष में रेलवे का काम काफी संतोषजनक रहा है। रेलवे में १९५७-५८ की तुलना में व्यय में कमी हुई है और आप में वृद्धि हुई है; दो वर्ष पूर्व लोगों को संदेह था कि रेलवे अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पायेंगी पर अब सभी वे संदेह मिट गये हैं। और आशा है कि रेलवे दूसरी योजना के १६२० लाख टन के लक्ष्य को अवश्य पूर्ण कर लेगी तथा तीसरी योजना में भी उसके सामने कोई कठिनाई नहीं रह जायेगी। इससे उद्योगों के विकास में भी उन्नति होगी—उन्हें कच्चा माल ठीक समय पर मिल सकेगा और वे तैयार माल बाहर भेज सकेंगे। अब लोगों को विश्वास हो गया है कि परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां नहीं होंगी।

इसके अतिरिक्त रेलवे ने ९० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा बचाने का भी लक्ष्य पूरा किया है। इससे एक तो विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, दूसरे देश में बहुत सी ऐसी चीजें बनने लगी हैं, जिन्हें पहले बाहर से मंगाया जाता था।

मेरा सुझाव है कि रेलवे अपने अतिरिक्त विदेशी साधनों से ऐसी मशीनें मंगाये और ऐसे सामान का उत्पादन करे, जो अभी तक आयात किये जाते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग इन चीजों का उत्पादन नहीं कर सकते। इस प्रकार रेलवे बहुत से आवश्यक सामान पुर्जों आदि का निर्माण स्वयं कर सकेगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुये]

माल ढोने के सम्बन्ध में रेलवे की आय सड़क परिवहन के सामने कुछ कम रही हैं इसका मुख्य कारण यही है कि सड़क परिवहन सामान भेजने वालों को अनेक सुविधायें देता है, जबकि रेलवे नहीं देती। अतः यदि रेलवे भी सुविधायें देने लगे तो रेलव द्वारा अधिकाधिक माल भेजा जाने लगेगा।

अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अहमदाबाद-दिल्ली जनता को, जो सप्ताह में तीन दिन चलती है, रोजाना चलाया जाय। इससे जनता को बड़ा आराम हो जायगा। पहले यह गाड़ी जयपुर हो कर जाती थी। अब यह रीगंस हो कर जाती है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यदि यह गाड़ी जयपुर हो कर जाय, तो ज्यादा जनता इसका लाभ उठा सकती है। अतः माननीय मंत्री इस पर विचार करें और जयपुर हो कर इस गाड़ी को चलायें।

पिछले अवसर पर मैंने कहा था कि सिरोही और मीनमल के बीच एक रेलवे बनाई जाये। इससे कदला पत्तन के विकास में भी सहायता मिलेगी। इस लाइन का बनवाया जाना काफी जरूरी है।

अन्त में मुझे यह भी निवेदन करना है कि जिन रेलवे स्टशनों तथा अन्य स्थानों पर अस्पताल वगैरह नहीं ह, वहां आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायें। मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री इस सुझाव पर विचार करेंगे।

---

†भूल अंग्रेजी में

श्री पहाड़िया (सवाई माधोपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ अर्ज़ करूं मैं रेलवे मंत्री महोदय को तथा रेल मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले वर्षों में बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं रीति-नीति के सम्बन्ध में उस समय कुछ अर्ज करना चाहता था जब कि रेलवे बजट पर आम बहस हो रही थी थी लेकिन उस समय मुझे बोलने का अवसर नहीं मिल सका।

माननीय मंत्री महोदय के साथ साथ मैं उन विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने रेलवे मंत्री महोदय जब बहस का उत्तर दे रहे थे तो उस समय उस बात का थोड़ा सा विरोध किया कि क्यों रेलवे मंत्री महोदय शैड्युल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो स्थान सुरक्षित रखे गये हैं, उनको दिलाने में पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। यही उनकी मंशा थी, जहां तक मैं समझ पाया हूं। मैं उन्हें इसलिये धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने हमें इस बात का एहसास कराया है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स जो यहां पर किसी भी तरह से पढ़ लिख कर आगे आते हैं और नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए क्यों स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, क्यों उनको नौकरी दी जाती हैं, क्यों उनको आगे लाने का भारत सरकार तथा राज्य सरकारें प्रयत्न करती है। वे नहीं चाहते कि रेलवे मंत्रालय इस पर अपनी तवजह दे। वैसे यह कदम रेलवे मंत्रालय का नहीं था यह डायरेक्शन तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से आई थी और यह एक बहुत ही अच्छा कदम था जो होम मिनिस्ट्री ने उठाया था। इसके लिए मैं होम मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम अपने देश से वर्गभेद को मिटाने की कोशिश करते हैं तो हम इस बात का विरोध क्यों करते हैं कि ये जो पिछड़े लोग हैं इनको क्यों ऊपर लाया जाता है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं मैं समझता हूं वे वर्गभेद को कायम रखना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि यह मिटे।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व मेरे पास कुछ लोग शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के आए थे और मुझ से कहने लगे कि जो हन जातियों के लोग रेलों में काम करते हैं उनका एक अलग से संघ हो वे आल-इंडिया रेलवे एम्पलायीज़ एसोसियेशन के तहत नहीं रहना चाहते। उस समय मैं ने उनको परामर्श दिया था कि उनको अलग कोई संस्था नहीं बनानी चाहिये, अलग से कोई फैड्रेशन नहीं बनानी चाहिये बल्कि अभी जो फैड्रेशन या एसोसिएशन है उसमें रहते हुये ही काम करना चाहिये। लेकिन अब मुझे महसूस होने लगा है कि वास्तव में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जो मांगें हैं उनको मनवाने के लिए उनकी अलग से कोई फैड्रेशन होनी चाहिये अन्यथा ये भाई अपने आप को हिन्दुस्तान का हमदर्द कहते हैं और हिन्दुस्तान से वर्गभेद को मिटाने की नीति की जो बार बार और ज़ोरदार शब्दों में वकालत करते हैं वे दिल से नहीं चाहते हैं कि जो लोग दबे हुए हैं वे उठें, वे चाहते हैं कि जो दबे हुए हैं वे दबे ही रहें। रेलवे मंत्रालय ने इन लोगों के बारे में जो ध्यान दिया है, उसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। लगातार तीन सालों से मैं यहां पर कहता आ रहा हूं कि रेलव मंत्रालय अपना ध्यान उन क्षेत्रों की ओर करे जहां पर कि अभी तक कोई तरक्की नहीं हुई और जो बहुत पहले से काफी व्यापारिक केन्द्र रहे हैं और अब भी हैं। उन क्षेत्रों का व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। मैंने यह भी कहा था कि जहां पर काफी भोड़ भाड़ रहती है उन इलाकों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। पिछले साल मैंने आपका ध्यान करौली और टांक की ओर दिलाया था। ये ऐसी जगह हैं जो कि भूतपूर्व रियासतों की राजधानियां थीं। लेकिन चूंकि वहां आने जाने के साधन नहीं हैं इसलिये वहां का जो व्यापार है वह पनप नहीं पाता है। इससे व्यापार को हानि पहुंचती है। करौली को आप लीजिये। हम पार्लियामेंट हाउस में बैठ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पहाड़िया]

हुए हैं, यहां पर जितना भी पत्थर लगा हुआ है, सैक्रेटरिएट में तथा राष्ट्रपति भवन में जितना भी लाल पत्थर लगा हुआ है यह सारे का सारा पत्थर वहां से आया है। हिन्दुस्तान में ही इस पत्थर की खपत नहीं होती बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर दूसरे देशों में भी यह जाता है। मिसाल के तौर पर वर्मा और पाकिस्तान को। पाकिस्तान का तो मुझ खास तौर पर मालूम है कि यह पत्थर वहां जाता है। लेकिन चूंकि वहां आने जाने के साधन नहीं है, पहुंचने के साधन नहीं हैं, माल को इधर लाने के साधन नहीं हैं, इसलिये हमारा जो व्यापार है वह जितना पनपना चाहिये, पनपता नहीं हैं। साथ ही साथ जो यात्रियों को सुविधायें मिलनी चाहियें वे मिल नहीं रही हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि करोली और टांक को कहीं से भी किसी भी लाइन से मिला दिया जाए। करौली एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत अधिक माइनिंग का काम होता है। उसको भी किसी न किसी रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि करौली को सरमथुरा से मिलाने की बहुत पहले एक योजना चली थी और यदि यह संभव हो तो उस पर अमल किया जाये और यदि यह न हो सके तो जैसा कि माननीय मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा है कि कोसीकलां डीग होकर भरतपुर या अलवर की ओर लाइन ले जाने का सर्वे आप करवाना चाहते हैं, यह सर्वे आप करवायें, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन सोमूह कोसीकलां से डीग होकर नदवई या खेड़ली को मिलाते हूये भुसावल और हिंडौन होते हुये इसको किरौली से मिला दिया जाये तो मैं समझता हूं कि इस इलाके की काफी तरक्की हो सकती है और जो व्यापार हमारा चलता है पत्थर का, जिससे हम बहुत से मकान बनाने की योजना बना रहे हैं, उसमें काफी बचत हो सकती है क्योंकि रेलवे कोई अलग कंसर्न तो है नहीं, उसका मुल्क के सभी क्षेत्रों से संबंध है। आज आप इतना सीमेंट खर्च करते हैं, उसके लिये इतनी फैक्ट्रियां बनाते हैं, आप बार बार कहते हैं कि फैक्ट्रियां बनाने के लिये आप को बाहर से सामान मंगाना पड़ता है, उसके लिये आप को फारेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है जब कि आप के पास फारेन एक्सचेंज की कमी है अगर आप पत्थर को बाहर भेजने की सुविधा दे दें तो वह फारेन एक्सचेंज आप का बच सकता है। इसके लिये यह जरूरी है कि आप रेलवे की सुविधा इस क्षेत्र को दें।

इसके अलावा मैं टोंक के बारे में भी आपसे कहना चाहता हूं। टोंक भूतपूर्व नवाब की राजधानी थी। मैं नवाब की राजधानी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे जिले की बात कर रहा हूं। पूरे जिले में ऐसे लोग बसते है जिन्होंने सिर्फ रेल का नाम भर सुना है। दो साल पहले हमारे रेलवे मंत्री टोंक पधारे थे। उन्होंने स्वयं देखा था कि उनके नाम मात्र से कितने लोग इकट्ठे हो गये थे। वहां का बच्चा बच्चा बड़ा उत्सुक था। रेलवे मंत्री जी का नाम सुनकर वह समझते थे कि शायद उनके इलाके में रेल ही आ रही है। तब मैंने उनको बताया कि वह तो रेलवे मिनिस्टर हैं, स्वयं रेल नहीं हैं। आज उनकी यह हालत है, अगर ऐसे इलाकों की ओर ध्यान दिया जाय तो मैं समझता हूं कि देश के पिछड़े इलाकों की आप बहुत सेवा कर सकेंगे, जिनको आप पनपाना चाहते हैं।

इसके पश्चात् में ओवरब्रिजेज के बारे में अर्ज करना चाहता हूं जिसके बारे में कल बात हो रही थी। सवाई माधोपुर और हिंडौन दो ऐसे इलाके हैं जिनमें लगातार ट्रैफिक रहता है। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि तीन तीन घंटे तक फाटक बन्द रहता है और वहां पर १००, १०० और १५०, १५० लारियां और ट्रक्स और सैकड़ों व्यक्ति खड़े रह जाते हैं, इसकी वजह से जहां उनके दूसरे कामों का हर्ज होता है वहां वह मुकदमे जो इन लोगों के पक्ष में निर्णय होने वाले होते है, खारिज हो जाते हैं। सवाई माधोपुर और हिंडौन ऐसी जगहें हैं जो कि व्यापारिक सेंटर भी हैं इसलिये उन के काम में बड़ी बाधा आ जाया करती है। मैं बराबर ओवरब्रिज की बात यहां करता आ रहा हूं।

रेलवे विभाग बार बार यह कह देता है कि अगर राज्य सरकार या म्यूनिसिपैलिटी आधा खर्च देने को तैयार हों तो वह ऊपर का ब्रिज बनवा देगा। जैसा कल एक पंजाब के सदस्य यहां पर कह रहे थे। राज्य सरकार इस तरफ ध्यान देने वाली नहीं है। मैं इसमें अपनी कमी महसूस करता हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं राज्य सरकार को कंविंस कर सकूं और उन की सिफारिश आप तक पहुंचा सकूं। इसलिये मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो जगहें हैं, उनकी ओर आप को ध्यान देना चाहिये।

मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि मथुरा से बयाना तक और आगरा फोर्ट से बयाना तक दो लोकल ट्रेंस चलती हैं। मैं चाहता था कि उनको कोटा तक बढ़ा दिया जाये। जितनी दूर तक चलती थीं उतना ही और बढ़ा दिया जाय, लेकिन अगर वहां तक नहीं कर सकते हैं तो सवाई माधोपुर तक ही बढ़ा दें। यही नहीं अगर दोनों को नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम दोनों में से एक को बढ़ा दिया जाये। राजस्थान की राजधानी जयपुर तक के सारे इलाके में भरतपुर और सवाई माधोपुर जिले के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आने जाने की सुविधा नहीं है। इससे वहां जाने के लिये रास्ता खुल जायेगा। आप जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हम लोगों को काफी काम रहता है। लेकिन वहां पहुंचने में पूरे दो दिन लग जाते हैं, दिन ही नहीं रातें भी लग जाती हैं और स्टेशनों में जैसा आप का इंतजाम है वह सब को मालूम है। जैसा मैंने स्वयम् कहा है आप विकास का काम करते जा रहे हैं और लोगों को सुविधायें भी देते चले जा रहे हैं। लेकिन आप की सीमाओं को भी मैं जानता हूं। फिर भी मैं कहूंगा कि जो इस तरह की सुविधायें हैं वे हमारे यहां प्राप्त नहीं हैं। आप को जो विकास का काम करना है वह तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अगर इस इलाके से एक ट्रेन को ही बढ़ा दिया जाये तो इससे उस इलाके को काफी फायदा होगा। इस संबंध में जब रेलवे मंत्रालय से कहा गया तो उसने जवाब दिया कि चूंकि वहां भीड़ भाड़ नहीं होती है इसलिये इसमें जो खर्च आयेगा वह भी पूरा नहीं हो सकेगा। यह बात गलत है। मैंने हर स्टेशन मास्टर से और हर सरपंच से जाकर जांच की है। उन्होंने कहा कि चूंकि यहां धार्मिक स्थान हैं इसलिये वहां इस जगह से भी भीड़ भाड़ काफी रहती है और हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर इस कथन में जरा भी सच्चाई हो तो आप इसकी जांच करवा सकते हैं, जहां तक मुझे मालम है हर साल दो चार आदमियों की जानें इस जगह पर चली जाती हैं, और इसका कारण सिर्फ भीड़ भाड़ है, उनको रेल में बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। इसलिये आगरा फोर्ट से बयाना और मथुरा से बयाना जो लोकल शट्ल्स चलती हैं उन में से एक ही को थोड़ा बढ़ा दें तो आप की कोई हानि नहीं है। इसमें आप का कोई खर्च एडीशनल नहीं होने वाला है और न कोई एडीशनल स्टाफ ही रखना पड़ेगा। बयाना से चल कर दो घंटे में सवाई माधोपुर पहुंच जायेगी और वहां से गाड़ी फिर वापस आ सकती है। इसके लिये कोई नया एंजिन भी लगाना नहीं है। अगर आप इसी को एक्सटेंड कर दें तो मैं समझता हूं कि रेलवे की आमदनी भी बढ़ जायेगी और मेरे इलाके के लोगों को काफी सुविधा हो जायेगी।

इसके बाद मैं स्टशनों के विकास के बारे में भी कहना चाहता हूं। हिंडौन, भरतपुर और खड़ली-मंडी तीन बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं। वहां पर यात्रियों को कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है। न वहां पर कोई टिन शेड है और न कोई दूसरा ही इन्तजाम है। वहां के प्लेटफार्म भी इतना नीचा है कि कई बार तो रेल से चढ़ना और उतरना भी मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर अगर रेलवे मंत्रालय ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि व्यापारियों को बहुत सुविधा मिल जायेगी और यात्रियों को भी आराम मिलेगा।

कुछ दिन पहले आपने एक सर्कुलर इश्यू किया था जिसके तहत आपने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को रेस्टोरैंट्स आदि के ठेकों के लाइसेंस देने की योजना बनाई थी। लेकिन इसकी ओर कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। आम तौर पर यह देखा जा रहा है कि जहां

[श्री पहाड़िया]

रेलवे का इंतजाम नहीं है वहां पर रेस्टोरेंट्स और चाय आदि की दूकानों के दूसरे लोगों को दे दिये जाते हैं। इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। केवल सर्कुलर को इश्यू कर देने से काम नहीं चलेगा। जिनको आप सुविधा देना चाहते हैं आपको देखना चाहिये कि उनको सुविधा पहुंच भी रही है या नहीं। अगर नहीं पहुंच रही है और सर्कुलर कागजों पर ही जमा रहता है या जनरल मैनेजर के दफ्तर में ही पड़ा रहता है तो उससे काम नहीं चलेगा। आप के पास जो दरख्वास्तें आती हैं उनकी जांच पड़ताल होकर इन लोगों को पूरा मौका दिया जाना चाहिये।

मैंने बार बार अर्ज किया है, पिछली बार लिख कर भी भेजा था, कि मेरी कांस्टिटुएंसी से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि आप के यहां से मालगाड़ियों के डब्बे नहीं मिलते हैं और कई स्टेशनों पर डब्बे खड़े रहते हैं। आप के जो अधिकारी हैं, स्टेशन मास्टर हैं या जो उनसे ऊंचे के अधिकारी हैं, वे डब्बों को देने के लिये कोई कदम नहीं उठाते हैं। वहां के व्यापारी लगातार दरख्वास्तें दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद महीने महीने, दो दो महीने निकल जाते हैं और उनको डब्बे मिलने का मौका नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आता कि वह डब्बे खड़े खड़े क्या करते हैं। अगर डब्बे उनको जल्दी से जल्दी दे दिये जायें तो रेलवे को भी आमदनी बढ़ेगी और व्यापारियों को भी सुविधा रहेगी। दूसरे लोगों को भी सुविधा रहेगी क्योंकि जहां पर माल पहुंचना चाहिये वहां पहुंच जायेगा। इस तरह की जो धांधलीबाजी चलती है, मुझे पता नहीं कि उसका कारण क्या है। अगर आप इसकी जांच करा लें और डब्बों को खाली खड़े न रहने दें, और उस से जनता को सुविधा मिल सके, तो ऐसा जरूर किया जाना चाहिये।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ बातें कही जा चुकी हैं। मैं पालिसी मेटर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन नजीरें पेश कर सकता हूं। खादी की संस्थाओं को भी शिकायतें आ रही हैं, जो कि खादी का काम करती हैं और जिनको सरकार एड देती है, लोन देती है और प्रोत्साहन देना चाहते हैं, खादी एजेंसी ने हमें लिखा है कि रेलवे के स्टेशन मास्टर और दूसरे अधिकारी हमारे माल का लदान नहीं करते जब तक कि जो उनका अलग चार्ज होता है वह प्राइवेट तौर पर उनको नहीं दे दिया जाता। अगर सरकार के माल के बारे में भी ऐसी बातें हो सकती हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार की सीमा कहां होगी। मैं यह नहीं कहना चाहता कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वह सब तो आपकी नजरों में होगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, वह कम नहीं हुआ है, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, चाहे रेल के डब्बों के संबंध में हो चाहे दूसरी चीजों के संबंध में हो। खास तौर से जहां तक माल के लदान का सवाल है, वह तब तक नहीं होता है जब तक कि स्टेशन मास्टर को या माल के बाबू को उनका चार्ज अलग से न दे दिया जाय। इसकी ओर भी आप को ध्यान देना चाहिये।

इसके बाद में डकैतियों के सिलसिले में भी अर्ज करना चाहता हूं। जो चीजें मैं बतला रहा हूं उनको अपने क्षेत्र में स्वयं भुगत चुका हूं। रात दिन यह समस्यायें हमारे सामने आती है और पता नहीं यह कब तक चलेंगी। खेड़ली मण्डी और भरतपुर के बीच एक स्टेशन हैं। चलती गाड़ी में थर्ड क्लास में एक पैसेन्जर ट्रेन में डकैती पड़ी लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई। मैंने लगातार इसकी कोशिश की कि आपके अधिकारी इस की जांच करा लें, लेकिन जांच कराना तो दूर रहा, यह तक नहीं मालूम पड़ा कि उसमें क्या हो रहा है। रात दिन डकैतियां पड़ रही हैं, लोगों में इन्सिक्योरिटी की भावना फैलती जा रही है। लेकिन उनको सुरक्षा का कोई इन्तजाम आप की तरफ से नहीं है। आप लगातार प्रोटक्शन फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन इस के बावजूद चोरियां बढ़ती चली जा रही हैं और डकैतियां बढ़ती चली जा रही हैं। आप इसके कारणों की जांच भी करायें। मैं नहीं कहता कि

आप नहीं करा रहे हैं, आप करा भी रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर हो रहा ह यह मालूम नहीं हो रहा है। अगर आप फालतू खर्च करते जा रहे हैं और उसको करते हुए कोई इन्तजाम नहीं कर सकते तो उससे कोई फायदा नहीं ह, आप उनको बन्द कर दीजिय और जो पैसा बचे उसे दूसरे कंस्ट्रक्शन के कामों में लगाइये।

जो डी-लक्स गाड़ी दिल्ली से बम्बई जाती है वह मथुरा जाती है फिर गंगापुर में जाकर ठहरती है। डी-लक्स ट्रेन की स्पीड फ्रण्टियर मेल से भी ज्यादा तेज है, और होनी भी चाहिये, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं ठहरती, एक ऐसी जगह ठहरती है जहां पर सवारियों के उतरने का कोई इन्तजाम नहीं है तो इससे कोई फायदा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सवाई माधोपुर है, गंगापुर नहीं है, लेकिन डी-लक्स गाड़ी गंगापुर में ठहरती है। गंगापुर मेरी कांस्टिट्एंसी है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर वह भरतपुर और सवाई माधोपुर भी रुके तो लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी क्योंकि वह ऐसी जगह है जहां पर छोटी और बड़ी दोनों लाइनें मिलती हैं। वहां से दूसरी ब्रांच लाइन भी जाती है जयपुर और रिंगस को क्रमशः, इसलिये सवाई माधोपुर में ज्यादा सवारियां मिलती हैं जबकि गंगापुर से सवारियों के चढ़ने उतरने का सवाल नहीं उठता। चूंकि वह मेरा क्षेत्र है इसलिये मैं चाहूं कि वहां न रहे यह ठीक नहीं है। परन्तु चूंकि सवाई माधोपुर में ज्यादा सुविधा होती है इसलिये वहां डी-लक्स गाड़ी ठहर सके तो ज्यादा अच्छा है।

एक और चीज मेरे नोटिस में आई है। संसद् में आने से पहले मैं स्वयम् एक विद्यार्थी था। कई बार विद्यार्थियों की शिकायतें आती हैं कि आपने जो कंसेशन दिया है उन लोगों को वह पैसेन्जर ट्रेन्स में ही दिया है, एक्सप्रेस और मेल ट्रेन्स में नहीं दिया है। आपने क्या दिया है क्या नहीं, इसके बारे में मुझे कोई सवाल नहीं उठाना है, लेकिन जब वे कंसेशन लेने जाते हैं तो कंसेशन तो उन्हें प्राप्त हो जाता है परन्तु जब वे स्टेशन पर आते हैं तो उस समय उनसे कह दिया जाता है कि मेल ट्रेन और एक्सप्रेस में यह कंसेशन प्राप्त नहीं होगा। यदि यह रेलवेज का स्टुडेंट्स कंसेशन खाली पैसेंजर्स ट्रेंस के लिये ही प्राप्त हो और वह इसका उपयोग मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में न कर सकें तो यह तो बेकार सा हो जाता है। उनको परेशानी हो जाती है, रेल निकल जाती है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि रेलवेज विद्यार्थियों को मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में भी यह रिआयत प्रदान करे और वह रिआयती दर पर इनमें भी सफर कर सकें।

इसके अलावा कई और दूसरी बातें हैं। अब यह एक उत्तर और दक्षिण का सवाल है और जो कि यहां पार्लियामेंट में भी खड़ा हो जाता है। अब मैं इस अवसर पर पार्लियामेंट में जो उत्तर और दक्षिण का सवाल खड़ा हो जाता है उसको छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन यह तो ठीक है कि रेलवेज में जो आपने खाने पीने का इन्तजाम किया ह वह धीरे धीरे बहतर हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है लेकिन अब भी काफी उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब भी रेलवे के खाने की हालत यह है कि कहीं तो कच्चा खाना मिलता है तो कहीं पर बहुत सिका हुआ अर्थात् जला हुआ खाना खाने को मिलता है और यह मैं स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। एक चीज मुझे इस विषय में और कहनी है और वह यह कि उत्तर के लोग जब दक्षिण में रेल से जाते हैं तो उनको उत्तर का खाना जिसके कि वे आदि होते हैं, नहीं मिलता है और उनको वही दक्षिण भारत का खाना सर्व किया जाता है और जब वे उत्तर का खाना अर्थात् गेहूं मांगते हैं तो उत्तर मिलता है कि गेहूं आउट आफ आर्डर है। अब अगर हिन्दुस्तान में गेहूं आउट आफ आर्डर हो जायेगा तो फिर उत्तर के लोग खायेंगे क्या? इसलिये दक्षिण में कुछ ऐसा इन्तजाम किया जाय जिससे उत्तर वालों को उनका गेहूं आदि का खाना मिल सके। अब दक्षिण वाले इधर उत्तर में आते हैं तो उनको तो उत्तर का खाना खाने को नहीं दिया जाता है उनको तो दक्षिण का खाना ही दिया जाता है। जब मछली और चावल आदि चीजें उत्तर में दक्षिण वालों को मिल सकती हैं तो उत्तर वालों को जब वे दक्षिण में जायं तो उनको भी उत्तर का गेहूं का खाना मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि रेलवे मन्त्रालय इस ओर ध्यान दे और इसकी आवश्यक

[श्री पहाड़िया]

व्यवस्था करे। जहां तक सम्भव हो सके यह खाने पीने की सुविधा तमाम लोगों को एक समान मिलनी चाहिये।

इसके अलावा पे कमीशन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उसने कर्मचारियों की तनख्वाहें कोई खास नहीं बढ़ाई हैं अलबत्ता छुट्टियां कम कर दी हैं। अब मैं उसकी सिफारिशों पर डिटेल में तो नहीं जाना चाहता लेकिन इतना तो जरूर कहना चाहूंगा कि जब उसने कर्मचारियों की छुट्टियां कम की हैं तो उसी प्रपोर्शन में उनकी तनख्वाहों में भी बढ़होतरी करनी चाहिये थी लेकिन पे कमीशन ने वह नहीं किया है। अगर कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएं इसके बाद भी सुलभ न हों तो फिर यह कमीशन नियुक्त करने से लाभ क्या रहा? आज भी हम देखते हैं कि एक ओर तो आपके जो बड़े सरकारी अफसर हैं वे ४०००, ४००० तनख्वाह पा रहे हैं और वे आराम की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनकी कि तनख्वाहें बहुत कम हैं और आज के महंगाई के युग में और जब कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उनकी तनख्वाहें बिल्कुल नाकाफी हैं और इंसाफ का तकाजा तो यह था कि उनकी आर्थिक अवस्था जो कि अत्यन्त शोचनीय है उसको उनकी तनख्वाहों में बढ़ती करके कुछ बेहतर बनाया जाता। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आवश्यक हो और उसके बगैर सम्भव न हो तो यह जो ४०००, ४००० और ३०००, ३००० की मोटी तनख्वाहें आपके बड़े सरकारी कर्मचारी पा रहे हैं उनके वेतनों में थोड़ी सी कटौती करके इन क्लास थर्ड और फोर्थ के कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि की जाय। आज हमारे प्रशासन में बड़े अफसरों का बोलबाला है और ४००० पाने वाले अफसरान के नीचे ३००० पाने वाला है और उसके नीचे २००० और फिर उसके नीचे १००० और १५०० रुपया मासिक पाने वाले अफसर लगे हैं और उनकी तादाद हजारों में है। मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी लम्बी तनख्वाहों में थोड़ी कटौती करने और क्लास ३ और ४ के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने में कौनसी कठिनाई है? वैसे मैं जब यह कह रहा हूं तो इसका यह मतलब न समझा जाय कि मैं ऊंची तनख्वाह पाने वालों के खिलाफ हूं और उनकी तनख्वाहों में अनिवार्य कटौती की मांग कर रहा हूं। सरकार और राष्ट्र के पास उसके साधन हों और इतनी सामर्थ्य हो तो अगर उन को ५००० के बजाय ६००० रुपया मासिक दिया जाये तब भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा लेकिन साथ ही यह जरूर कहूंगा कि आज जैसी हमारे देश में हालत है और जैसी आर्थिक असमानता है कि एक व्यक्ति तो अपार धन लिए बैठा है और दूसरा भूखा मर रहा है और वह इंसान की सी जिन्दगी नहीं बिता पा रहा है तो यह घोर आर्थिक असमानता कम होनी चाहिए और जो हमारे तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी आज कष्टमय जीवन बिता रहे हैं और जिनकी कि कमर मंहगाई के कारण टूट गई है, उनको कुछ राहत बढ़ी हुई तनख्वाहों और भत्तों आदि की शकल में दी जानी चाहिए थी। इसलिए मैं अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुए यही पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि जो नीची श्रेणी के कर्मचारी हैं जनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जा सकें तो बेहतर होगा।

श्री नलदुर्गकर (उस्मानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो डिमाण्ड्स फौर ग्राण्ट्स पर बहस चल रही है इस पर बहुत से लोगों ने काफी रोशनी डाली है। मुझे कुछ ज्यादा अर्ज करने की जरूरत नहीं है लेकिन दो, तीन अपनी लोकल चीजों की तरफ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने कुर्डवाडी स्टेशन पर कौमन प्लेटफार्म बनाने के वास्ते मिनिस्टर साहब से सवाल किया था जिसका कि जवाब यह दिया गया कि इसको ब्राँड गेज लाइन में तबदील किया जाने वाला है और उसके बाद देखा जायगा। अब कुर्डवाडी से पंढरपुर को साल में दो मर्तबा आषाढ़ और कार्तिक के महीने में तकरीबन दो लाख यात्री वहां से गुजरते हैं। मिरच से लातुर जाने वाली नैरो गेज और बम्बई से रायचूर जाने

वाली ब्रॉड गेज यह दोनों लाइनें कुर्डवाडी जंक्शन पर मिलती हैं लेकिन उनके वास्ते कोई प्लेटफार्म नहीं है । पहले तो मेरे सवाल के जवाब में मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि इसको ब्रॉड गेज लाइन में तबदील किया जाने वाला है लेकिन अब पता चला है कि इसको बजाय ब्रॉड गेज करने के मीटर गेज में कनवर्ट किया जाने वाला है । उसका सर्वे भी हो चुका है और वह लातुर से परड़ी को ले जाकर मिलाने वाले हैं । लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि अभी तक उसको क्यों नहीं किया गया बावजूद इसके कि लोगों को आम तौर पर और वर्षा में खास तौर से बहुत तकलीफ होती है । वहां की हालत देखने काबिल है । छोटे छोटे बच्चे लेकर वर्षा में गुजरना पड़ता है वहां पर न तो कोई शैड है और न ही बैठने की जगह है । इसलिये मेरी गुजारिश है कि वहां पर एक कौमन प्लेटफार्म अवश्य बना दिया जाय जिससे कि एक गाड़ी मे उतरने के बाद दूसरी गाड़ी को कैच करने का मौका मिल जाय ।

अब धौन मनमाड और मनमारकाचूगुडा रेलवे लाइनों का अंकाई कौमन स्टेशन है । इसलिये अंकाई पर यात्रियों के वास्ते सहूलियतें मुहय्या की जायं । मैंने इस बारे में एक रिटेन रिक्वैस्ट भी की थी कि मिरज से लातुर को जो नैरो गेज जाती है उसको मीटर गेज में कनवर्ट कर के परड़ी को जोड़ने वाले हैं तो शोलापुर पर सदर्न रेलवे की मीटर गेज लाइन है वह अगर इस मीटरगेज से जोड़ी जायगी तो इस तरह पूरे हिन्दुस्तान में मीटरगेज का कनैक्शन हो जाता है । एक रेलवे लाइन जिसके लिये हमने कहा था वह गवर्नमेंट ने रेकमेंड भी की है, मालूम ऐसा होता है । यह लाइन शोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद, बीड़ से जालना को ले जायेंगे तो यह बहुत फरटाइल एरिया से जायेगी और वहां बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर्स पैदा हो जायेंगे । और रेलवेज को इससे कोई नुकसान नहीं होगा । अंकाई को ही जंक्शन बना दिया जाय और वहां पर यात्रियों के वास्ते पूरी सहुलियतें मुहैया की जायं । यात्रियों को वाया अंकाई टिकट दिये जायं जिससे कि अभी बीस मील का जो खर्चा पड़ता है वह न पड़े और बच जाय । अब पहले तो निजाम स्टेट रेलवेज एक फौरेन रेलवे थी और इस वजह से अंकाई पर से जाने के बजाय वाया मनमाड जाना पड़ता था लेकिन अब तो दोनों रेलवेज भारत सरकार और रेलवे मन्त्रालय के अधीन हैं और इसलिये अब टिकट से वाया अंकाई जाने की इजाजत देनी चाहिये ताकि अभी जो एक यात्री का २० मील का अतिरिक्त खर्च होता है वह उसका बच जाय । और वहां अगर तमाम जितनी सहूलियतें मुहय्या हो सकती हैं वह अगर मुसाफिरों को दी जाऐं तो मैं गुजारिश करता हूं कि उनके अंकाई से मनमाड़ और मनमाड़ से अंकाई दो बार नहीं जाना पड़ेगा और वह इस दिक्कत से बच जायेंगे ।

तीसरी मेरी गुजारिश यह है कि हाल ही में मैं पलड़ी से वकाराबाद रेलवे पर सफर कर रहा था । तो मैंने बहुत से लोगों को बगैर टिकट जाते देखा । मैं इसकी पहले भी शिकायत कर चुका हूं । टिकिट लैस ट्रावलिंग दो कारणों से होता है । एक तो खुद लोग बिना टिकट जाते हैं दूसरे रेलवे के एम्पलाईज की तरफ से भी लोगों को बिना टिकिट जाने की इजाजत दी जाती है । यह बहुत बुरी बात है । मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि तुम बिना टिकट क्यों चलते हो तो उन्होंने कहा कि बहुत से स्टेशनों पर बुकिंग आफिस नहीं है और टिकिट इश्यू करने का कोई इन्तिजाम नहीं है और इस वजह से उनको बिना टिकिट आना पड़ता है । लेकिन जहां वह पहुंचते हैं वहां तो उनसे पैसा लेकर उनको रसीद दी जा सकती है । लेकिन जो रेलवे सरवेंट ऐसा करने की कोशिश करते हैं उनकी आफत की जाती है । मिसाल के लिए लातुर रोड का स्टेशन मास्टर इस तरह के लोगों को रोकता था, जिससे रेलवे के कुछ लोगों का नुकसान होता था । उन्होंने उस पर आफत लाने की कोशिश की ।

ये ही तीन चार बातें हैं जिनकी तरफ मैं रेलवे मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरी गुजारिश है कि इनका लिहाज करके इन पर अमल किया जाए ।

रेलवे मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२	२०	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे पर डिंडीगल और मदुरै के बीच रेल की पटरी को दोहरा करने के लिए इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	२१	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे पर विसपुनगर तथा मदुरै के बीच रेल की पटरी को दोहरा करने के लिए इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२	२२	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे पर माना मदुरै तथा मदुरै के बीच रेल की पटरी को दोहरा करने के लिए इंजीनियरिंग सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४	६७	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे पर सेलम से धर्मगला तक की यात्रा के लिए धर्मगला में एक आउट एजेंसी बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४	६८	श्री तंगामणि .	दक्षिण रेलवे पर कोम्बाई होती हुई बोडीनाय बकनूर स्टेशन से उथमापलयम की यात्रा के लिये उथमालपयम में एक आउट एजेंसी बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४	६९	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे पर थाना स्टेशन से लोअर कैम्प की यात्रा के लिए लोअर कैम्प में आउट एजेंसी बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४	७०	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे पर फिटरों के पदों पर सिगनल तथा टेली-कमुनिकेशन के असिस्टेंट फिटरों की पदोन्नति न करना ।	१०० रुपये
४	७१	श्री तंगामणि .	दक्षिण रेलवे पर भी अन्य रेलवे के समान ही सिगनल तथा टेली-कमुनिकेशन के असिस्टट फिटरों को वेतन क्रम देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४	७२	श्री तंगामणि	भूतपूर्व एस० आई० आर० के प्लेटफार्म फोरमैनों को प्लेट-फार्म इंसपैक्टरों के वेतन क्रम देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४	१४२	श्री तंगामणि	रेल डिब्बा कारखाना, पैराम्बूर में एक वर्ष की सेवा वाले सभी कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४	२४२	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे पर कोर्ट्टलम फाल्स जाने वाले पर्यटकों के लिए रेंकासी स्टेशन पर प्रतीक्षा-लय को अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता	१०० रुपये
४	४१५	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	रेलवे लेखा कार्यालयों के क्लर्कों की ग्रेड १ और २ को मिलाने की मांग पूरी करने में अस-फलता	१०० रुपये
४	४१६	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	वेतन आयोग की विभिन्न सिफा-रिशों के लागू होने से पूर्व कर्म-चारियों के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त करके उससे चर्चा करने की वांछ-नीयता	१०० रुपये
४	४१७	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	संघों के राजनैतिक सम्बन्ध के आधार पर कर्मचारियों से पक्षपात	१०० रुपये
४	१२४	श्री प्र० गं० देव	रेलवे में अपराधों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिये रेलवे पुलिस में वृद्धि करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४	४३७	श्री त० ब० विट्ठलराव	सिकन्दराबाद के सिग्नल तथा टेलो-कमुनिकेशन कारखाने में कर्मचारियों को स्थायी बनाने का प्रश्न	१०० रुपये

१	२	३	४	५
५	१४३	श्री तंगामणि	सेवावधि के आधार पर उम्मीदवारों की स्वीकृत सूची में से आकस्मिक मजदूरों को गैंगमैन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५	४१८	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	इंजन तथा डिब्बों की दोषपूर्ण देखभाल	१०० रुपये
५	४५९	श्री तंगामणि	माटुंगा, बम्बई के केन्द्रीय कारखाने में टैपिंग तथा ड्रिलिंग मशीनों के बारे में स्पष्टीकरण न दे सकना	१०० रुपये
६	५५	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन में तिरुनेलवेली जंक्शन पर कर्मचारियों को भविष्य निधि अग्रिम धन, वेतन, महंगाई भत्ता आदि देने में विलम्ब	१०० रुपये
६	७३	श्री तंगामणि	भविष्य निधि में से लिए जाने वाले ऋण का देर से भुगतान	१०० रुपये
६	७४	श्री तंगामणि	भविष्य निधि में से लिए जाने वाले ऋण की देर से स्वीकृति तथा देर से भुगतान	१०० रुपये
६	७५	श्री तंगामणि	टी० टी० ई० के वेतन बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	७६	श्री तंगामणि	परिचालन कर्मचारियों के बारे में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धान्त मानने की आवश्यकता	१०० रुपये
६	१४४	श्री तंगामणि	जिन स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों की ८ घण्टे की ड्यूटी है उन स्टेशनों पर पाइन्टसमैनों की भी ८ घंटे की ड्यूटी लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६	४२५	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	अतिरिक्त काम के भत्ते का भुगतान करने में विलम्ब	१०० रुपये
७	२३	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे पर मद्रास सेण्ट्रल तथा अरकोणम के बीच बिजली से गाड़ी चलाने की आवश्वकता	१०० रुपये
७	४१९	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	इंजन के आधे जले कोयले की बिक्री	१०० रुपये
७	४३८	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयले की खपत कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
८	४२६	श्री प्र० गं० देव	देश के उपभोक्ताओं तथा किसानों की सहायता के लिए सब्जी और फलों पर भाड़ा दर कम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
९	२४३	श्री बै० च० मलिक	उड़ीसा में जाजपुर- क्योंझार रोड पर बिजली लगाने में विलम्ब	१०० रुपये
१०	५६	श्री तंगामणि	कल्याण, मध्य रेलवे पर प्रसूति गृह का कार्यवहन	१०० रुपये
१०	१४५	श्री तंगामणि	तपेदिक के रोगियों को पूरे वेतन पर एक वर्ष की विशेष छुट्टी देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०	१९३	श्री आसर	बम्बई सेन्ट्रल रेलवे कोलोनी, अस्पताल, पश्चिम रेलवे की डिस्पैंसरी में एक नर्स तथा पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०	१९४	श्री आसर	रेलवे अस्पतालों में पर्याप्त डाक्टरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१०	२१५	श्री आसर	रेल डिब्बा कारखाना के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त क्वार्टरों की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०	२४४	श्री तंगामणि	कल्याण, मध्य रेलवे की डिस्पैंसरी में गैर-प्रशिक्षित व्यक्तियों को इंजैक्शन लगाने से रोकना	१०० रुपये
१०	४२०	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	दक्षिण के पहाड़ी स्थान पर एक अवकाश गृह बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०	४६०	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	दक्षिण रेलवे के ओलावोकोर डिवीज़न के बहुत बड़ा होने के कारण छुट्टी स्वीकार किए जाने में विलम्ब	१०० रुपये
१३	२१६	श्रीमती पार्वती कृष्णन	दक्षिण रेलवे के ईरोड जंक्शन पर अस्पताल का कार्यवहन	१०० रुपये
१४	४२७	श्री प्र० गं० देव	रेल की पटरी के दोहरा किए जाने के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे के गारपोस तथा बामरा स्टेशनों पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	२४	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे पर तिन्नेवेली तथा नागरकोइल में नई लाइनों ने निर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	२५	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे तर डिंडिगल तथा कडलूर के बीच थेना होती हुई नई लाइन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	११७	श्री तंगामणि	कानपुर की एक फर्म द्वारा खराब 'की' का संभरण	१०० रुपये
१५	१९५	श्री आसर	दीवा से डासगांव तक नई लाइन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१५	१९६	श्री आसर	कारजाट से खापली तक नई लाइन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	२१७	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	सत्यमंगलम—चामराज नगर लाइन को बनाना आरम्भ करना	१०० रुपये
१५	२४५	श्री बै० च० मलिक	केन्द्रपाड़ा होती हुई सुकिन्डा खानों से परादीप पत्तन तक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	२७४	श्री अजमद अली	गारो पहाड़ियों में पांडू तथा सिजू के बीच नई लाइन बनाने में असफलता	१०० रुपये
१५	२७५	श्री अमजद अली	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर लिंक लाइन को दृढ़ बनाने में असफलता	१०० रुपये
१५	३४४	श्री फतेहसिंह घोडासर	पश्चिम रेलवे पर झुंड-कांडला ब्राडगेज लाइन बनाने में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	४०७	श्री सम्पत	सेलम—बंगलौर लाइन बनाना आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	४०८	श्री सम्पत	सत्यमंगलम चामराज नगर लाइन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	४०९	श्री सम्पत	तिन्नेवेली-कुमारी अन्तरीप लाइन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	४२८	श्री प्र० गं० देव	बारकोट होती हुई रूरकेला-डुमाख शाखा लाइन का विस्तार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१५	४३९	श्री त० ब० विट्ठल राव	रामगुंडम-निजामाबाद रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१५	४४०	श्री त० ब० विट्ठल राव	सेलम-बंगलौर रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	२६	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे पर मदुरै में माल गोदाम का विस्तार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	२७	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे पर मदुरै में भीड़-भाड़ कम करने के लिये पूर्व मदुरै में माल गोदाम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	२८	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे पर मदुरै में भीड़भाड़ कम करने के लिये पशुमलै में माल गोदाम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	२९	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे पर मदुरै में माल गोदामों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	१३५	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	कोयम्बटूर में अवराशि रोड पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	२४६	श्री बै० च० मलिक .	जाजपुर-क्योंझर रोड, स्टेशन पर मालगोदामों को मिलाने वाला एक ऊपरी पुल बनाने में विलम्ब	१०० रुपये
१८	२४७	श्री बै० च० मलिक	जाजपुर-क्योंझर रोड स्टेशन पर थानी की व्यवस्था करने में असफलता	१०० रुपये
१८	४२९	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों की दशा	१०० रुपये
१८	४३०	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	रेल के सभी डिब्बों में अधिक रोशनी की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१८	४३१	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	दक्षिण रेलवे की शाखा लाइनों के स्टेशनों पर शौचालय की अपर्याप्त सुविधायें	१०० रुपये
१८	४३२	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	दक्षिण रेलवे के कालीकट-मंगलौर सेक्शन पर भोजन की अपर्याप्त व्यवस्था	१०० रुपये
१८	४३३	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	महिलाओं के तीसरे दर्जे के डिब्बों में भोजन व्यवस्था का अपर्याप्त प्रबन्ध दिया जाना	१०० रुपये
१८	४४१	श्री त० ब० विट्ठल राव	पोचरम स्टेशन को फ्लैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	४४२	श्री त० ब० विट्ठल राव	दोर्णाकल स्टेशन पर महिलाओं के लिये प्रतीक्षालय बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	४४३	श्री त० ब० विट्ठल राव	मध्य रेलवे पर रामगुंडम तथा गोदावरी खानी के बीच साइडिंग बनाने में शीघ्रता की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	४४४	श्री त० ब० विट्ठल राव	दोर्णाकल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	४५३	श्री कुन्हन	शोरानूर, कालिकट, तथा कन्नानूर स्टेशनों पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	४५४	श्री कुन्हन	कन्नानूर तथा मंगलौर के बीच के स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छत बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	४५५	श्री कुन्हन	बलपट्टणम में सड़क एवं रेल का पुल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	४५६	श्री कुन्हन	दक्षिण रेलवे पर शायरिया पर नया फ्लैग स्टेशन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१८	४५७	श्री कुन्हन	दक्षिण रेलवे के मंगलघचाटि रेलवे स्टेशन को इंटरलाकिंग स्टेशन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	४५८	श्री कुन्हन	चिरक्कल हाल्ट को ब्लाक स्टेशन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१८	४६२	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	दक्षिण रेलवे के जालारपेट-बंग-लौर सेक्शन पर अपर्याप्त भोजन व्यवस्था	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं।

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा) : इस समय रेलवे में ८ जोन हैं। इनके आकार, रेलवे लाइनों की लम्बाई तथा कर्मचारियों की संख्या में परस्पर बहुत अन्तर है। उदाहरण के लिये भारत में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई ३४,००० मील है। इनमें से चार बड़े जोनों की तथा मध्य, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण जोन में रेलवे लाइनों की लम्बाई २४,००० मील है। जब कि पूर्वोत्तर रेलवे की कुल लम्बाई केवल ४,८०० मील है। उसके भी १९५८ में दो जोन बना लिये गये थे। अतः मेरा निवेदन है कि प्रशासन में मितव्ययता तथा कुशलता लाने और शिकायतों को जल्दी दूर करने तथा जनता से अच्छे सम्पर्क बनाये रखने के लिये इन जोनों का पुनर्गठन किया जाय। केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति विकेन्द्रीकरण के संबंध में है इसी कारण रेलवे मंत्रालय को भी यह सिद्धांत अपनाना चाहिये अतः मैं रेलवे मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वे इन आठ जोनों के अपेक्षाकृत छोटे और सुविधाजनक जोन बनायें, जिससे कार्य अधिक सुचारू गति से चल सके।

अब मैं नयी लाइनें बनाने का विषय लेता हूं। नई लाइनें बनाने के संबंध में सरकार की यह नीति रही है कि किसी विशेष प्रदेश की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर नई लाइनें डाली जायें। उद्योगों के संबंध में सरकार की नीति यह है कि नये उद्योगों की स्थापना वहीं पर हो जहां रेलवे लाइनें बनी हों इस प्रकार देश के कुछ भाग पिछड़े ही रह जाते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में विषमता पैदा हो जाती है।

इस संबंध में मैं यह निवेदन करता हूं कि पहिली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश की बिल्कुल उपेक्षा की गई है। आंध्र प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है। तथा वहां की आबादी ३३३ लाख है वहां की औद्योगिक संभावनायें भी पर्याप्त हैं। ६ या ७ वर्ष पश्चात् वहां नागाजुर्नसागर बांध का निर्माण हो जायेगा और इस प्रकार वहां के काफी बड़े भाग में सिंचाई होने लगेगी। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकारों को नेंडियल से नैल्लौर और मिडकपुर से कड़पा तक रेलवे लाइनें बनाने का सुझाव दिया था। मेरा सुझाव है कि सरकार इसे तीसरी योजना में स्थान देवें।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय का कथन है कि कार्यसंचालन व्यय तथा वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न व्यय को पूरा करने के लिये उन्हें रुपये पर ५ न० पै० अधिभार लगाना पड़ा है। मेरा सुझाव है कि इस अधिभार से कम से कम खाद्यान्नों को छूट दी जाये क्योंकि खाद्यान्नों के फुटकर भावों का देशनांक पहिले ही काफी ऊंचा है इस अधिभार का उनके भावों पर और प्रभाव पड़ेगा। अतः खाद्यान्नों को इस अधिभार से छूट दी जाये। इसके साथ उर्वरकों को, जिनके उपयोग के लिये सरकार यथाशक्ति प्रोत्साहन दे रही है इससे मुक्त रखा जाय।

अब मैं कुछ स्थानीय कठिनाइयों को लेता हूं। जब से हमारे क्षेत्र में रेलवे लाइन डाली गई तब से बम्बई-मद्रास एक्सप्रेस मुडन्नूर में ठहरती थी, लेकिन पिछले वर्ष सेद क्षिण रेलवे ने यह मापदंड स्थापित कर दिया कि केवल उन्हीं स्टेशनों में एक्सप्रेस ठहरेगी जहां से ६ यात्री से अधिक १०० मील या उससे अधिक दूरी तक सफर करेंगे। तब मे मुडन्नूर में गाड़ी का रुकना बन्द हो गया फलस्वरूप कड़पा व गंटाकल के बीच कोई स्टेशन नहीं है। इससे बंगलौर हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त मुडन्नूर से जाने वाले यात्रियों की संख्या भी अब काफी बढ़ गई है। अतः मेरा निवेदन है कि मुडन्नूर और कमलपुरम् के स्टेशनों में भी एक्सप्रैस को रोकने की व्यवस्था की जाये।

मद्रास बम्बई लाइन में गाड़ियों में बहुत भीड़भाड़ रहती है। सरकार को चाहिये कि वे रानीगुंटा और गंटाकल के बीच केवल तीसरे दर्जे वाली गाड़ियां चलाई जायें अथवा गाड़ी में और अधिक डिब्बे लगाये जायें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : रेलवे की अवस्था पिछले वर्षों से अधिक सन्तोषजनक रही है। तथापि इसमें रेलवे को आत्मतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिये। भारतीय रेलों को विदेशों की रेलों से सबक लेना चाहिये। अमेरिका और इंग्लैंड तथा अन्य देशों में भी रेलों की अवस्था चिन्तनीय है अब उनका पहिले जैसा एकाधिकार नहीं रहा है। उन्हें मार्ग परिवहन से प्रतियोगिता करनी होती है। भारत में भी रेलें इस ओर सावधान नहीं रही तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब डिब्बे व माल गाड़ी के डिब्बे रहेंगे लेकिन उन पर कोई बैठने वाला नहीं होगा।

अब मैं नई लाइनों के निर्माण को लेता हूं। नई रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण के लिये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह अत्यन्त विलम्बकारी है और जो नई रेलवे लाइनें बनाई जाती हैं उनका चुनाव भी असन्तुलित तरीके से किया जाता है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि रेलवे को एक समिति बनानी चाहिये जिसमें कुछ संसद सदस्य भी होने चाहियें उन्हें प्रतिवर्ष उन रेलवे लाइनों का चुनाव करना चाहिये जिन्हें बनाना है।

रेलवे का गवेषणा, रूपांकन और मानक विभाग भी है। उन्होंने कोई विशेष आविष्कार या नये डिब्बों का निर्माण नहीं किया है। उनका सर्वोत्तम निर्माण तीन टायरों वाले डिब्बे का निर्माण है, परिणाम यह हुआ कि कई लोग जो तीसरे टायर में सोये हुये थे इनकी जानें चली गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों पश्चात् भी भारतीय रेलों के डिब्बे विदेशों के डिब्बों की नकल ज्ञात होते हैं। उन्होंने कोई नयी चीज या यात्रियों की सुरक्षा के लिये कोई नयी तरकीब का आविष्कार नहीं किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि नयी चीजें उन लोगों के दिमाग में आती हैं जो उस काम से सीधे संबंधित नहीं हैं अतः रेलवे को चाहिये कि वह सभी कर्मचारियों से नये विचारों या नयी सूझ को प्राप्त करने के लिये आंदोलन करे।

अब मैं कर्मचारी कालेज बड़ौदा को लेता हूं। इस कालेज का उद्देश्य कर्मचारियों को प्रत्यास्मरण दिलाना मात्र रह गया है। यह कालेज पुरानी विधि से, पुराने ढंग पर चलाया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि कर्मचारी कालेज को नया रूप प्रदान किया जाय तथा उसमें सर्वोत्तम अध्यापक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री० दी० चं० शर्मा]

तथा योग्य व्यक्ति रखे जायें जिन्हें रेलवे प्रशासन एवं संचालन के संबंध में नवीनतम जानकारी हो और यह कालेज विदेशों के इसी प्रकार के अन्य कालेजों का मुकाबला कर सके।

रेलवे में सुरक्षा के संबंध में एक प्रकार का द्विराज-व्यवस्था चल रही है। कहीं विशेष पुलिस संस्थान है तो कहीं रेलवे सुरक्षा दल। इसका यह फल होता है कि रेलों पर हुये भयंकर अपराधों का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। अतः मेरा रेलवे से अनुरोध है कि वे इस द्वैध-शासन को समाप्त करने के निमित्त एक समिति नियुक्त करें।

रेलवे में चार रेलवे सेवा आयोग हैं। रेलवे सेवा आयोगों को चाहिये कि वे परीक्षाओं का फल समय पर घोषित करें और परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत उन्हें तत्काल नियुक्त किया जाय।

अब मैं मरम्मत और संधारण के विषय को संक्षेप में लेता हूं। रेलवे के डिब्बों तथा मालगाड़ी के डिब्बों की दशा शोचनीय है। वे बहुत शीघ्र टूट जाते हैं। उनकी मरम्मत के प्रति अब हमारी वह दिलचस्पी नहीं है जो पहिले थी, शाखा लाइनों की दशा तो इससे भी अधिक बुरी है।

यह प्रसन्नता की बात है कि रेलवे ने श्रम कल्याण की ओर ध्यान दिया है। मेरे विचार से रेलवे कर्मचारियों के बालकों की शिक्षा के लिये अपेक्षाकृत अधिक व्यय किया जाना चाहिये क्योंकि वे लोग नगरों और सांस्कृतिक केन्द्रों से बहुत दूर रहते हैं उनकी शिक्षा की ओर उचित ध्यान दिया जाय।

रेलवे का प्रशासन बहुत जटिल है। प्रत्येक किस्म की नौकरी के असंख्यों वर्गीकरण हैं। इससे कठिनाइयों में और भी वृद्धि हो गई है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देवें।

श्री गणपति राम (जौनपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे की माननीय सदस्यों ने जितनी प्रशंसा की है वह कम नहीं है और जनता भी इस चीज को आज महसूस करती है कि अगर किसी विभाग का काम विकास के नाम पर और सहूलियत के नाम पर देखने में आता है तो वह रेलवे विभाग का ही काम है। मैं चन्द बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा उसके बाद और विषयों पर प्रकाश डालूंगा।

मैंने पिछले बजट पर बोलते हुए कहा था, और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, कि शाहगंज रेलवे स्टेशन पर, जो कि लखनऊ और बनारस लाइन पर है और एक जैक्शन भी है, हर साल दो एक जानें चली जाती हैं, केवल इस वजह से कि बड़ी लाइन के जो प्लेटफार्म हैं उस पर ओवर ब्रिज नहीं है। वहां पर सामान भी आ कर पड़ा हुआ है, लेकिन इसको बनाने में देर हो रही है। यह काम सालों से पड़ा हुआ है। इस पर ध्यान देकर जनता के कष्ट को दूर करना चाहिये।

मैंने पिछले बजट में यह भी कहा था कि जौनपुर जैक्शन पर, जहां बनारस से, लखनऊ से और सुलतानपुर से आकर लाइनें मिलती हैं, आजादी के बाद आज तक एक भी नया शेड नहीं बनाया गया। पुराने प्लेटफार्म नं० २ पर एक छोटा सा शेड है, जो कि नम्बर दो प्लेटफार्म पर पहले से था। उसमें भी अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया। अगर भारत सरकार वहां की जनता को सहूलियतें देना चाहती है तो रेलवे मन्त्रालय वहां पर प्लेटफार्म नं० १ पर १ और शेड बनवाने की कृपा करे। लेकिन मैं आपका काफी शुक्रगुजार हूं कि इस समय जौनपुर रेलव यार्ड में जो विकास कार्य किया जा रहा है उसने

जनता को काफी प्रोत्साहन दिया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह सुना गया था कि शाहगंज से इलाहाबाद को मिलाने वाली रेलवे लाइन जो वाया जंघई होकर जाने वाली थी उसका सर्वे किया जायगा, लेकिन हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में अन्त समय तक भी इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मालूम होता है कि शाहगंज से इलाहाबाद वाया पिलाकीछा, मछलीशहर और जंघई की लाइन को टाला जा रहा है जो कि बनाई जाने वाली थी। उसके बना देने से जनता को काफी सहूलियत हो जायगी और इलाहाबाद आने वाले पैसेंजर सीधे आजमगढ़ और बलिया से शाहगंज होकर आ सकते हैं।

जौनपुर में जो० आर० पी० एफ० का स्टाफ है उसके विषय में रेलवे बोर्ड, जनरल मैनेजर और डी० एस० को बड़ी शिकायतें की गईं। उनकी खास शिकायत यह है कि कभी कभी फर्स्ट और सेकेण्ड क्लास कोचेज में वे जाकर सो जाते हैं और जब फर्स्ट और सेकेण्ड क्लास के पैसेंजर आते हैं तो वे दरवाजों को खोलते नहीं हैं। जब कभी टी० सी० और ए० एस० एम० इंचार्ज से शिकायत की जाती है तो वे उन लोगों से ही लड़ने लगते हैं और कभी कभी तो बन्दूकें भी तान लेते हैं। कभी कभी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जुडिशल आफिसर जौनपुर, तहसीलदार, ए० पी० डब्ल्यू० आई० और सर्किल इंचार्ज थाने को आर० पी० एफ० वालों ने धक्के दिये हैं और मारा है। इतना ही नहीं जो महिलाओं की फर्स्ट और सेकेण्ड को चेज होती हैं उनमें भी वे जाकर सो जाते हैं और जब महिलायें आती हैं तो उनको खोलते नहीं हैं। इस तरह की शिकायतों पर, जुडीशल आफिसर जौनपुर, तहसीलदार जौनपुर, ए० पी० डब्ल्यू० आई० जौनपुर और सर्किल इंचार्ज थाने जैसे जिम्मेदार अधिकारियों की शिकायतों पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये। साथ ही जब टी० सी० इंचार्ज ने उन लोगों से रिक्वैस्ट किया और उनके खिलाफ इस की एन्क्वायरी हुई तो इस पर टी० सी० को जान माल की धमकी भी दी गई। इस तरह की शिकायतें नहीं होनी चाहियें। यह गडबड़ी जौनपुर से इलाहाबाद की लाइन पर, जौनपुर से बनारस लाइन पर और जौनपुर से शाहगंज लाइन पर भी हुआ करती है। मैं इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं।

मैं रेलवेज में टिकटलैस ट्रैवलिंग के सम्बन्ध में बोलते हुए यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जौनपुर-इलाहाबाद रेलवे लाइन पर और खास तौर से जंघई से इलाहाबाद के बीच में फर्स्ट और सेकेंड क्लास कम्पार्टमेंट्स में अक्सर बगैर टिकट लोग घुस आते हैं और कभी कभी तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के यात्रियों को इस के कारण खड़े खड़े असुविधा में सफर करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही मैं रेलवे मंत्रालय की इसके लिये तारीफ भी करता हूं कि उसने इस टिकटलैस ट्रैवलिंग को रोकने की दिशा में कुछ प्रयत्न किया है और उसके परिणामस्वरूप पहले की अपेक्षा अब रेलवे में बगैर टिकट की यात्रा में कमी भी हुई है। लेकिन आपके द्वारा इस ओर अधिक तवज्जह देने की जरूरत है जिससे कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के यात्रियों को सहूलियत मिल सके।

इलाहाबाद से मेजारोड जाते हुए देखा जाता है कि वहां पर काफी तादाद में जनता बगैर टिकट लिये चलती है और करीब एक तिहाई या एक चौथाई पब्लिक बिना टिकट के रेल पर सफर करती है और मजा यह है कि टी० टी० वगैरह की हिम्मत नहीं कि वह उनको इसके लिये पकड़ कर दण्डित करवा सकें। मैं समझता हूं कि रेलवे मंत्रालय के दफ्तर में ऐसी शिकायतें भी आई होंगी कि जिन बेचारे टी० टी० ई० ने इसकी शिकायत भी की और चैकिंग करने की हिम्मत दिखलाई तो उनको ऐसा करने से रोका गया और न मानने पर उनको जान और माल वगैरह की धमकियां भी दी गईं। यहां तक सुनने में आया है कि एक टी० सी० से २५० रुपया इसलिये चार्ज किया गया कि उसने शिकायत कर दी थी। इस तरह की शिकायतें उस लाइन पर हैं और मैं आशा रखता हूं कि मंत्री महोदय उनकी ओर ध्यान देंगे और उनको दूर करने की उचित व्यवस्था करेंगे।

रेलवेज के अन्दर शेड्यूल्ड कास्ट्स का कोटा फिलअप नहीं किया जा रहा है हालांकि मैं इस तथ्य से इंकार नहीं करसकता कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया के आफिसों में और राज्य सरकारों के और

[श्री गणपति राम]

विभागों के मुकाबले में रेलवे विभाग ने सबसे अधिक शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की सर्विस में लिया है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सन् १९५२ में जब हमारे सदन के सदस्यों ने एक बार सदन में यह प्रार्थना की थी कि कम से कम एक बुकलैट छाप कर हर साल मेम्बर्स को दी जाय जिससे कि मालूम हो सके कि हर साल कितनी नई जगहें बनाई जाती हैं, कितनी अर्जियां इनवाइट की जातीं है और फाइनली कितनी सेलेक्शन में आती हैं, तो सन् ५२ में इस तमाम जानकारी से सम्बन्धित एक बुकलेट हर एक पार्लियामेंट के मेम्बर को दी गई थी लेकिन उसके बाद से फिर इस तरह की जानकारी वाली बुकलैट प्रोवाइड नहीं की गई। मैं चाहूंगा कि मेम्बरों को इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी इस तरह की बुकलैट्स से समय समय पर मिलती रहनी चाहिये।

यह तो ठीक है कि अन्य जगहों की अपेक्षा रेलवेज में शेड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिनिधित्व अधिक है, उनका कोटा और जगहों की अपेक्षा अधिक है। लेकिन रेलवेज में भी मैं यह बतलाना चाहता हूं कि नीचे की श्रेणी में अर्थात् क्लास ४ में ही शेड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। अधिकतर उनको सेवकों के ही रूप में रक्खा जाता है। और मेहतरों की जगहें उनको दी जाती हैं क्योंकि इस सर्विस में गैर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग आते नहीं वैसे अगर उनको इसका गिला हो कि वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट्स की संख्या अधिक है तो उनको खुला निमन्त्रंण है वे मेहतरों में भरती होकर स्वीपर्स का कम कर सकते हैं। मेरी तो मांग है कि हमारे उन शेड्यूल्ड कास्ट्स के भाइयों को जो कि पढ़े लिखे हैं और क्वालिफाइड हैं और आज उनकी संख्या काफी है, ऐसे हमारे भाइयों को क्लास २ और ३ में भी नौकरियां दें और खाली क्लास ४ में ही उनको न रक्खें। आज भी दिल्ली के रेलवे आफिस में हालांकि कौम्पीटेंट शेड्यूल्ड कास्ट एम्पलायीज की कमी नहीं है लेकिन उनको जिम्मेदारी के पदों पर नहीं लिया जाता है और बहाना कुछ न कुछ न लेने के वास्ते बना दिया जाता है और कह दिया जाता है कि हम क्या करें शेड्यूल्ड कास्ट्स में से तरक्की देने के लिये कौम्पीटेंट और ड्यूली क्वालिफाइड स्टाफ नहीं मिलता है। रेलवे सर्विस कमीशन में काफी जिम्मेदारी के पद पर काम करने वाला एक्सपीरियन्सड स्टाफ हेड क्वार्टर में पड़ा है आप क्यों नहीं वहां के हमारे अनुभवी शेड्यूल्ड कास्ट्स के भाइयों को जिम्मेदारी की जगहों पर बैठाते? उनकी सेवाओं की हर जगह प्रशंसा हुई है। आप उनको जिम्मेदार पदों पर जाने का मौका दें।

नार्थ इर्स्टन रेलवेज में प्रमोशन में रिजरवेशन रूल्स के बारे में रेलवे मंत्रालय की ओर से जो एक सरकुलर निकाला गया था तथा अन्य रेलवेज ने अपनी रेलवेज में उसको एम्पलीमेंट भी किया लेकिन नार्थ ईस्टर्न रेलवे एक ऐसी रेलवे है जहां पर कि जनरल मैनेजर से बार बार कहने के बावजूद भी वह रिजरवेशन रूल्स अमल में नहीं आये। शायद अभी दो महीने पहले से उनको एम्पलीमेंट किया है। इतना ही नहीं मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि वहां जो शेडयूल्ड कास्ट्स के एम्पलायीज हैं और जो जिम्मेदार पदों पर हैं उनको केवल इस नाते कि वह चूंकि शेडयूल्ड कास्ट्स का कोटा सर्विसेज़ में बढ़ाने का प्ली देते हैं तो उनको गलत गलत तरीके से और एडीशनल काम दे करके गिराया जाता है फिर किसी की कौनफिडेंशल रिपोर्ट को खराब कर दिया जाता है और किसी को डिग्रेड करने के लिए एंटरीज खराब कर दी जाती है। इतना ही नहीं मुझे तो यह कहते हुए शर्म आती है कि जो रेलवे के जी०एम० हैं, उनके बारे में मुझे ऐसा पता चला है कि उन्होंने अपने एक लड़के के मुंडन के समय लोगों को दो दिन निमंत्रण दिया। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण एम्पलाइज को निमंत्रण दिया और एक दिन नान ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। इस तरह का स्पष्ट भेदभाव कम से कम जिम्मेदार अफसरों के द्वारा तो नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि वहां पर पंजाब के जो एम्पलाइज हैं और जो जिम्मेदार पदों पर हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश

के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी अपेक्षा वहां पर साउथ इंडियन एम्पलायीज़ को ज्यादा प्रीफ्रेंस दिया जाता है और जिसके कारण नार्थ ईस्टर्न रेलवे एम्पलाइज में असन्पोष पैदा हो रहा है। कहा तो यह जाता है कि साउथ इंडियन एम्पलायीज़ को प्रीफ्रेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि वह ज्यादा क्वालीफाइड है। लेकिन मुझे यह कहते हुए हिचक नहीं होती कि अभी पिछले कुछ वर्ष पहिले कुम्भ के अवसर पर जो स्टाफ रक्खा गया था वह नाकाफी समझा गया था और उसको लेकर काफी आलोचना हुई थी लेकिन हमने देखा कि जब अर्ध कुम्भी हुई तो जितना पूर्ण कुम्भ में स्टाफ लगाया गया था उसका आधा लगाना चाहिए था लेकिन ऐसा न करके पिछले साल के मुकाबिले में दूना और तिगुना स्टाफ लगा कर एक मदरासी एम्पलायी को प्रमोशन दिलवाने के लिए इस तरह के मौके दिये जाते हैं। इतना ही नहीं स्टाफ में हांलांकि एक पंजाबी सीनियर भी होता है और मैरिट में भी अच्छा रहता है तो भी केवल एक साउथ इंडियन एम्पलायी को अनड्यू प्रमोशन देने के लिए उस पंजाबी एम्पलायी की कौनफिडेंशल रिपोर्ट खराब कर दी जाती है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस धींगाधागी की ओर इलसिए दिलाना चाहता हूं ताकि वे ऐसे निर्देश दें कि इस तरह के नियम विरुद्ध बात न की जाय और जो पालिसी है उसके खिलाफ न जाय।

मैं आपका ध्यान खासतौर से इलाहाबाद रेलवे सर्विस कमिशन के आफिस में होने वाली अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह कहा जाता है कि रेलवे सर्विस कमिशन रेलवेज अन्दर जो शेडयूल्ड कास्ट्स की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए रक्खा गया है लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ कि इलाहाबाद रेलवे सर्विस कमिशन के आफिस में भी शेडयूल्ड कास्ट्स का कोटा पूरा नहीं किया जा सका है हांलाकि उसको बने ५, ६ वर्ष हो चुके हैं। मुझे तो यह बतलाते हुए शर्म आती है कि वहां के एक जिम्मेदार सेलेक्शन बोर्ड के अधिकारी से यह मालूम हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले एक कैटरिंग मैनेजर की पोस्ट निकली थी जिसमें कि एक शेड्यल्ड कास्ट एम्पलायी और एक नान शेड्यूल्ड कास्ट एप्पलायी को इंटरव्यू के लिये बुलाया गया था। और शेड्यूल्ड कास्ट का एम्पलायी फौरेन विदेशी डिग्री याफता था और एक्सपीरियंस्ड भी था जब कि नान शेड्यूल्ड कास्ट वाला यहीं हिन्दुस्तान की डिग्री रखता था और उसका तजुर्बा भी उससे कम था। जब तक सेलेक्शन बोर्ड को यह मालूम न था कि वह शेड्यूल्ड कास्ट का है तो उस को फर्स्ट बैस्ट और नान शेड्यूल्ड कास्ट को सेकेंड बेस्ट उन्होंने रक्खा लेकिन जब रेलवे बोर्ड के सामने नाम प्रपोज करने का मौका आया और उनको मालूम हुआ कि वह शेड्यूल्ड कास्ट का है तो उन्होंने दूसरे को यानी नान शेड्यूल्ड को सेकेंड बेस्ट को उस के लिये रेकमेंड कर दिया। इसके बाद हुआ यह कि रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय किया कि जब उसी पे पर हमें एक एम्पलायी मिलता है तो किसी और को ज्यादा पे पर रखने की क्या जरूरत है और इस लिये शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी वह जगह पा सका।

डी० एस० आफिस आलमबाग लखनऊ में भी नार्दन रेलवे का आफिस है उसमें इस तरह के भ्रष्टाचार के केसेज नोटिस में आये हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एम्पलायी की सीनियारिटी और मैरिट के होते हुए भी एक नान शेड्यूल्ड कास्ट्स एम्पलायी को इस नाते अनड्यू प्रमोशन दे दिया जाता है और बहाना यह कर दिया जाता है कि करा क्या जाय हमें शेड्यल्ड कास्ट में ड्यूली क्वालिफाइड आदमी मिलते नहीं हैं। आज रेलवे के दफ्तरों में हम देखते हैं कि हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स के एम्पलायीज को उनका ड्यू शेयर नहीं दिया जाता है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता है और उनके मुकाबले नान ड्यूल्ड कास्ट्स वालों को तरक्की दे दी जाती है और उसके लिये कुछ न कुछ एक्सक्यूज बना दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि वे भाई जो कि जिम्मेदार पदों पर हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको इस तरह का जातीयता वाला और वर्गवाद का व्यवहार नहीं करना चाहिये जिससे कि वे लोग जो कि सदियों से कुचले जाते रहे हैं उनके दिलों में इस किस्म की भावना पैदा हो कि हमारे साथ न्याय और अधिकार रहते हुए भी हमको न्याय नहीं दिया जाता है। अगर आप न्याय देर से देते हैं तो जस्टिस

[श्री गणपति राम]

डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली कहावत चरितार्थ होती है और देर से दिया हुआ न्याय न्याय न देने के बराबर ही हो जाता है। बहुत सी जगहों पर हमारे शेड्यूल्ड कास्ट वालों ने अपने यूनियन बना लिये हैं क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया कि इसके बगैर उनका कोटा पूरा नहीं हो सकता। मैं माननीय रेलवे मंत्री जी का ध्यान नार्थ ईस्टर्न रेलवे शिड्यूल्ड कास्ट एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स यूनियन की तरफ दिलाना चाहता हूं। उन्होंने उसका कांस्टीट्यूशन बना लिया और जी० एम० को भेजा और जहां तक मुझे याद है मैं ने ही उस केस को फारवर्ड किया था, लेकिन दो महीने से ज्यादा समय हो गया अभी तक उनका जवाब नहीं आया। जब भी मैं ने बम्बई के जी० एम० को या नार्दर्न रेलवे के जी० एम० को लिखा तो उनका फौरन उत्तर मिला ।

आज भी नार्थ ईस्टर्न रेलवे के कर्मचारियों को शिकायत है कि अधिकारियों में यह भावना है कि शेड्यूल्ड कास्ट वालों को दबाया जाय और जो अधिकार उनको मिले हुए हैं उनसे उनको वंचित रखा जाय। मैं तो यह डिसक्लोज करने में भी हिचक नहीं रखता कि जब सन् १९५९ में मैं डी० वाई० सी० पी० ओ० से शिड्यूल्ड कास्ट वालों के प्रोमेशन के बारे में बात करने गया तो उन्होंने जवाब दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकुलर आया है इस बारे में उसमें कुछ लेकूना रह गया है, इस लिये पूरा बैनिफिट (लाभ) शिड्यूल्ड कास्ट वालों को नहीं मिल सकता। इसलिये उसको अभी तक इम्प्लीमेंट (क्रियान्वित) नहीं किया जा रहा है। मैं ने उनसे पूछा कि अगर पूरा बैनिफिट नहीं मिल सकता तो जितना मिल सकता है उतने को आपने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उनके पास उसका जवाब नहीं था। अब ऐसे ही अधिकारियों को प्रोमोशन दिया जाता है । ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलन का अवसर दिया ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में अपने विचारों को यहां रखने का प्रयत्न करूंगा ।

पिछली बार माननीय अध्यक्ष जी ने यह सुझाव दिया था कि भिन्न भिन्न रेलों से सम्बन्धित संसद् सदस्यों की बैठक माननीय मंत्री जी बुलाया करें। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने समय समय पर संसद् सदस्यों का परामर्श लेना प्रारम्भ कर दिया है। इस सम्बन्ध में केवल एक दो सुझाव मैं देना चाहता हूं। एक सुझाव तो मैं यह देना चाहता हूं कि हमारे वर्ष में तीन अधिवेशन होते हैं, यदि प्रत्येक अधिवेशन में हमें कम से कम एक बार मिलने का अवसर दिया जाय तो बहुत सी स्थानीय बातें और कम महत्व की बातें जिनको सदन में कहा जाता है उनका फैसला वहां किया जा सकता है ।

मुझे पिछली दो बैठकों में जाने का अवसर मिला है। दूसरी बात जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं वह यह है कि जो पहली बैठक में सुझाव दिये गए होते हैं उन पर जो कार्रवाई की जाती है उसको दूसरी बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। उस पर उस बैठक में बहस शुरू हो जाती है और बहुत समय निकल जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पिछली बैठक की कार्रवाई की रिपोर्ट सदस्यों को दूसरी बैठक होने से दस पन्द्रह दिन पहले भेज दी जाया करे। इससे उनको सहूलियत होगी और वह तैयार होकर आयेंगे ।

इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । वैसे तो रेलवे विभाग को परामर्श देने के लिये जो ज़ोन हैं उनमें परामर्षदात्री समितियां हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, या जो जिलों के हैडक्वार्टर्स के स्टेशन हैं या जंक्शन हैं या ऐसे स्टेशन हैं जहां पर जा कर

रेल समाप्त हो जाती है वहां पर साल में कम से कम एक बार डिवीजनल सुपरिटेंडेंट जाएं और वहां के संसद् सदस्यों को और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों को बुला कर उनसे बात करें तो जो उनकी कठिनाइयां हैं उनमें से बहुतों का समाधान हो सकता है। मैं शिकायत तो नहीं करना चाहता, लेकिन देखता हूं कि कभी कभी रेलवे के जनरल मैनेजर साहब साल भर में दौरे पर जाते हैं, उनकी एक स्पेशल ट्रेन चलतीं है और कभी कभी तो साधारण गाड़ियों को रोक कर भी उसको चलाया जाता है । मैं इसकी शिकायत नहीं करता। यह अच्छी बात है। लेकिन अगर वह अपने आने की स्थानीय संसद् सदस्यों को भी सूचना दे दें तो वह उनसे मिल सकते हैं और अपनी बातें कह सकते हैं। जो उस इलाके के डिवीजनल सुपरिनटेंडेंट हैं उनको तो जरूर हिदायत होनी चाहिये कि जब वह दौरे पर जाएं तो वह स्थानीय संसद् सदस्यों को और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों को अपने आने की सूचना दें और समय दें ताकि वे उनसे बातचीत कर सकें।

रेलों के विकास के सम्बन्ध में पिछले कई दिनों से मंत्री जी को और रेलवे मंत्रालय को बधाइयां दी जा रही हैं। मैं भी उन बधाइयों में सम्मिलित होना चाहता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वाधीनता से पहले रेलों के निर्माण में जितनी प्रगति हो रही थी उतनी अब नहीं हो रही है । इसका कारण क्या है यह तो मंत्री जी जानते होंगे लेकिन हमको इनके अधिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिये। तीसरी योजना की तैयारियां हो रही है। इसमें कोई दलीय प्रश्न नहीं है। यह सारे देश का प्रश्न है। हमारा रेल परिवहन हमारे सारे आर्थिक जीवन की रीढ़ की हड्डी है और जब तक हम इसका पूरी तरह से विकास नहीं करते और विस्तार नहीं करते तब तक जो हमारी औद्योगिक और विकास की योजनायें हैं वे केवल कल्पना मात्र ही रह जाएंगी। इसलिये इस पर जोर देने की आवश्यकता है।

स्वयं माननीय मंत्री जी इस बात से परिचित हैं कि पिछले दस वर्षों में, उत्तर प्रदेश में जिसका इतना बड़ा इलाका है, केवल दो नई लाइनें बनायी गयी हैं, एक तो जिला एटा के हैडक्वार्टर को मिलाया गया है और दूसरे राबर्ट्सगंज से चर्क तक रेलवे लाइन बनायी गई है। और कुछ उखड़ी हुई लाइनें फिर से बनायी गई हैं। अब हमें तीसरी योजना के लिये आरम्भ से ही कोशिश करनी चाहिये ताकि जो बहुत सी लाइनें बनानी आवश्यक हैं उन पर सहानुभूति से विचार किया जाए।

इस सम्बन्ध में मैं खास तौर से मंत्री जी का ध्यान उस रेलवे लाइन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे वह स्वयं परिचित हैं, वह है ऋषीकेश कर्ण प्रयाग लाइन। यह तर्क दिया जा सकता है कि पहाड़ों पर रेलों को बनाने का कार्य बहुत व्ययसाध्य है। यह भी कहा जा सकता है कि जब वहां मोटर की सड़क बन गई है तो फिर रेल की क्या आवश्यकता है । पर अंग्रेज़ों के जमाने में इस लाइन का सर्वे किया गया था और अभी भी कई जगहों पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लगे हुये हैं जिन पर लिखा है आर० के० आर० । उस लाइन पर अभी तक कोई और काम नहीं हुआ है। अंग्रेज़ी शासनकाल में जब तिब्बत की ओर से खतरा पैदा होने की सम्भावना थी तब इस लाइन का सर्वेक्षण कराया गया था। आज भी उत्तर की दिशा से नया खतरा पैदा हो रहा है। तो इस लाइन के बनने से जो भारत के यात्री केदार नाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्तरी और गंगोत्तरी जाते हैं उनको ही लाभ नहीं होगा, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी उस लाइन का बड़ा महत्व है। उस इलाके में एक बहुत बड़ा बांध , नयार बांध, बनने वाला है। उसका निर्माण तीसरी योजना में होने जा रहा है ? उसके लिए भी इस लाइन से सीमेंट, मैशिनरी आदि लाने ले जाने में सुविधा होगी। इसलिये मैं मंत्री जी से, अनुरोध करूंगा कि वह रक्षा मंत्रालय से, और उत्तर प्रदेश की सरकार से परामर्श करें और इस लाइन को तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिलाने का प्रयत्न करें। इस लाइन के बनने से बद्रीनाथ जाने का पूरा मार्ग नहीं तो आधा मार्ग रेल द्वारा तै किया जा सकेगा।

[श्री भक्त दर्शन]

मुझ से पहले परसों लतीफ साहब ने एक बड़ा लच्छेदार भाषण दिया उन्होंने बताया था कि क्या हालत है पानी की, क्या हालत है गाड़ियों आदि की। मैं उनकी एक ही बात का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम इस चीज के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी जानते हैं, डिप्टी मिनिस्टर साहब भी जानते हैं और उन्होंने बचन भी दिया है और हमारे इलाके के लोगों की यह बहुत बड़ी मांग है कि एक ट्रेन दिल्ली से गजरौला, बिजनौर होती हुई सीधे कोटद्वार तक चलायी जाए। इससे केवल दो तीन जिलों का ही लाभ नहीं है बल्कि सब देश-वासियों को इससे लाभ मिलेगा और मैं आवश्यकता समझता हूं कि पहली अप्रैल के टाइम टेबिल में इस ट्रेन को शामिल कर दिया जाए और अगर ऐसा न हो सकता हो तो पहली मई से तो हमारी यह मांग अवश्य पूरी कर दी जाएगी ।

अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों के जो लोग हैं अगर वह रेलों का लाभ उठाना चाहें तो आउट एजेंसियों के द्वारा ही उठा सकते हैं। मैं बड़ा आभारी हूं कि रेलवे मंत्रालय ने आउट एजेंसियों की संख्या बहुत बढ़ाई है। लेकिन लोगों को एक शिकायत है। वह यह कि जो मोटर आपरेटर्स ठेकेदार हैं, वह बहुत ज्यादा किराया चार्ज करते हैं। मुझे बताया गया कि पौड़ी तक तक से अगर दो सेर भी सामान भेजा जाए तो उसका किराया एक मन का चार्ज किया जाता है, कुछ ऐसा शिड्यूल ठेकेदार ने बना रखा है। तो इस में संशोधन होना चाहिये तब जाकर पहाड़ वालों के लिये उन आउट एजेंसियों की कुछ उपयोगिता हो सकती है।

मुझे बताया गया है कि कई जगहों में आउट एजेंसियों में रेल विभाग की अपनी मोटरें भी हैं। ।र सब जगह नहीं हैं ? इस पर विचार करना चाहिये। अभी तो नियोगी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी रेल रोड कोआर्डिनेशन के प्रश्न पर विचार कर रही है। तो इस बात पर भी विचार किया जाए कि जहां आउट एजेंसियां हैं वहां रेलवे अपनी मोटरों को भी चलाएं। इससे विभाग को भी फायदा होगा और यात्रियों को भी सुविधा हो सकती है। इस पर विचार किया जाए।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज उत्तर प्रदेश) : मैंने रेलवे मंत्री का भाषण बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है मैं पिछले वर्ष उनकी संतोषजनक प्रगति के लिये उन्हें बधाई देता हूं। मेरा सुझाव है कि हमारी तीसरी पंच वर्षीय योजना अधिक व्यापक और बड़ी हो। उसमें कम से कम २५,००० करोड़ रुपया व्यय होना चाहिये।

मुझे वेतन आयोग की सिफारिशों से बहुत निराशा हुई है। माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में श्रमिकों की भावना समझ कर उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। तभी वे लोग तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान अपना पूरा सहयोग दे सकते हैं।

मैं आपका ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे के महा प्रबन्धक की ओर भी दिलाना चाहता हूं। वहां महाप्रबन्धक ने अपनी विशेष शक्तियों के अधीन कई लोगों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। लगभग २७० मामलों में उसने अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग किया है। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि अपने पास मंगा कर उनकी जांच करें।

अब मैं आपके सम्मुख गोरखपुर, देवरिया और बस्ती की मांगें प्रस्तुत करता हूं। यह क्षेत्र नेपाल की तराई पर अवस्थित होने के कारण महत्वपूर्ण हो गया है। वहां संचार साधनों की व्यवस्था नहीं है। रेलवे मंत्रालय को उस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये। मेरा

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज यद्यपि गोरखपुर से केवल ३६ मील है तथापि वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। ज्ञात हुआ था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान रुद्रपुर से देवरिया, करिया, पदरुआना, खाड़ा से सीमांत में स्थित नौहानवा और नौगढ़ तक रेलवे लाइन बिछायी जायेगी। लेकिन यह योजना क्रियान्वित नहीं हुई। वस्तुतः यह इलाका बहुत पिछड़ा और अविकसित है। संचार साधनों के न होने के कारण वहां जीवन की कोई सुरक्षा भी नहीं है। वहां अधिकांश अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोग रहते हैं जिनका खूब शोषण किया जाता है।

गोरखपुर तक बड़ी रेलवे लाइन नहीं है इस कारण वहां जाने के लिये बाराबंकी या मरवाड़ी से गाड़ी बदलनी होती है। एलगिन पुल से केवल मोटर बसें गुजर सकती हैं अतः वहां यातायात रुका रहा है, अधिकांश माल मोटरों द्वारा जाता है। अतः मेरा सुझाव है कि गोरखपुर की आयोध्या, शाहगंज, या बाराबांकी से मिलाया जाय और एलगिन पुल को विस्तृत कर उसे गाड़ियों के लिय भी खोला जाय।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र आनन्दनगर में स्टेशन के पीछे बहुत सी भूमि पड़ी हुई थी। मैंने सुझाव दिया कि वहां बच्चों का पार्क बनाया जाय तथा स्टेशन को भी सजाया जाय लेकिन उस पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

तीन वर्ष पूर्व बेतार-के-तार संचालकों की एक परीक्षा हुई थी जिनमें से १५० व्यक्ति चुने गये। तीन वर्ष पश्चात् उनसे यह कहा जा रहा है कि वह चुनाव रद्द कर दिया गया। फलस्वरूप बहुत से व्यक्ति पहिले ही अतिवयस्क हो कर अन्य नौकरी के आयोग्य हो गये हैं। ऐसी बातें अनुचित हैं।

अब मैं रेलवे में भोजन व्यवस्था को लेता हूँ। जब से विभागीय भोजन व्यवस्था जारी हुई है रेलवे को नुकसान हुआ है और यात्रियों को भी काफी असंतोष हुआ है। इसका हल इस प्रकार किया जा सकता है कि रेलवे में खोमचा वेचने वालों की सहकारी समितियां बनाई जायं और उनसे से यह कार्य करने को कहा जाय। आशा है मंत्री महोदय रेलवे में सहकारिता के महत्व को समझेंगे और उसे इस क्षेत्र में प्रोत्साहन दगे।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** (अडोनी): मुझे इस बात से गम्भीर शिकायत है कि रेलवे लाइनें बिछाने के संबंध में आंध्र प्रदेश के प्रति उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा है। अंग्रेजों के शासन काल में रेलवे लाइनें बिछाने के संबंध में केवल उन्हीं स्थानों को प्रमुखता दी गई जिनका कुछ सामरिक महत्व था। ऐसे समय आंध्र प्रदेश से केवल एक दो बड़ी रेलवे लाइनें गुजरीं। अन्यथा आंध्र प्रदेश की बिल्कुल उपेक्षा की गई है। अतः मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे आंध्र प्रदेश के विकास की ओर ध्यान देवें जब तक आंध्र में नयी रेलवे लाहनें नहीं बिछायी जायेंगी तब तक वहां का आर्थिक विकास संभव नहीं होगा।

आंध्र सरकार ने यह सुझाव दिया है कि नेन्डियल से मिडकुर होते हुए नैलौर तक रेलवे लाइन बनाई जाय तथा एक दूसरी लाइन मिडकुर से कड़पा तक बनाई जाय। तथापि ये दोनों रेलवे लाइनें नहीं बनाई गई हैं जब कि अन्य राज्यों में रेलवे लाइनें बनाई जा रही हैं। कई स्थानों पर जहां से रेलवे लाइन गुजरती है वहाँ फाटकों पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नन्डियल अडोनी और अरुणाचलम् तीन बड़े नगर हैं जहां ऊपरी पुल न होने से सड़क पर यातायात कई घंटे रुका पड़ा रहता है। यदि रुपये की कमी के कारण पुल बनाना संभव नहीं है तो वहां के स्थानीय संस्थाओं के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वेंकटा सुब्बैया]

अधिकारियों को लिखा जा सकता है कि वे वहाँ से गुजरने वाले यातायात पर कुछ कर लगाकर वहां के लिये उपयुक्त धन राशि का प्रबन्ध करें। और इस प्रकार अपना अंशदान देकर वहाँ उपरि-पुल बनाने में सहयोग देवें।

अब मैं गाड़ियों के रुकने का प्रश्न लेता हूँ। पहिले एक्सप्रेस गाड़ियां तदपात्री तथा कोसगी स्थानों में रुका करती थीं। लेकिन अब रेलवे प्रशासन ने जो मापदंड रखा है उसके अनुसार वे उन स्टेशनों में नहीं ठहरतीं फलस्वरूप उससे यात्रियों की कठिनाइयां बहुत बढ़ गई हैं। रेलवे बोर्ड ने पुरी पैसेंजर गाड़ी केवल इस आधार पर बन्द कर दी है कि वे हैदराबाद से मदरास नई गाड़ी चला रहे हैं। उनका यह तर्क संगत नहीं कहा जा सकता है।

दक्षिण रेलवे को तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधाओं के लिये केवल २२ लाख रुपया दिया गया है। यह जोन भारत का दूसरा बड़ा जोन है। मेरा अनुरोध है कि इस प्रयोजन के लिये कुछ अधिक राशि की व्यवस्था की जाय। तथा इसके अन्तर्गत फ्लैग स्टेशनों के निर्माण की राशि न जोड़ी जाय क्योंकि यह एक पृथक विषय है। तथा इसके लिये अतिरिक्त राशि मंजूर की जाय।

मेरा यह भी निवदन है कि पंडलापल्ली में, जो मदरास कलकत्ता लाइन में अवस्थित है एक नया स्टेशन बनाया जाय।

बंगलौर से सिकन्दराबाद रेलवे लाइन में मरम्मत का काम चलने के कारण पिछले दो वर्षों से गाड़ियां दिन को चल रही हैं। इससे यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। अतः मेरा निवेदन है कि यह कार्य इस वर्ष अवश्य समाप्त कर दिया जाय।

ग्रांट-ट्रंक एक्सप्रैस में अभी भी पुराने डिब्बों का व्यवहार किया जा रहा है। इससे यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है। अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि पुराने डिब्बों को बदल कर उसमें आधुनिक प्रकार के डिब्बे लगाये जांय।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है मैं उनका आभारी हूं। समय को देखते हुए मेरे लिये यह संभव नहीं है कि मैं सभी बातों का उत्तर दे सकूं लेकिन फिर भी उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करूंगा जिनकी चर्चा यहां की गई है।

कठपुला, पुल तथा जमीन के नीचे बनाये जाने वाले पुलों की कई बार चर्चा की गई है। इनके बारे में कटौती प्रस्ताव भी बहुत से आये हैं। वैसे तो माननीय मंत्री महोदय तथा मेरे साथी श्री शाहनवाज ने इस समस्या पर प्रकाश डाल दिया है लेकिन इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय ने राज्य सरकारों को जो पत्र लिखा है उसकी कंडिका २ का हवाला देता हूं। उसमें लिखा है कि "भारत सरकार (यातायात और संचार मंत्रालय) ने अभी हाल में यह परामर्श दिया है कि फाटकों के स्थान पर ऊपरी पुल अथवा पृथ्वीगत पुल बनाने का कार्य राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिये। और योजना आयोग से उनकी पूर्व स्वीकृति मिल जाने पर उनका व्यय भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा राज्यों की योजना शीर्षक के अन्तर्गत राज्यों को विभिन्न विकास योजना के लिये दिये गये धन में खर्च किया जाना चाहिये। रेल भाड़े पर लिये जाने कर में सभी राज्यों का अंश है जो

†मूल अंग्रेजी में

राशि ऊपरी अथवा पृथ्वीगत पुलों के निर्माण पर व्यय की जा सकती है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को इस सम्बन्ध में लिखा है और आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निवेदन भी किया है। अतः यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वे वही कार्य करें जो वे आवश्यक समझती हैं और उनकी व्यवस्था अपनी योजनाओं में करें। और रेलवे प्रशासन को उन कार्यों की प्राथमिकता के सम्बन्ध में परामर्श दें। इस प्रकार राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाएं इन पुलों के बनाने के लिये रेलवे प्रशासन को समन्वित योजना बनाने में समर्थ होंगी और उनकी प्राथमिकता भी निश्चित हो जायेगी।"

यात्री भाड़ा कर के रूप में हम लगभग ११ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इकट्ठा करते हैं और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर अब तक हमने राज्यों को २६ करोड़ रुपये दिये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इन पुलों के निर्माण व्यय की पूर्ति के लिये एक निधि स्थापित की जाये। यह एक ऐसा मामला है जिसकी चर्चा सामान्य आयव्ययक की चर्चा के समय सम्भवतः योजना आयोग अथवा परिवहन मंत्रालय की मांगों की चर्चा के दौरान में की जा सकती है। अच्छा होगा यदि योजना आयोग के अधीन कुछ राशि अलग से निर्धारित की जाये और उसमें से इन पुलों का निर्माण किया जा सके ताकि फाटकों पर होने वाली देर में कमी हो सके।

यह स्मरणीय है कि यह देरी व्यक्ति विशेषों को नहीं बल्कि समय का राष्ट्रीय अपव्यय है। अतः इस बात का हम स्वागत करेंगे कि योजना आयोग इस कार्य के लिये अलग से निधि स्थापित करे और भीड़ को कम करने में सहायता करे। वर्ना इस समस्या का समाधान आसानी से नहीं होगा।

फिर इसके अलावा हम भी चुप नहीं हैं और यह भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि फाटकों पर होने वाली भीड़ कम से कम हो। हमारा उद्देश्य यह है कि ये फाटक ५ मिनट के लिये बंद रहें अथवा अधिक से अधिक १० मिनट के लिये। इस दृष्टि से मैं यह बात कह रहा हूं कि हमने बहुत से रेलवे प्रशासनों को यह आदेश जारी किये हैं कि महत्वपूर्ण स्थानों वाले इन फाटकों पर वे विचार करें और इस बात का प्रयत्न करें कि वहां पर होने वाले विलम्ब को दूर करें।

हमने उन्हें परामर्श दिया है कि जिन स्थानों पर सड़क यातायात का भारी रुकाव है और फलस्वरूप बहुत सी शिकायतें आती हैं वहां तार संचार सेवाओं में सुधार करने की बांछनीयताओं पर विचार करना चाहिये और यातायात के बढ़ती हुई वृद्धि का सामना करने के लिये निम्नलिखित रूप में इंटरलाकिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी चाहिये :—

१. महत्वपूर्ण फाटकों को पड़ौसी स्टेशनों से टेलीफोन द्वारा जोड़ देना चाहिये और जहां चौकीदार को आने वाली गाड़ी की पूर्व सूचना संभव न हो वहां गाड़ी के आने के समय स्वचालित चेतावनी घंटी की व्यवस्था की जानी चाहिये। ऐसा करने से चौकीदार आने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में जान जायेगा और वहां उन फाटकों पर होने वाली देरी में कमी हो सकेगी।

२. स्टेशनों की सीमा के भीतर फाटकों को स्टेशन के सिगनलों से इंटरलाक करने का काम फिर से करना चाहिये ताकि चौकीदार फाटक से गाड़ी गुजरते ही उनको खोल सके।

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

३. उन फाटकों पर, जो बहुत ही व्यस्त हैं, फाटक के दोनों ओर किवाड़ों की व्यवस्था करने के बजाय उठने वाले फाटकों की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि उन को एक ही साथ खोलने का कार्य केबिन से किया जा सके और इस प्रकार दोनों ओर की किवाड़ों को खोलने में चौकीदार का जो समय नष्ट होता है वह बचाया जा सके ।

हम ने यह भी अधिकार दिया है कि यदि सिगनल लीवर फाटक से दूर हों तो उन्हें फाटक के निकट लगाया जाय ताकि गाड़ी के गुजरते ही चौकीदार दरवाज़ा खोल दे और फाटक खोलने में जो देरी होती है वह कम की जा सके ।

हम ने प्रशासनों से इस मामले की जांच करने तथा योजना प्रस्तुत करने के लिये कहा है । हमें आशा है कि हम यह कार्य दो वर्षों में कर लेंगे और साथ ही हम ने यह निदेश भी दिया है कि इस दिशा में होने वाली वास्तविक प्रगति का पूरा पूरा ध्यान रखा जाय ।

श्री दीवानचन्द्र शर्मा ने पुलिस प्रशासन में द्वैध शासन को दूर करने के लिये एक समिति के नियुक्त करने की बात कही है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस बात का भ्रम है कि विशेष पुलिस संस्थान इन अपराधों के बारे में छानबीन करती है । लेकिन यह बात नहीं है । विशेष पुलिस संस्थान तो गृह मंत्रालय के तत्वावधान में भ्रष्टाचार का निराकरण करता है ।

माननीय सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिये कि रेलों के पास पुलिस बल नहीं होता । रेलों में तो रेलवे सुरक्षा बल होता है । संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार यह बल तो रेलों की सम्पत्ति अथवा रेलों को सौंपी गई सम्पत्ति की रक्षा करना ही है । गिरफ्तार करने अथवा तलाशी लेने के लिये भी सीमित अधिकार इस बल के होते हैं। व्यक्तियों एवं सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार तो संविधान के अधीन राज्य सरकारों के हैं । अतः यात्रियों की सुरक्षा की समस्या तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों की सुरक्षा का प्रश्न तो राज्य सरकारों का विषय है ।

यह कार्य सरकारी रेल पुलिस द्वारा किया जाता है । जी० आर० पी० दो तरह की हैं एक तो सामान्य पुलिस और दूसरी अपराधी पुलिस । सामान्य पुलिस रेलवे स्टेशनों पर तथा स्टेशनों पर खड़ी गाड़ियों में शान्ति की व्यवस्था करती है । इस पुलिस के लिये हम राज्य सरकारों को प्रति वर्ष लगभग ९४ लाख रुपये देते हैं । अपराध सम्बन्धी पुलिस राज्य सरकारों की है । और राज्य सरकारें ही इस का खर्चा उठाती हैं ।

माननीय सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि अपराधों को कम करने के लिये हमें अधिक जी० आर० पी० का प्रबन्ध करना चाहिये । लेकिन यह कार्य तो राज्य सरकारों का है । अब प्रश्न यह है कि इस बल को किस प्रकार बढ़ाया जाय और किस प्रकार अधिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाये ।

हम अपराधियों को पकड़ने, उन को दंड दिलाने, अपराधों का पता लगाने आदि के बारे में जी० आर० पी० की यथा संभव सहायता कर रहे हैं । लेकिन गिरफ्तार करने तथा अपराधियों पर मुकद्दमा आदि चलाने के सम्बन्ध में हमारे अधिकार सीमित हैं । हमारे पास ऐसे अधिकार नहीं हैं । यदि संसद् चाहे तो विधि में परिवर्तन हो सकता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों में स्टेशनों पर बिजली लगाने की बात कही है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन मंत्रालय का उद्देश्य अधिक से अधिक स्टेशनों पर बिजली

लगाने का कार्यक्रम है। हमारा कार्यक्रम १२०० स्टेशनों पर बिजली लगाने का है जिस में से ६४१ स्टेशनों पर बिजली लगा दी गई है। २०० स्टेशनों पर बिजली लगाने का कार्य हो रहा है। ऐसी आशा है कि द्वितीय योजना के अन्त तक हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। आसपास में बिजली होने पर हम निकटवर्ती स्टेशनों को प्राथमिकता देते हैं और वहां बिजली लगा देते हैं। अतः माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जैसे ही हमारे पास राशि होगी तो हम कटौती प्रस्तावों में उल्लिखित स्टेशनों पर भी बिजली लगा देंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ११०० स्टेशनों पर १५०० टेलीफून लगाने का हमारा कार्यक्रम है। अब तक हम ने ८५० स्टेशनों पर १३०० टेलीफोन लगाये हैं। कार्यक्रम के अनुसार २५० स्टेशनों पर टेलीफोन लगाना शेष है। इस में हमारा दोष नहीं है। पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ़ विभाग की कमी है। क्योंकि या तो निकट के एक्सचेंज पर भार अधिक है अथवा आसपास में कोई एक्सचेंज नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रयत्नशील हैं कि यथाशीघ्र वहां टेलीफोन लगा दिये जायें। ये टेलीफोन बाहरी स्थानों के लिये टेलीफोन करने के लिये नहीं हैं बल्कि गाड़ियों के आने जाने के बारे में पूछताछ करने के लिये ही हैं। किसी निजी कार्य के लिये यह टेलीफोन जनता के लिये खुले नहीं होंगे। लेकिन रेलों से सम्बन्धी कार्य एवं आपातकाल के समय इन का उपयोग किया जा सकता है। २१० स्टेशनों पर २२८ सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले गये हैं। हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक स्टेशनों पर टेलीफोन कार्यालय खोले जायें।

आउट एजन्सी के बारे में भी मंत्रालय की यही नीति है कि अधिक से अधिक संख्या में एजेन्सी खोली जायें क्योंकि ये एजेन्सियां क्षेत्र के भीतरी भागों को रेलों से मिलाने जुलाने का कार्य करती हैं। २२० एजेन्सियां हैं जिन में से अधिकांश का कार्य तो ठेकेदारों के हाथ में है और शेष का कार्य ठेकेदार तथा विभाग का सम्मिलित है। गत वर्ष केवल ३३ आउट एजेन्सियां खोली गईं। इस संख्या से मैं भी सन्तुष्ट नहीं हूं। इस सम्बन्ध में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ठेकेदार उपयुक्त हो। अगर उपयुक्त ठेकेदार मिल जायें तो हम अधिक से अधिक आउट एजेन्सियां खोलने के पक्ष में हैं। हम ने प्रशासनों को आदेश जारी किये हैं कि ऐसे स्थानों की सूची तैयार की जाय जहां की जनसंख्या १०,००० से अधिक हो और वे स्थान निकटवर्ती स्टेशनों से ५ मील से अधिक दूर हों। ताकि उपयुक्त ठेकेदार के मिलने पर वहां आउट एजेन्सी खोल सकें।

श्री दामानी ने उल्लेख किया है कि दावों की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि दावों के लिये जो राशि दी गई है उस में भी थोड़ी सी कमी हुई है और दावों के निपटाने में जो समय लगता था वह भी कम हो गया है किन्तु फिर भी इस प्रगति से सन्तोष नहीं है। और हम इस प्रयत्न में हैं कि भविष्य में और भी कम राशि का भुगतान करें। यह हमारा अकथ प्रयत्न है कि इन दावों की संख्या कम से कम हो और इन का निबटारा भी यथा शीघ्र हो।

कुछ माननीय सदस्यों ने कार्य संचालन व्यय की वृद्धि का उल्लेख किया है। माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन दे चुके हैं कि हम कमी करने के लिये पूरा प्रयत्न करेंगे किन्तु फिर भी मैं असलियत बताना चाहूंगा। बात यह है कि १९५८-५९ की अपेक्षा १९५९-६० में यह व्यय १५ करोड़ रुपये बढ़ा है, जिस में से ५¹/₂ करोड़ रुपये कोयले के मूल्य में हुई वृद्धि, पुलों की मरम्मत आदि के निमित्त व्यय हुआ। यह मरम्मत व्यय भी अधिक बाढ़ के फलस्वरूप था। अतः वास्तव में वृद्धि केवल १० करोड़ रुपये की थी। लेकिन दूसरी ओर आय में भी २७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। दूसरी ओर यदि आप १९६०-६१ के आंकड़े देखें तो आप को ज्ञात होगा कि कार्य संचालन व्यय में ३५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। जिस में से २०.१२ करोड़ रुपये तो वेतन आयोग के प्रतिवेदन के फलस्वरूप हैं। एक करोड़ रुपये पिछले दायित्वों के लिये हैं। अतः कुल वृद्धि १३·७५ करोड़ रुपये की होगी जबकि आय में २८·५० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अतः इन आंकड़ों को देखने से कार्य संचालन

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

में हुई वृद्धि से घबराने की कोई बात नहीं है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इस के परिणाम सन्तोषजनक हैं। मेरे साथी ने कल बताया था कि सभी मंत्रालयों ने मिलकर कुल २३ लाख की बचत की है। लेकिन कुल बचत जो इन मंत्रालयों ने की थी वह ५·९९ करोड़ रुपये थी उस में से अकेले रेलवे मंत्रालय की बचत ५·७६ करोड़ रुपये थी।

रेलवे सामान सम्बन्धी समिति ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। और हम प्रति वर्ष अधिक से अधिक मात्रा में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। बहुत सी वस्तुएं जिन का हम अब तक आयात कर रहे थे अब हमारे यहां ही बनने लगी हैं। कुछ वस्तुएं जैसे स्टीम लोकोमोटिव के पुर्जे, प्रेशर कास्टिंग वेकम गाज आदि अब अपने यहां ही बनने लगी हैं और यह प्रसन्नता की बात है कि वे हमारी आवश्यकता के ही अनुरूप हैं। कुछ प्रकार की ट्यूबें भी अब हमारे यहां बन रही हैं। सवारी डिब्बों के सामान भी जैसे डायनुमा आदि भी अब अपने यहां बनने लगे हैं। सिगनल सम्बन्धी सामान भी अब अपने यहां बन रहा है। छोटे छोटे औज़ार, केबिल, टेलीफून का सामान, पेन्ट, वार्निश आदि आदि भी अपने यहां की बनी हुई काम में लाई जाती हैं। १९५६-५७ में हम ने आयातित इस्पात सहित १७१·३८ करोड़ रुपये का सामान क्रय किया जिस में से, भारत में बना सामान १२५·८२ करोड़ रुपये का था। १९५७-५८ में कुल २२१·८३ करोड़ रुपये का सामान क्रय किया गया जिस में से भारत का बना सामान १५८·४८ करोड़ रुपये का था। १९५८-५९ में कुल २५४·०८ करोड़ रुपये का सामान क्रय किया गया जिस में से भारत का बना सामान १६७·९३ करोड़ रुपये का था। इस से यह स्पष्ट है कि हम भारतीय सामान का उपयोग अधिक से अधिक संख्या में कर रहे हैं।

लोहे के कबाड़ का उपयोग कर के भी हम काफी बचत कर रहे हैं। वर्कशापों से निकलने वाले कबाड़ का उपयोग करने के लिये भी हमारी भारी योजना है। इस कबाड़ को हम ने कई श्रेणियों में बांटा है। वर्कशापों के कबाड़ का दो तिहाई कबाड़ तो रेलों में काम में लाया जाता है और एक तिहाई कबाड़ सरकारी क्षेत्रों में इस्पात कारखानों को भेज दिया जाता है। इस कबाड़ को पिघलाने और बाद को छड़ें बनाने के लिये अजमेर और जमालपुर में दो इकाइयां हैं। एक तीसरी इकाई दक्षिण भारत में खोलने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

कल रेलवे बोर्ड पर आक्षेप लगाया गया था कि यह स्वार्थ से कार्य कर रहा है। यह आक्षेप गलत है। अगर बोर्ड के सामने कोई हित है तो वह राष्ट्र का ही हित है। रेलें राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। किसी का भी स्वार्थ नहीं है। अतः यह आक्षेप ठीक नहीं था। मेरा निवदन है कि अगर रेलवे बोर्ड तथा रेलवे मंत्रालय के सामने कोई भी हित है तो वह केवल राष्ट्र की सेवा करना है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये गये तथा अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय	१,८७,४८,०००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३	चालू तथा अन्य लाइनों को भुगतान	२४,४७,०००
४	सामान्य कार्यवहन व्यय—प्रशासन	३९,१०,०२,०००
५	सामान्य कार्यवहन व्यय—मरम्मत और संधारण .	१२३,३६,६७,०००
६	सामान्य कार्यवहन व्यय—परिचालन कर्मचारी	७४,७४,७४,०००
७	सामान्य कार्यवहन व्यय—परिचालन (ईंधन) . .	६८,०७,७८,०००
८	सामान्य कार्यवहन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त) .	२३,७०,७८,०००
९	सामान्य कार्यवहन व्यय—विविध व्यय	३२,१३,६५,०००
१०	सामान्य कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण .	११,०५,३०,०००
११	अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग	४५,००,००,०००
१२	सामान्य राजस्व में देय लाभांश .	५७,२७,०२,०००
१३	चालू लाइनों पर काम (राजस्व)—श्रम कल्याण	१,६४,१८,०००
१४	चालू लाइनों पर काम (राजस्व)—श्रम कल्याण छोड़ कर	१२,३५,८२,०००
१५	नई लाइनों का निर्माण—पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि	५४,७६,०९,०००
१६	चालू लाइनों पर काम—विस्तार	२६४,१८,१२,०००
१७	चालू लाइनों पर काम—बदलाव	९२,३०,६१,०००
१८	चालू लाइनों पर काम—विकास निधि	२५,००,००,०००
१९	सामान्य राजस्व से ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी—विकास निधि	१०,०६,१२,०००
२०	विकास निधि में विनियोग	१८,४२,५२,०००

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के बारे में प्रस्ताव

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री द्वारा दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के बारे में २७ नवम्बर, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

शरणार्थियों की समस्या केवल भारत तक ही सीमित नहीं है वरन् संसार के बहुत से देशों में है । इस वर्ष संसार के ७६ देशों में विश्व शरणार्थी वर्ष मनाया जाएगा । पिछले विश्व युद्ध के कारण ७०० लाख व्यक्ति बेघरबार हो गए थे । उसके बाद राजनीतिक घटनाओं के कारण ४०० लाख व्यक्ति और बढ़ गए । मुझे यह तो नहीं मालूम है कि हमारा देश उस उत्सव में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

शामिल हो रहा है या नहीं परन्तु हमारी समस्यायें प्रायः वैसी ही हैं जैसी कि संसार के अन्य देशों की हैं। यह खुशी की बात है कि हमने पुनर्वास की समस्या अनेक मामलों में हल कर ली है ।

दण्डकारण्य भी एक पुनर्वास योजना है। प्रारम्भ में इसमें तीन राज्यों ने सहयोग किया था परन्तु अन्ततः दो ही राज्य इस योजना में सम्मिलित हुए। मैंने उस नोट को पढ़ा है जो इस योजना के सम्बन्ध में पुनर्वास मंत्रालय ने अप्रैल, १९५८ में परिचालित किया था। उसमें बड़ा आशाजनक चित्र उपस्थित किया गया है। बताया गया है कि योजना के अन्तर्गत मलेरिया का उन्मूलन किया जाएगा, संचार साधनों का प्रबन्ध किया जाएगा, उपलब्ध भूमि को काम में लाया जाएगा आदि आदि। इन बातों को पढ़ कर ऐसा मालूम हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये नये स्वर्ग का निर्माण हो रहा है।

उस नोट में एक वृहद योजना का उल्लेख भी था परन्तु पुनर्वास मंत्रालय के १९५८–५९ के प्रतिवेदन में उसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। उसके स्थान पर एक प्रावस्था भाजित कार्यक्रम का उल्लेख है। योजना को अनेक भागों में विभाजित किया गया है। वैसे तो प्रावस्था भाजित कार्यक्रम एक अनिश्चित शब्द है परन्तु फिर भी मैं आशा करता हूं कि उससे अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी ।

प्रतिवेदन में ३५,००० परिवारों के पुनर्वास के लिए उपबन्ध किए जाने का उल्लेख है। बताया गया है कि २०,००० परिवारों को विभिन्न कार्यों में रोजगार मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों की शिक्षा, सहकारी समितियों की स्थापना, रेलवे लाइन का निर्माण आदि कई बातों के बचन दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि ४५,००० एकड़ भूमि को खेती के योग्य बनाया जाएगा, ५००० ग्रामीण मकान बनाए जायेंगे, सड़कें बनाई जायेंगी और सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। परन्तु जहां तक वास्तविक कार्य का सम्बन्ध है इस प्रतिवेदन से हमें बहुत निराशा हुई है।

माननीय मंत्री ने २७ नवम्बर, १९५९ को सभा-पटल पर जो विवरण रखा था उससे मालूम होता है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार का गठन ठीक नहीं है। उसमें सहयोग की भावना का अभाव है। इंजीनियरिंग सदस्य और कृषि सदस्य के बीच मतभेद है। विकास प्राधिकार को शक्तियां तो पर्याप्त दी गई हैं परन्तु उसके सदस्यों में काम करने के उत्साह का अभाव मालूम होता है। यह कोई साधारण योजना नहीं है वरन् एक बहुमुखी योजना है। यदि इसका प्रशासन अन्य साधारण उपक्रमों की भांति किया गया तो वह सफल नहीं हो सकेगी।

१२ दिसम्बर, १९५९ को माननीय मंत्री ने सभा में एक वक्तव्य भी दिया था। उसमें भी अनेक वायदे किए गये थे परन्तु जहां तक वास्तविक क्रियान्वयन का सम्बन्ध है हमें कोई आशा के चिह्न नहीं दिखाई देते। धीरे-धीरे योजना के प्रति विश्वास घटता जा रहा है और एसा मालूम होता है कि योजना में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिन पर विजय पाना कठिन है ।

१७ फरवरी को योजना की सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा गया था। उसके उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि उन योजनाओं में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के कथनानुसार परिवर्तन किए गए हैं। मेरा निवेदन है कोई भी योजना निश्चित नहीं बनाई जाती है। अनेक बार परिवर्तन किए जा चुके हैं। इस प्रकार कार्य कैसे हो सकेगा ? दण्डकारण्य में ७० प्रतिशत लोगों को खेती में लगाया जाना है। जब सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं हो सकेगी तो

खेती कैसे हो सकेगी ? लोगों को भूमि दी जा रही है। परन्तु मेरा निवेदन है कि जब तक सिंचाई का प्रबन्ध नहीं होगा तब तक उस भूमि का फायदा क्या होगा ?

इसी प्रकार सड़कों के कार्य की स्थिति है। माननीय मंत्री ने १–३–६० को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि अमरावती से उमरकोट की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में पत्थर के संभरण का आदेश जारी किया गया है। मेरा निवेदन है कि कोई भी कार्य ले लीजिए अभी पूरा कुछ भी नहीं हो सका है। रेलवे, सड़कें, सिंचाई आदि प्रत्येक की वर्तमान स्थिति यही है कि कार्य चल रहा है और भविष्य में पूरा हो जाएगा। यह सब मैं किसी को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं वरन् वास्तविकता का चित्रण कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह योजना सफल हो ताकि विस्थापित व्यक्तियों का कष्ट दूर हो सके।

राज्य-सभा के वाद-विवाद से ज्ञात होता है कि अभी वहां थोड़े से परिवार ही भेजे गए हैं और वे भी संतुष्ठ नहीं हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह एक सर्वतोमुखी कार्यक्रम बनायें ताकि शरणार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां जंगली पशुओं का डर रहता है। उनसे बचाव का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। वहां एक माध्यमिक स्कूल की भी बहुत आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महीने में दस पन्द्रह दिन वहां जा कर रहा करें ताकि प्रशासकों को काम करने की प्रेरणा मिले।

मेरा निवेदन है कि इस योजना पर शरणार्थियों के पुनर्वास कार्य की सफलता अथवा असफलता निर्भर है। इसलिये योजना को सफल बनाने के लिये भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए। परन्तु अभी जिस गति से कार्य चल रहा है उससे कोई आशामय चित्र हमारे सामने नहीं आता है। मेरा अनुरोध है कि योजना के प्रशासन में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाना चाहिये जिनमें उसके प्रति उत्साह हो। वर्तमान मंद गति से वह कार्य कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वह प्रशासन को स्फूर्ति प्रदान करें ताकि यह योजना सफल हो सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : इस वक्तव्य से मालूम होता है कि सरकार ने इस राष्ट्रीय महत्व की योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अत्यन्त ढिलाई से काम किया है। १९५७ में जब यह योजना प्रारम्भ की गई थी तो यह बताया गया था कि ८०,००० वर्ग मील भूमि पर पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाया जाएगा और उनके लिए समस्त आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य के लिये बहुत अधिक प्रशासकीय योग्यता एवं दूरदर्शिता अपेक्षित थी। परन्तु खेद है कि इन बातों के अभाव के कारण यह योजना अभी तक सफल नहीं हो सकी है। माननीय मंत्री इस असफलता के लिये कोई न कोई बहाना बनाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि योजना का हर कदम पर विरोध किया जाता है। मेरा निवेदन है कि हमने शरणार्थियों को पश्चिमी बंगाल से बाहर भेजने का विरोध नहीं किया है। हां, हम इतना अवश्य चाहते हैं कि उन्हें बाहर भेजने से पहले स्वयं बंगाल की उपलब्ध भूमि का विचार कर लेना चाहिये। बहुत से शरणार्थी स्वयं ही पश्चिमी बंगाल के बाहर बस गए हैं। कुछ लोग खराब हो सकते हैं परन्तु इसका मतलब यह नहीं हैं कि माननीय मंत्री सभी को बुरा कहने लगें।

सरकारी प्रवक्ताओं ने दण्डकारण्य योजना की बहुत प्रशंसा की है। परन्तु मेरे विचार से वास्तविकता सर्वथा भिन्न है। वहां भूमि को खेती के योग्य बनाया जाना था, सिंचाई का प्रबन्ध किया जाना था और इसी प्रकार के अन्य अनेक कार्य किए जाने थे। परन्तु हम देखते हैं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

किस प्रकार कार्य हो रहा है उसमें आयोजन का सर्वथा अभाव मालूम होता है। संबंधित राज्य सरकारों के बीच समन्वय तनिक भी नहीं है। अभी बात यह निश्चित नहीं हो सकी है कि कौन सी भूमि कृष्यकरण और पुनर्वास के लिए उपलब्ध होगी। पहले रायगढ़–मलकनगिरी क्षेत्र को चुना गया था, फिर उसे छोड़ दिया गया। इस बीच में माननीय मंत्री ने पश्चिमी बंगाल के शिविर बंद करने का आदेश जारी कर दिया। चूंकि दण्डकारण्य में शरणार्थियों के रहने का प्रबन्ध तब तक नहीं हो सका था इसलिये छोलदारियां और तम्बू एकत्रित किए गए जिन पर सरकार का बहुत व्यय हुआ। मेरे विचार से पश्चिमी बंगाल के शिविर बन्द करने का निर्णय बहुत जल्दबाजी का था और उसी के परिणाम स्वरूप इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सिंचाई के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अभी तक वहां किन्हीं भी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो सकी है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री को दोषी नहीं कहता। परन्तु जब कोई प्रबन्ध नहीं हुआ था तो फिर शरणार्थियों को वहां जाने का आदेश क्यों जारी किया गया? इस पर भी मंत्री जी कहते हैं कि लोग दण्डकारण्य जाने का विरोध करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस कठिनाई का कारण सरकार के कार्यों में आयोजन का अभाव है। ९, फरवरी, १९६० को माननीय मंत्री ने लोक-सभा में यह कहा था कि आगामी ३ महीनों में ३००० परिवार दण्डकारण्य में बसाये जाने हेतु भेजे जा सकते हैं। परन्तु १ मार्च को तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ के उत्तर में यह बताया गया कि वहां ११,४०० परिवार भेजे जा रहेहैं। मेरा निवेदन है कि जब वहां अभी केवल ३००० परिवारों के लिये प्रबन्ध है तो इतने परिवारों को कैसे भेजा जा सकता है? जब यह बात माननीय मंत्री से कही गई तो उन्होंने यह कह कर बात टाल दी कि संभवतः ३० या ४० प्रतिशत परिवार ही जाने के लिए सहमत होंगे और शेष लोगों को कलकत्ता के आसपास ही रोजगार मिल जाएगा। मुझे माननीय मंत्री से ऐसी आशा नहीं थी। परन्तु खुशी है कि बाद में उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जितने परिवार दण्डकारण्य भेजे जायेंगे उन सबके लिए रहने, चिकित्सा, शिक्षा और काम की व्यवस्था की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि वह अपने बचन पर दृढ़ रहेंगे।

इस प्रकार की स्थिति में संसद के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। यह ठीक है कि प्राक्कलन समिति कुछ अनुसंधान कर रही है। परन्तु वह कुछ चीजों के सम्बन्ध में ही जांच करती है। हम उसके प्रतिवेदन के आने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। परन्तु उसके आने के बाद इस मामले के सम्बन्ध में संसदीय जांच की जानी चाहिए और जब तक वैसा होता है तब तक पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों को दण्डकारण्य जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि वहां शरणार्थियों के लिए समुचित प्रबन्ध हो जाता है तब तो ठीक है अन्यथा उनको वहां जाने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण दिये जाने चाहिए और बैनामों की योजना जारी रखी जानी चाहिए ताकि वे अपने रहने का उपबन्ध कर सकें। साथ ही सिंचाई की सुविधाओं और प्रतिमान एकड़ के निर्धारण के सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री को जांच करनी चाहिए तथा हमें आश्वासन देना चाहिए। जब माननीय मंत्री ने अपना कार्यभार संभाला था तब उनकी बहुत प्रशंसा की गई थी। परन्तु अब उनके कार्य की बहुत आलोचना हो रही है। जुगान्तर और अमृत बाजार पत्रिका जैसे पत्रों ने उनके प्रति बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री लोगों को सन्तुष्ट नहीं कर सकते तो उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : २७ नवम्बर को सभा-पटल पर जो विवरण रखा गया था उसमें दण्डकारण्य के प्रशासकीय संगठन के अधिकारियों की आपसी खींचातानी का उल्लेख है। इसके सम्बन्ध में समाचारपत्रों में भी बहुत कुछ प्रकाशित हुआ है। मेरा विचार है कि इस विवरण के आधार पर सभा में चर्चा करना बहुत कठिन है क्योंकि दोषी अधिकारियों को तो यहां लाया नहीं जा सकता। सभा में प्रशासन के प्रत्येक दोष के लिए मंत्री को ही जिम्मेदार समझा जाता है।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को शुरू में बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की गई थी। इस समस्त शक्ति का प्रयोग शुरू के आठ-नौ महीनों तक ही एक ही व्यक्ति करता रहा क्योंकि इस प्राधिकार में वही एक मात्र सदस्य था। मेरा विचार है कि एक ऐसी संस्था को, जो परिनिश्त नहीं है, इतनी अधिक शक्तियां देना सरकार की गलती थी। उसको इस प्रकार की शक्तियां दी गई थी जो स्वयं सरकार को भी नहीं मिलनी चाहिए।

दूसरी गलती है जुलाई, १९५९ तक शरणार्थी शिविरों के बन्द करने का निर्णय करना। वह निर्णय अदूरदर्शिता का प्रमाण है। यह ठीक है कि इन शिविरों पर बहुत व्यय होता था और उसको बन्द किया जाना चाहिए था। लाखों व्यक्ति इन शिविरों में बेकार पड़े रहते थे जो एक राष्ट्रीय हानि ही कही जायेगी। परन्तु बिना समुचित आयोजन किए इस प्रकार जल्दबाजी करना ठीक नहीं कहा जा सकता। इसलिए यदि १ जुलाई तक ये शिविर बन्द नहीं किये जा सके तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैंने तो स्वयं इस बात पर जोर दिया था कि इस समयावधि के सम्बन्ध में कठोरता नहीं बरती जानी चाहिए।

जहां तक दण्डकारण्य के पुनर्वास के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं अनेक बार यह कह चुका हूं कि वह शिविर के शरणार्थियों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। परन्तु सरकार ने शिविर के शरणार्थियों में से भी कुछ को अलग कर दिया है और बैनामों की योजना से उनकी संख्या और भी कम हो जाएगी। श्री मुकर्जी ने इस योजना का समर्थन किया। परन्तु मैं उसे ठीक नहीं समझता हूं। उसे न केवल भविष्य के लिए समाप्त किया जाना चाहिए वरन् जो लोग पिछले दो सालों में उसके शिकार बन चुके हैं उनको भी राहत मिलनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह दण्डकारण्य में केवल खेतिहर परिवारों को ही न लें वरन् अन्य लोगों को भी लें। एक सामासिक समाज में सब तरह के आदमी होने चाहिएं। खेतिहरों के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगरों, अध्यापकों आदि का होना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही प्रयत्न से कहीं बस गये हैं तथा जिन्होंने सरकार से कोई सहायता नहीं ली है। मैं समझता हूं कि यदि उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो उन्हें भी दण्डकारण्य जाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पुनर्वास ठीक नहीं हुआ है। इसमें शरणार्थियों की गलती नहीं है क्योंकि जो रुपया दिया गया था वह छोटी-छोटी किस्तों में दिया गया था। अतः उस रुपये से लोग न मकान ही बना सके और न कोई व्यापार ही कर सके। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए।

अभी तक इस योजना के सम्बन्ध में अनेक प्रशासकीय कठिनाइयां रही हैं परन्तु मैं आशा करता हूं कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत वह ठीक तरह चलती रहेगी और पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की समस्या हल हो जायेगी। जैसा श्री दी० चं० शर्मा कह चुके हैं इन शरणार्थियों की स्थिति पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों से भी अधिक खराब है। उन्हें कोई प्रतिकर भी नहीं मिला

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

था । इसलिए उनके लिए अधिकतम सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए । शिक्षा का प्रबन्ध तो वे स्वयं भी कर सकते हैं परन्तु उनके जीविकोपार्जन का प्रबन्ध सरकार को अवश्य करना चाहिए ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : दण्डकारण्य योजना का कार्य १९५७ में शुरू हुआ था और उसके लिए एक समिति का निर्माण किया गया था । प्रारंभ में रायगढ़-मलकनगिरी क्षेत्र को काम शुरू करने के लिए चुना गया था । बाद में मध्य प्रशदेश के बसतर जिले को चुना गया । परन्तु फिर उसे भी छोड़ दिया गया क्योंकि वहां साल के पेड़ बहुत थे । इस प्रकार पहला वर्ष बेकार निकल गया और कोई भी काम न हो सका ।

[**श्री मूल चन्द दूबे** पीठासीन हुये]

यह कार्य एक ऐसे मंत्री को सौंपा गया है जो बड़े कार्यकुशल समझे जाते हैं परन्तु फिर भी वह पूरा नहीं हो सका । अधिकांश शरणार्थी पश्चिमी बंगाल में बस गये हैं और यदि अब वे दण्डकारण्य क्षेत्र में जाने से इन्कार करते हैं तो इसके पीछे कोई राजनैतिक कारण नहीं समझा जाना चाहिए । वास्तव में वहां अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है इसीलिए शरणार्थी वहां जाने से इन्कार कर रहे हैं । माननीय मंत्री ने बताया कि १९६१ तक २०,००० परिवार वहां भेजे जायेंगे और ८,००० ग्रामीण घरों का निर्माण किया जाएगा । अर्थात् १९६१ के बाद भी १२,००० परिवार बिना घरों के रहेंगे । इसके अतिरिक्त वहां का जलवायु भी अच्छा नहीं है ।

माननीय मंत्री ने चिकित्सा सुविधाओं का उल्लेख किया है । परन्तु मेरा निवेदन है कि जिन दिनों प्राक्कलन समिति के सदस्य वहां गये हुए थे तो उचित दवा और देखभाल न होने के कारण एक बच्चा और मां मर गए । यदि यह सही है तो इसका उत्तर माननीय मंत्री को देना चाहिए ।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, बताया गया है कि अभी वहां केवल एक तालाब है । उससे अधिक से अधिक दस-पन्द्रह एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है । इस गति से हम निर्धारित लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकगे ?

श्री गुह ने कहा कि बैनामा योजना खत्म कर दी जानी चाहिए क्योंकि उससे विस्थापित व्यक्तियों को लाभ नहीं हुआ है । मेरा निवेदन है कि इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी योजना को असफल बना सकते है । हमें ऐसे लोगों के समक्ष झुकना नहीं चाहिए । वास्तविक बात यह है कि लोगों का इस योजना से विश्वास उठ गया है । माननीय मंत्री ने जिस स्वर्ग का चित्रण किया यदि वह ऐसा ही रहा तो संभवतः वहां कोई भी विस्थापित व्यक्ति नहीं जाएगा ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि (१) दण्डकारण्य विकास प्राधिकार का पुनर्गठन किया जाय जिसमें एक पूर्वकालिक गैर-सरकारी सभापति हो और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र और पश्चिमी बंगाल के प्रतिनिधि हों तथा मुख्य प्रशासक हो । (२) प्राधिकार को तुरन्त ही इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि विस्थापित व्यक्तियों को भूमि के सम्बन्ध में क्या अधिकार दिये जायेंगे और उन्हें कितना लगान देना होगा । (३) जो शरणार्थी पश्चिमी बंगाल में ही रहना चाहें उनको भी उतनी ही सहायता दी जानी चाहिए जितना कि दण्डकारण्य में उनके पुनर्वास में व्यय होगा । (४) बैनामा योजना बन्द नहीं की जानी चाहिए । (५) जो शरणार्थी कैम्पों के बाहर रह रहे हैं उन्हें भी दण्डकारण्य जाने की अनमति दी जानी चाहिए । (६) अन्त में, जल की समस्या भी हल की जानी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजीम

मैं श्री मुकर्जी द्वारा रखी गई संसदीय जांच की मांग का समर्थन करता हूं। वहां कोई लोहे का परदा नहीं है। इसलिए लोगों को वहां जाकर स्वयं अपनी आंखों से काम देखना चाहिए। माननीय मंत्री स्वयं एक विस्थापित व्यक्ति हैं। इसलिए उन्हें विस्थापित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वह इस प्रकार की जांच समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं करेंगे।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या बहुत बड़े आकार की है। इसलिए पुनर्वास मंत्रालय के कार्य पर विचार करते समय हमें उसके आकार का ध्यान रखना चाहिए। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्या और भी कठिन है क्योंकि वे बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहते। इसके अतिरिक्त मंत्रालय को उनकी संख्या, आने का समय और स्थिति किसी भी बात की जानकारी नहीं थी। इसलिए यह समस्या बहुत जटिल बन गई है।

मैं इस योजना के लिए माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। यह एक बहुत बड़ी योजना है जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। यह ठीक है कि उसके क्रियान्वयन में अनेक कठिनाइयां रही हैं परन्तु विकास प्राधिकार के सभापति के रूप में जिस अधिकारी का वरण किया गया है वह पंजाब के सर्वोत्तम अधिकारियों में से हैं। मेरा विचार है कि इतने बड़े आकार की योजना की उपलब्धियों का विचार इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी केवल डेढ़ वर्ष हुआ है।

श्री दी० चं० शर्मा ने आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया। लगभग १२,००० एकड़ भूमि साफ की जा चुकी है। और २००० एकड़ भूमि खेती के योग्य बनाई जा चुकी है। लगभग १६३१ परिवारों को वहां बसाया जा चुका है। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में यह सफलता कम नहीं कही जा सकती। हमें मंत्रालय को काम करने का अभी और समय देना चाहिये क्योंकि उसमें तीन राज्यों का सहयोग प्राप्त कर के काम हो सकेगा। मैं समझता हूं कि मंत्रालय का कार्य अच्छा रहा है। योजना के आकार को देखते हुए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिये और मैं समझता हूं कि हमें मंत्रालय का पूर्ण समर्थन करना चाहिये।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बहरामपुर): पिछले वक्ता ने मंत्रालय के कार्य की प्रशंसा की है। मेरा निवेदन है कि १९६० के अन्त तक ४५,००० एकड़ भूमि के कृष्यकरण का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु १२ दिसम्बर के वक्तव्य से ज्ञात होता है कि केवल ३५०० एकड़ भूमि का कृष्यकरण हुआ है। इसके बाद ९ फरवरी को माननीय मंत्री ने बताया कि १०,००० एकड़ भूमि का कृष्यकरण हो चुका है। इस प्रकार समय-समय पर भिन्न भिन्न आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं और हमारी समझ में यह नहीं आता कि किसे ठीक माना जाये।

फिर ग्रामीण मकानों के सम्बन्ध में यह लक्ष्य था कि १९६० के अन्त तक लगभग ५००० मकान बनाये जायेंगे। परन्तु १२ दिसम्बर के वक्तव्य में मकानों का कोई उल्लेख नहीं है। एक स्थान पर १०० मकानों का उल्लेख है परन्तु यह नहीं बताया गया है कि वे अस्थायी निर्माण हैं या ग्रामीण मकान। इसी प्रकार सिंचाई के सम्बन्ध में भी किसी कार्य के पूर्ण होने का उल्लेख १२ दिसम्बर के वक्तव्य में नहीं है। मेरा निवेदन है कि परिवहन सुविधाओं, उपभोक्ता, वस्तु उद्योग, सहकारी समितियों या बहुप्रयोजन फार्मों किसी के भी सम्बन्ध में अभी वास्तविक कार्य कुछ नहीं हुआ है। अभी वे सब कल्पना मात्र हैं।

जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है जब तक भूमि का कृष्यकरण नहीं होगा तब तक पुनर्वास कैसे हो सकता है। फिर भी माननीय मंत्री ने गत वर्ष यह कहा था कि जुलाई,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

१९५९ तक २०,००० परिवारों का पुनर्वास हो जायेगा । परन्तु अब ९ फरवरी को माननीय मंत्री ने बताया कि केवल १५५१ परिवार वहां भेजे जा सके हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के सभापति ने एक वक्तव्य में कहा है कि लगभग १६०० परिवार वहां पहुंच चुके हैं। परन्तु इनमें से केवल १२० परिवारों को अभी तक भूमि आवंटित की गई है ।

रोजगार के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं उन से कुछ भी समझ में नहीं आता है । मैं केवल इतना ही समझ सका हूं कि १०० व्यक्तियों को क्लीनर व ड्राइवर के काम में रखा गया है । अन्य कामों के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं वे अनिश्चित हैं। इससे मालूम होता है कि पुनर्वास और रोजगार के सम्बन्ध में सरकार गम्भीरता से काम नहीं ले रही है ।

मैं अधिक आंकड़े नहीं पेश करना चाहता परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जितना काम हुआ है उससे विस्थापित व्यक्तियों को खुश नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से काम कम होने का मुख्य कारण यह है कि प्राधिकार के विभिन्न सदस्यों की शक्तियों की समुचित व्याख्या नहीं की गई थी। मेरा निवेदन है कि जब तक शक्तियों की निश्चित व्याख्या नहीं की जायेगी तब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा । अतः मैं श्री मुकर्जी की इस मांग का समर्थन करता हूं कि समस्त प्रश्न की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये ।

†**श्री न० रं० घोष** (कूच बिहार) : मेरा विचार है कि दण्डकारण्य योजना में कितनी भी खामियां हों परन्तु शरणार्थियों के पुनर्वास का वही एकमात्र हल है । मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री के विचारार्थ पेश करना चाहता हूं ।

माननंत्री मंत्री को यह समझना चाहिये कि पश्चिमी बंगाल में अधिक लोगों को नहीं खपाया जा सकता है । इस लिये वैनामा योजना द्वारा वहां लोगों का पुनर्वास करने का प्रयत्न ठीक नहीं कहा जायेगा । जो लोग यह कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल में अभी भी लोगों को बसाया जा सकता है वे वास्तव में पुनर्वास के कार्य में विलम्ब करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुनर्वास की एक कठिनाई यह भी है कि वे लोग बंगाल के बाहर नहीं जाना चाहते । मेरा निवेदन है कि यह आरोप आंशिक रूप में ही ठीक है । इस प्रकार के रवैये का मुख्य कारण है राजनैतिक दलों द्वारा अड़चनें उपस्थित करना। यदि वे ऐसा न करें तो बहुत से लोग बाहर जाने को तैयार हो जायेंगे ।

एक कठिनाई और भी है जिसका संकेत मैं करना चाहता हूं । पूर्वी पाकिस्तान के कुछ लोग आसाम में आ कर बस गये हैं और पिछले १०–१२ वर्षों से वहां की भूमि पर खेती कर रहे हैं। अब उनको उस भमि से यह कह कर हटाया जा रहा है कि वह आदिम जातीय लोगों के लिये रक्षित किये गये क्षेत्र में आती है । यह ठीक नहीं है । इतने दिनों के बाद उन्हें उस भूमि से हटाना निर्दयता होगी।

मेरा विचार है कि पुनर्वास के प्रश्न पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये, विकास कार्य तो बाद में भी हो सकता है । इसके लिये यह आवश्यक है कि वहां मकान बनाये जायें । लोगों को वहां जाने से इन्कार करने का एक कारण यह भी है कि वहां मकान नहीं बनाये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य प्राधिकार का निर्माण एक संकल्प द्वारा किया गया था। परन्तु खेद है कि उसमें पश्चिमी बंगाल सरकार को कोई स्थान नहीं दिया गया है जिसका इस मामले से प्रमुख सम्बन्ध है। इसलिये योजना को सफल बनाने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को उसमें प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिये।

अन्त में मेरा निवेदन है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों की स्थिति बड़ी दयनीय है क्योंकि वे अपने साथ कुछ भी नहीं ला सके थे। इसलिये उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि यदि उनकी देखभाल करने वाले बंगाली भाषा जानते हों तो अधिक अच्छा है। उनकी मूल आवश्यकताओं--खेती के लिये जमीन और रहने के लिये मकान--की पूर्ति अवश्य की जानी चाहिये।

पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : मैं माननीय सदस्यों के रचनात्मक सुझावों का हवागत करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी इस योजना के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि शीघ्र ही इसे ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जाये। मुझे इस संबंध में पूर्व के माननीय सदस्य प्रोफेसर साहब से जो सहयोग का आश्वासन प्राप्त हुआ है उसपर मैं और अधिक प्रसन्न हूं। योजना बिल्कुल परिपूर्ण है और उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। इसमें केवल विस्थापितों और आदिवासियों का ही हित नहीं प्रत्युत सारे देश का हित है। परन्तु इस बात का खेद है कि जिन हालात में और जितने क्षेत्र में इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, उसको नहीं समझा जा रहा है। आजकल दो राज्यों में काम हो रहा है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। जिस क्षेत्र में काम हो रहा है यह लगभग ३० हजार वर्ग मील है। यदि आंध्र को भी इसमें मिला लिया जाये तो कुल मिला कर यह क्षेत्र ८०,००० वर्ग मील हो जाता है। यह सारा क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बराबर हो जाता है। म आंध्र प्रदेश में काम करने के विरूद्ध नहीं हूं, परन्तु जन, धन आदि के जो साधन मुझे उपलब्ध हैं उसके अनुसार मेरा मत यही है कि मुझे एक ही क्षेत्र पर पहले ध्यान देना चाहिये ताकि उसमें धन का भी समुचित उपयोग हो और ठीक ढंग से काम का समन्वय भी हो सके।

इस संबंध में कई एक बातें कही गयी हैं, मेरा कहना यह है कि इस व्यापक क्षेत्र को खेती योग्य के लिये शताब्दियों से सम्बद्ध सरकारें अपने अपने समय में समुचित प्रयत्न करती रही हैं। १९५७ में योजना आयोग के दो पदाधिकारियों ने यह अनुभव किया कि विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में बंगाल के अपने साधन प्रायः समाप्त हो गये हैं और उसके लिये बंगाल से बाहर कोई रोजगार के साधन ढूंढे जाने चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मैं नहीं चाहता कि मुझे गलत समझा जाये। भारत सरकार इस योजना पर प्रत्येक प्रकार का सारा खर्च वहन कर रही है। उसके लिये यह बात कोई महत्व नहीं रखती कि विस्थापितों को इस राज्य में बसाया जाता है कि उस राज्य में। उसके सामने तो यही लक्ष्य है कि उन्हें कहीं बसाया जाये। बंगाल की सरकार के लिये अपने राज्य में और अधिक विस्थापितों को बसाना संभव नहीं हो रहा है। मेरा अपना अनुभव भी यही है कि बंगाल में अब यह काम होना नितांत असम्भव है। यह मैं नहीं चाहता कि ये लोग कैम्पों म पड़े रहें। यदि मैं विस्थापितों को पश्चिमी बंगाल से दंडकारण्य में ले जाना चाहता हूं तो यह मैं अपने लिये अथवा भारत सरकार के लिये एक समस्या पैदा कर रहा हूं। और उन राज्यों के लिये भी यह विकट ही है जहां कि मैं इन विस्थापितो को ले जा रहा हूं। हर राज्य में अपनी अपनी समस्यायें हैं, विस्थापितों के लिये भूमि प्राप्त करना सरल काम नहीं है। मैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों का आभार मानता हूं कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित भाइयों के पुनर्वास के लिये भारत सरकार को भूमि देनी स्वीकार कर ली है। किसी को बुरा भला कहना और किसी की

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

नीयत पर सन्देह करना अच्छी बात नहीं है। यह बात ठीक है कि मैं इस सदन के प्रति उत्तरदायी हूं परन्तु फिर भी मैं कहूंगा कि जिन दो राज्यों ने अपनी दो लाख एकड़ भूमि हमें दे दी है उनकी नीयत पर शक करना ठीक नहीं।

दंडकारण्य विकास प्राधिकार की स्थापना १२ सितम्बर, १९५८ को की गयी थी, यानी लगभग १४, १५ मास पूर्व। मैंने यह दावा तो कभी नहीं किया कि मैंने इस अवधि में कमाल करके दिखा दिया है। परन्तु मैंने यह बात सदन के समक्ष कही थी कि जब हम ठीक तरह से काम को आरम्भ करने वाले थे तब हीं प्रशासन में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गयीं। मेरा दोष यह रहा कि मैं अगस्त, १९५९ में ही इन झगड़ों को समाप्त न कर सका। मैंने प्रयत्न किया कि इन अधिकारियों के मतभेद दूर हो जायें और ये लोग एक टीम की भावना से काम करें परन्तु मैं सफल न हो सका। मैं कोई बात गुप्त नहीं रख रहा। अगस्त १९५९ में श्री फलैचर को पंजाब वापिस भेजने के आदेश जारी कर दिये गये। श्री फलैचर बड़े योग्य अधिकारी थे परन्तु वह मिल जुल कर काम न कर सके। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि स्थिति सुधर जायेगी और उन्हें एक और अवसर दिया जाय। परन्तु मुझे पता नहीं था कि तीन ही मास में हालात को ऐसे बनाने का प्रयत्न किया जायेगा कि मुझ पर यह आरोप लगाया जायेगा कि मैं बंगालियों का विरोधी हूं। श्री मुकर्जी ने कुछ समाचार पत्रों के उद्धरण पढ़ कर सुनाये हैं। मैं पांच वर्षों से बंगाल की सेवा कर रहा हूं। परन्तु आज ऐसी कौन सी बात हो गयी है कि मैं गत तीन मास में बंगालियों का विरोधी हो गया हूं। मेरा दोष इतना ही है कि मैंने एक आदमी को अगस्त १९५९ में पंजाब वापिस न भेजा और उसे तीन चार मास का अवसर और दे दिया। बस इतने से ही मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगने लगे। इस समस्या के लिये जब शीघ्र ही अनुदान की मांगे प्रस्तुत होगीं तो मैं इस संबंध में विस्तार से बताऊंगा।

दंडकारण्य प्राधिकार का निर्माण १०, १५ मास पूर्व हुआ और मैंने इसे स्वीकार किया था कि हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस बीच जो कुछ हुआ उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। दुर्भाग्य से मंत्री की स्थिति ही ऐसी है। उससे कहा जाता है कि एक प्राधिकार का निर्माण करो, उसे सभी प्रकार के बड़े बड़े ठेके देने और नियुक्तियां करने का अधिकार दो। परन्तु यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमारी लोकतंत्रीय संवैधानिक व्यवस्था के अधीन मंत्री को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन इससे मेरा कोई विवाद नहीं, मैं सारी बात को स्वीकार करता हूं।

श्री फलैचर के चले जाने के बाद जो दो तीन बातें मैंने की हैं, इसलिये कि जो कुछ पहले हुआ है वह फिर न हो, उन्हें मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि इस योजना को कार्यान्वित किया जाये और यदि आपका मुझ में विश्वास है—जैसाकि आपने कहा है—तो मुझे यह देखना होगा कि वहां पर काम करने वाला दल सुसंगठित और सुव्यवस्थित हो। मैंने कुछ ढंग अपनायें हैं और आपको बताना चाहता हूं कि अब दंडकारण्य में हालात काफी बदल गये हैं (अन्तर्बाधा) जो कुछ बंगाल के अखबारों में तथा अन्य अखबारों में कुछ मास पूर्व कहा गया, हो सकता है कि उसका कुछ औचित्य हो, परन्तु आज उन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब सब अधिकारी वहां मिल जुल कर काम कर रहे हैं। उन सब को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास है। मैं सारे क्षेत्र में घूम कर देख चुका हूं, वातावरण बिलकुल बदल चुका है और कोई कठिनाई नहीं रही है।

मैंने दो तीन काम किये हैं, एक तो यह कि दंडकारण्य विकास प्राधिकार को एक निदेश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि प्राधिकार की स्थापना करते हुये मुख्य प्रशासक का उल्लेख किया गया है, वह मुख्य प्रशासक ही प्राधिकार का मुख्य कार्यपालक अधिकारी है। इस प्रकार परियोजना को

कार्यान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी । उसे उप सभापति भी नियुक्त किया गया है । दंडकारण्य विकास प्राधिकार के सभी सदस्यों को बैठकों में बोलने का अधिकार है, परन्तु कार्यपालन के क्षेत्र में मुख्य प्रशासक का वही स्थान होगा जो टीम में कप्तान का होता है । यदि उसे पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करना है तो उसके कुछ अधिकार होने चाहियें । सभी प्रकार के प्रशासनिक और अन्य अधिकार उसके पास होने चाहियें, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह समझना चाहिये कि वह प्रशासन का प्रमुख है, अत: उसके प्रयत्नों का उत्तर देने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिये उसमें आगे लिखा है कि वित्तीय सलाहकार, मुख्य इंजीनियर और महानिदेशक (कृषि तथा विकास) अपने अपने विभाग के प्रमुख हैं । और उन्हें जो काम सौंपा गया है उसके टेकनिकल ब्यौरे की देखभाल तकनीकी उनके हाथ में है । वह सब प्रमुख प्रशासक के सलाहकार हैं । विभागों के प्रमुखों पर अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी होगी लेकिन आवश्यकता होने पर प्रमुख प्रशासक को देख रेख और निदेश देने का पूरा अधिकार होगा ।

इसके आगे सदस्यों के अधिकारों की परिभाषा की है :—

(क) दंडकारण्य विकास प्राधिकार ने प्रमुख प्रकाशक को यह अधिकार दे रखे हैं कि वह ५ लाख रुपये तक की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर सकता है ;

(ख) परियोजना का काम ठीक ढंग से चले इस विचार से प्राधिकार के पूरे समय काम करने वाले चार सदस्यों में सब विभाग बांट दिये गये हैं । प्रत्येक सदस्य को वही अधिकार होंगे जो कि एक विभाग के प्रमुख को प्राप्त होते हैं"

इस प्रकार शुरू में प्रमुख प्रशासक और दो सदस्यों के अधिकारों के बारे में कुछ कठिनाइयां हो गई थीं । जिससे यह सब गड़बड़ी हुई, उससे परियोजना को काफी हानि पहुंची और उसे अब ठीक किया जा रहा है ।

अन्य बात जिस पर कुछ लोग और कुछ माननीय सदस्य चिन्तित हैं, वह यह है कि आदिम जातियों के हितों की रक्षा कैसे होगी। आदिम जातियों के लोग वहां प्राचीन काल से रह रहे हैं और हम उनके हितों की पूरी तरह रक्षा करेंगे । इस संबंध में दंडकारण्य विकास प्राधिकार को यह निदेश दिया गया है :—

"(१) दंडकारण्य विकास प्राधिकार में आदिम जाति संस्था को मजबूत किया जाय और उसमें वे लोग लिये जायें जिन्हें स्थानीय भाषा और हालात का अच्छा ज्ञान हों।

(२) स्थानीय आदिम जाति नेताओं से सम्पर्क बना कर उनके कल्याण संबंधी पूरी जानकारी रखी जाये ।

(३) आदिम जाति क्षेत्रों में चिकित्सा चौकियां बनाई जायें और उनमें डाक्टरों को नियमित रूप से जाना चाहिये ।

(४) आदिम जाति गांवों में जल संभरण की समस्या को प्राथमिकता दी जाये और इस दिशा में काम तेज किया जाना चाहिये ।

(५) विस्थापितों के नेताओं को जिस प्रकार इंजीनियरिंग विभाग में काम पर लगाया जाता है उसी प्रकार आदिम जाति नेताओं के लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिये ।

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

(६) खेती योग्य बनाई गयी भूमि का २५ प्रतिशत भाग आदिम जाति लोगों को अलाट किया जाय ।"

जैसा कि मैं ने इस से पूर्व भी कहा था कि दिल्ली में तो वर्ष के १२ महीने काम हो सकता है परन्तु दंडकारण्य में ७ महीने ही वर्ष में काम हो हकता है । ४, ५ महीने वहां भारी वर्षा होती है और सभी संचार साधनों में गड़बड़ हो जाती है । इन कठिनाइयों के बावजूद भी हम ने कुछ सफलतायें प्राप्त की हैं । यह ठीक है कि सफलता बहुत अधिक नहीं है कि हम इस का ढ़ोल पीटते रहे, परन्तु फिर भी अपने हालात के मुताबिक यह सफलता कम नहीं है । एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि आप कई क्षेत्रों में काम करने गये और वापिस आ गये । यह ठीक है परन्तु जब हमें यह मालूम हुआ कि वहां हम सफल नहीं हो सकेंगे तो हम वापिस आ गये ।

हम आज तक पश्चिमी बंगाल से १६३१ परिवारों को वहां ले गए है जिन में ७२६४ व्यक्ति है । जहां तक कैम्पों का सम्बन्ध है, सरकार पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाना उचित नहीं । गत दस वर्षों में १०,१५,००० लोगों को कैम्पों में लाया गया । ४२ लाख लोग पूर्व पाकिस्तान से आये और इन में से २५ प्रतिशत को कैम्पों में रखा गाया । अब यह संख्या १ लाख २५ हजार है । सरकार इन पर ५५ करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है । इस में से उन्हें विविध प्रकार की सहायता दी गयी । इस वर्ष हमारा इस काम के लिये ५ करोड़ का बजट है । मैं जिस राशि को वार्षिक दंडकारण्य पर खर्च करना चाहता हूं वह इन लोगों के खाने के लिये पश्चिमी बंगाल में खर्च हो रहा है । आगामी वर्ष के लिये बजट ३½ करोड़ रुपये का है। यदि हमारे दिल में कोई ऐसी वैसी बात होती तो हम इन लोगों को १९५५, १९५६ में कैम्पों में रखते ही नहीं । आने वाले लोगों में से लगभग ५० प्रतिशत लोग कैम्पों में आये और हम ने किसी को रोका नहीं । कैम्प में रहने वाले किसी भी विस्थापित व्यक्ति से दो ही बातें कही जा सकती है । एक यह कि तुम अपने पुनर्वास का कोई रास्ता बतायें । यदि वह कोई रास्ता नहीं बता सकता तो उसे जहां हम ले जा रहे हैं वहां उसे जाना होगा । इन्हें अनिश्चित काल तक तो कैम्पों में रखा नहीं जा सकता । उत्तर प्रदेश और बिहार में हम ने सब से बढ़िया भूमि ली है । मेरे और मेरे मंत्रालय के सम्बन्ध में चाहे कुछ भी कहा गया हो तरन्तु तथ्य यह है कि गत तीन वर्षों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य स्थानों पर जो भी पुनर्वास बस्तियां बसाई गयी हैं, उन को एक आदमी भी छोड़ कर नहीं गया । हर वर्ष मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मैं कैम्पों को समाप्त करने के बारे में कुछ नहीं करता और यद्यपि १२ सितम्बर १९५८ को दंडकारण्य प्राधिकार आरम्भ किया गया था परन्तु अन्तिम निर्णय जुलाई, १९५९ को किया गया कि इतने परिवार भेजे जायेंगे । हम ने हर प्रयत्न किया है परन्तु फिर भी कैम्पों के बन्द करने के सम्बन्ध में अन्तिम रूप में कुछ कह देना सम्भव नहीं । परन्तु मेरा कार्यक्रम यह है कि २००० परिवारों को प्रति मास नोटिस दिया जायेगा । पश्चिमी बंगाल के कैम्पों में २०,००० से २५,००० परिवार हैं । मैं इस वर्ष के अन्त तक इस काम को पूरा कर देना चाहता हूं । जो व्यक्ति पुनर्वास के लिये मेरे साथ दंडकारण्य जायेगा, उस के काम-धाम की चिन्ता करना मेरा काम होगा । उसे पूरी तरह वहां बसाया जायेगा । परन्तु इन कैम्पों को हम अनिश्चित काल तक नहीं चला सकते ।

जहां भूमि के कृष्यकरण का संबंध है, १२,००० एकड़ भूमि साफ की जा चुकी है और उस में से ४००० एकड़ पूरी तरह कृषि योग्य बन चुकी है । कुछ महीनों में १२,००० एकड़ भूमि प्राप्त कर लेना कोई साधारण कार्य नहीं है । मेरा लक्ष्य यह है कि इस काम के मौसम के अन्त तक, अर्थात् लगभग जून के प्रारम्भ तक, हम १५,००० से २०,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बना सकें और अगले वर्ष में हम ५०,००० एकड़ से अधिक भूमि कृषि योग्य बनाना चाहते हैं । जैसा मैं ने आज प्रातःकाल सभा में कहा था १.५० करोड़ रुपये की मशीनों के आर्डर दिये जा चुके हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : सिंचाई के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे खुशी है कि मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया। इस क्षेत्र में एक ही फसल होती है जैसा कि श्री पाणिग्रही जानते होंगे। हम प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को ७ एकड़ कृषि योग्य बनाई गई भूमि आवण्टित करते हैं और हमारा विचार है कि इतनी जोत आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त है। हम उन की कुछ अधिक सहायता भी कर सकते हैं। भारत के आदिम जातीय क्षेत्रों और अन्य स्थानों में भी ऐसे परिवारों की संख्या अधिक नहीं है जिन के पास कृषि योग्य बनाई गई सात एकड़ भूमि है। हम ने दो बांध योजनायें रखी हैं–भास्कर बांध और सतीगढ़ बांध जिन पर २.५ करोड़ रुपये व्यय होंगे। एक की लागत लगभग ९० लाख रुपये से १ करोड़ रुपये है और दूसरे की लगभग १। करोड़ रुपये से १।। करोड़ रुपये। वे संबंधित मंत्रालय को भेज दी गई हैं और मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि भास्कर बांध योजना को मंजूरी दे दी गई है।

इन बांध योजनाओं के क्रियान्वित न होने के कारण कृष्यकरण कार्यक्रम अथवा शरणार्थियों के भेजे जाने वाले कार्यक्रम को रोका नहीं जा सकता। उन का आवण्टन कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रत्येक परिवार को सात एकड़ भूमि का आवण्टन करना है। विस्थापित व्यक्तियों और आदिम जातीय लोगों को हम इतनी ही भूमि देना चाहते हैं। इस क्षेत्र में अनेकों नदियां हैं। वर्षा ६० इंच से ७० इंच तक होती है। यदि उस क्षेत्र के सब लोग एक फसल की खेती पर रह सकते हैं और मैं उन्हें आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त भूमि देता हूं तो मुझे सिंचाई की सुविधायें न होने के लिये दोषी नहीं कहा जाना चाहिये। फिर भी मैं बांध और तालाब बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। वहां पर मत्स्य-पालन आदि के लिये तालाब हैं। उन का सिंचाई के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक गांव में जल-संभरण के लिये एक तालाब बनाया जायेगा।

जहां तक इंजीनियरिंग कार्यों का संबंध है, इस समय लगभग ८८ लाख रुपये की योजनाओं का काम चालू है। सड़कों के सम्बन्ध में मैं ने पिछले दिन ही एक वक्तव्य दिया था कि अनेक सड़कों को पक्का बनाने का काम चल रहा है, सर्वेक्षण किया जा चुका है, पुल बनाये जाने वाले हैं आदि आदि : लगभग ८० मील रेलवे का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है जैसा कि रेलवे मंत्री अपने वक्तव्य में बताया था।

हम बहुत से स्कूल खोल चुके हैं जिन में १४०० बच्चे इस समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सी चिकित्सा-मोटरें हैं। हम ने अनेक अस्पताल और औषधालय भी बनाये हैं। हम ने लगभग ४० से ५० गांवों का निर्माण भी किया है। पिछले दस सालों में ये परिवार पश्चिमी बंगाल में तम्बुओं में रहते आये हैं। हमारे पास न औजार थे, न कर्मचारी, न इंजीनियर जिन से काम चलता। अतः इन परिवारों को वहां ले जाने के लिये हमें तम्बू खरीदने पड़े थे। परन्तु अब हम इन तम्बुओं के स्थान पर आशा झोंपड़ियां बना रहे हैं। मैं उन्हें पश्चिमी बंगाल के कैम्प से हटा कर दण्डकारण्य में कैम्पों में नहीं रखना चाहता। हमारी पुनर्वास योजना ऐसी नहीं है। पश्चिमी बंगाल में तम्बुओं में रहने वाले कुछ शरणार्थियों का दण्डकारण्य जाने में हिचकने का कारण यह है कि अभी तक वे खाली बैठे खाते रहे थे। उन्हें सरकार से लगभग १०० रुपये मासिक मिलता है और वे वहीं खुश हैं? यदि वे बाहर जाते हैं तो उन्हें कमाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ऐसी हालत में आदमी को अपने मकान, सड़क और गांव का निर्माण स्वयं करना होगा। हम पुनर्वास के साथ काम की व्यवस्था भी कर रहे हैं। मैं ने शरणार्थी को ही ग्रुप लीडर और ठेकेदार बनाया है और इस प्रकार मध्यम व्यक्ति को बीच में न लाने का प्रयत्न किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक स्त्री और बच्चा चिकित्सा सम्बन्धी देखभाल के अभाव में मर गया। ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि वह बात सही नहीं है। मैंने इसकी जांच कराई थी। मरने को लोग पश्चिमी बंगाल में भी मरते हैं और दिल्ली में भी मरते हैं। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में मरने वालों की संख्या १० व्यक्ति प्रति हजार है और शरणार्थी कैम्पों में ९ व्यक्ति प्रति हजार है जबकि पैदा होने की संख्या पश्चिमी बंगाल में २१ प्रति हजार है और शरणार्थी कैम्पों में ३५ प्रति हजार।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इन योजना के महत्व को भली प्रकार समझता हूं। मैं जानता हूं कि यह मेरी परीक्षा है। माननीय सदस्यों ने मेरे प्रति विश्वास की भावना प्रकट की है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यदि सभा के दोनों पक्षों के सदस्य सहयोग दें तो मैं अपने कर्त्तव्यों का पालन भली प्रकार कर सकता हूं। मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस योजना के स्पष्टीकरण का मौका मुझे दिया। यह योजना बहुत बड़ी और सम्भावनाओं से पूर्ण है। यदि हमें सभा के माननीय सदस्यों का समर्थन मिले तो इस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है और उससे आदिम जातियों, शरणार्थियों और समस्त देश का हित होगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : भूमि के कृष्यकरण पर प्रति एकड़ कितना व्यय हुआ है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। हां, एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप योजना पर उसके व्यय की दृष्टि से विचार करेंगे तो वह बहुत खर्चीली मालूम होगी। इस का कारण यह है कि यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में योजना को क्रियान्वित करें जो पहले से विकसित हो अर्थात् जहां सड़कें व संचार सुविधायें मौजूद हों तो उसकी लागत काफी कम आएगी। परन्तु यदि हम किसी योजना के लिए ट्रैक्टर खरीदें, उसके लिये सड़क का निर्माण करें और फिर सिंचाई का प्रबन्ध करें तो वह सारा व्यय योजना में जुड़ जाएगा और प्रति एकड़ व्यय बहुत अधिक होने की सम्भावना है। यदि आप उत्तर प्रदेश में भूमि का कृष्यकरण करें तो वहां बहुत कम लागत आएगी अर्थात् कुछ सौ रुपए प्रति एकड़ क्योंकि वहां सारी सुविधायें पहले से मौजूद हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मन्त्री ने किये जाने वाले अथवा किए गए काम का ब्यौरा न देकर हमें एक परियों की सी कहानी सुना डाली है कि दण्डकारण्य का स्वरूप कैसा होगा। मैं ऐसी ऐसी काल्पनिक उड़ानों में विश्वास नहीं करता वरन् वास्तविक कार्य देखना चाहता हूं। इस दृष्टि से दण्डकारण्य योजना को देखने से कोई आशामय चित्र हमें नहीं दिखाई देता।

मुझे खुशी है कि इस विषय पर जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दिए हैं उन सभी ने शरणार्थियों का पक्ष लिया है। माननीय मंत्री ने कहा कि अब स्थिति बदल गई है। मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा निवेदन है कि उसका क्रियान्वयन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये जिनमें दूरदर्शिता और सद्भावना का समुचित समिश्रण हो। मैं मानता हूं कि यह योजना महान् है परन्तु जब तक उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं होगा उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। माननीय मन्त्री ने कहा कि वह कर्मचारियों, सामग्री और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहते हैं। परन्तु प्राधिकार के कार्य को देखने से मालूम होता है कि उसमें सहयोग की भावना की कमी है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस योजना की सफलता के लिए भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मन्त्री द्वारा दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के बारे में २७ नवम्बर, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम*

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ करेगी ।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : संयुक्त राष्ट्र मिशन ने पिछले साल सामुदायिक विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्रमिक बनाया जाये ।

माननीय मंत्री ने १० फरवरी को एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा है कि मन्त्रालय ने मिशन के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया है । इससे पहले उन्होंने २३ दिसम्बर, १९५९ को कहा था कि विस्तार-पूर्व खण्डों को नियमित अवस्था आई खण्डों में परिवर्तित न होने देने का निर्णय कर लिया गया है । यह भी निर्णय किया गया है कि बुनियादी आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी न होने पर किसी भी राज्य को अधिक खण्डों का आवंटन नहीं किया जायेगा । जब मैंने इन दोनों कथनों की असंगतता की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया तो माननीय उपमंत्री ने कहा था कि वे दोनों एक ही नहीं हैं । संयुक्त राष्ट्र मिशन के सुझाव का मतलब है कार्यक्रम को क्रमिक बनाना, और दूसरे का मतलब है कि जनता की राय का पता चलाना कि वह खण्ड बनाने के लिये तैयार है या नहीं । यह मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं है ।

मैं पूछता हूं कि क्या इन दोनों का मतलब एक ही नहीं है ? जनता की इच्छा का पता लगाना, उनकी आत्म-त्याग की भावनाओं का पता चलाना और कार्यक्रम को क्रमिक बनाना इन दोनों का अर्थ एक ही होता है । हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने बड़ी बड़ी सफलतायें प्राप्त कर दिखाई हैं यह बिल्कुल सही हैं । लेकिन इतनी बड़ी बड़ीं हासिल नहीं की जा सकती थीं यदि उनको सिर्फ गांव वालों के आत्म-त्याग की भावना पर छोड़ दिया जाता ।

हमें मिशन के इस सुझाव पर अधिक गम्भीरता से विचार करना चाहिये था । मिशन ने यह सुझाव यह देख कर ही दिया था कि विस्तार इतनी तेजी से हुआ है कि वर्तमान खण्डों में २५ प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं और कुछ राज्यों में खण्डों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये २५ प्रतिशत तक कर्मचारियों की कमी करना वांछनीय है ।

पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन में कहा गया था कि खण्ड विकास अधिकारियों और ग्रामस्तर कार्यकर्त्ताओं का चुनाव काफी ध्यान देकर नहीं किया गया है, और इसलिये उनमें से ५० प्रतिशत काम की कसौटी पर पूरे नहीं उतरे । कुछ अवांछित लोग भी खण्ड विकास अधिकारी बन बैठे हैं । समिति का ख्याल है कि अक्षम कर्मचारियों की संख्या ५० प्रति-

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घन्टे की चर्चा

[श्री रघुवीर सहाय]

शत तक है । संयुक्त राष्ट्र मिशन ने यह भी कहा था कि कृषीय उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था ।

इन तीन कारणों के आधार पर ही मिशन ने सामुदायिक विकास खण्डों को और अधिक क्रमिक बनाने का सुझाव दिया था ।

माननीय मन्त्री ने भी दूसरे शब्दों में यही कहा है कि विस्तार-पूर्व खण्डों को परिवर्तित करने की पहली शर्त यह होगी कि गांव वालों के आत्म-त्याग, उनकी आत्म-निर्भरता और निश्चय का पता लगा लिया जाये । यह भी तो कार्यक्रम को क्रमिक बनाना है । १५ दिसम्बर, १९५८ के एक परिपत्र में कई कसौटियां रखी गई थीं, जिनसे पता चलाया जाये कि गांव की जनता कार्यक्रम के लिये कितना उत्साह रखती है । यदि उनको ईमानदारी के साथ लागू किया जाये, तो उसका मतलब यही होगा कि खण्डों के परिवर्तन की गति धीमी हो जायेगी, अर्थात् वे क्रमिक गति से ही आगे बढ़ेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रतिवेदन के अनुसार आगामी कार्यक्रम इस प्रकार होगा : १९६० में लगभग ४०० नये खण्ड, १९६१ में लगभग ५०० नये खण्ड, १९६२ में लगभग ६०० और १९६३ में लगभग ८०० नये खण्ड । लेकिन इसके लिये हमारे पास न तो पर्याप्त प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं और न इतनी क्षमता ही है । इसलिये हमें अपने तीन चार साल पहले के कार्यक्रम में रद्दोबदल करने से हिचकना नहीं चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल तीन प्रश्न जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं, माननीय मंत्री जी के सम्मुख रखना चाहता हूं ।

यह जो संयुक्त राष्ट्रीय अध्ययन मंडल भारत में आया था, क्या उस को यह विशेष तौर पर हिदायत दी गई थी--क्या उस के "टर्म्ज आफ रेफरेंस" (निर्देशपद) में यह था कि वह इस बात की सिफारिश करे कि हमारे देश में विकास-खंडों के खोलने का जो क्रम चल रहा है, जो रफ्तार चल रही है, उसको धीमा किया जाये ? क्या उनसे खास तौर से यह पूछा गया था ?

जब कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि उन्होंने समय समय पर केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों से परामर्श किया, विचार-विनिमय किया, बातचीत की और उसके बाद जेनेवा में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखी, तो क्या उस समय केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने कोई दृढ़ रूख अपनाया था कि हम किसी भी सूरत में इसकी चाल को धीमा नहीं करना चाहते हैं ?

क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में कोई परामर्श किया जा रहा है और अन्तिम निणय करने मे पहिले क्या राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत की जायगी और संसद् के सदस्यों को भी इस बारे में मौका दिया जायेगा ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक खंड को आवंटित की गई राशि का कितना प्रतिशत भाग कर्मचारियों की उपलब्धियों और इमारतों पर खर्च किया गया और कितना भाग जनता के कल्याण के लिये ? क्या उसका अनुपात ६० और ४० प्रतिशत है ? यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों के भत्तों आदि पर खर्च कम करने की सोच रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सभी जानते हैं कि वर्तमान कर्मचारी गांव की जनता में खप नहीं पाये। तब क्या सामुदायिक विकास के लिये केवल ग्रामीणों को ही भर्ती किया जायेगा ?

†श्री तंगामणि (मदुरै) : संयुक्त राष्ट्र मिशन ने देश के किस भाग का दौरा किया था ? क्या मिशन ने संसद् के गैर-सरकारी सदस्यों से विचार विमर्श किया था ? क्या मिशन का प्रतिवेदन विभिन्न राज्य सरकारों के पास उनकी राय जानने के लिये भेजा गया है ?

†श्री मू० चं० जैन (कैथल) : क्या माननीय मंत्री ने पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त गैर-सरकारी मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन देखा है ?

संयुक्त राष्ट्र आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सामुदायिक विकास कार्य के कारण गांवों की जनता की आय में असमानतायें बढ़ गई हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि कुटीर उद्योगों के कार्यक्रम के फलस्वरूप यह असमानतायें दूर हो जायेंगी। क्या माननीय मंत्री समझते हैं कि कुटीर उद्योगों के लिये किया गया आवंटन पर्याप्त है ?

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: (पुरी) : क्या सरकार कुछ खंडों में गैर-सरकारी व्यक्तियों को खंड विकास अधिकारियों के पद पर नियुक्त करने की सोच रही है, जिससे कि इस आंदोलन के प्रति जनता में अधिक उत्साह पैदा हो सके ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं तो यह समझा था कि मुझे कार्यक्रम को क्रमिक बनाने के बारे में मंत्रालय द्वारा किये गये निर्णय से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन यहां कई ऐसे भी प्रश्न पूछे गये हैं जिनका मुख्य प्रश्न से सीधा संबंध नहीं है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्रमिक बनाने के सुझाव के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र मूल्यांकन दल ने सात या आठ दलीलें रखी थीं। दल ने महसूस किया था कि १९५९ से १९६३ तक खंडों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी थी—३०० से बढ़ कर ८०० हो गई थी, और खंड अपने विहित आकार से २५ प्रतिशत अधिक बड़े थे। कर्मचारियों की कमी थी और अक्षम कर्मचारियों की छंटनी करने की आवश्यकता थी। दल के मतानुसार वर्तमान खंडों को ही अधिक दृढ़ बनाने की आवश्यकता थी, कार्यक्रम को और अधिक फैलाने की नहीं। हमें कृषीय कार्यक्रम पर अधिक जोर देना चाहिये, और यदि आवश्यकता हो तो विस्तार-पूर्व काल को एक वर्ष से और अधिक कर दिया जाये। उस दशा में खंड विस्तार से संबंधित कर्मचारियों को खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के काम में लगाया जा सकता था। दल का सुझाव यह था कि हमें कर्मचारियों की संख्या अधिक फैलाने के स्थान पर एक कार्यकारी सेना बनानी चाहिये। दल का कहना था कि बहुत तेजी से विस्तार करने से कार्यक्रम की सफलता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

हम चाहते थे कि द्वितीय योजना के समाप्त होने तक हम पूरे देश भर में सामुदायिक विकास खंड फैला दें। पिछले तीन चार वर्षों में किसी किसी वर्ष हमने ५०० से ६०० खंड तक आवंटित किये थे। लेकिन अभी कोई डेढ़ साल पहले श्री ब० गो० मेहता के सभापतित्व में एक उच्च-शक्ति प्राप्त दल ने सिफारिश की थी कि कार्यक्रम को १९६० से १९६३ तक क्रमिक बनाया जाये। भारत सरकार ने उस सिफारिश को मान लिया था।

यह बात सही है कि हमारे देश में बहुत काफी खंड ऐसे हैं जो विहित आकार से २५ प्रतिशत बड़े हैं। इसका एक कारण यह है कि एक ही खंड में अधिकतम क्षेत्र शामिल करने के लिये राज्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सु० कु० डे०]

सरकारों पर काफी अधिक दवाब पड़ा है, इसलिये खंडों का परिसीमन कुछ व्यावहारिक और आर्थिक दृष्टि से कुछ आत्म निर्भर नहीं हो पाया। खंडों में आवश्यकता से अधिक जन संख्या शामिल कर ली गई।

हमने यह महसूस किया कि यदि हम खंडों की संख्या बढ़ा दें, तो हम वर्तमान खंडों का क्षेत्र, उनके आकार को उचित सीमा में ला सकेंगे। साथ ही, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है वर्तमान प्राविधिक कर्मचारियों को कुछ ही उपयुक्त क्षेत्रों में संकेन्द्रित कर देने से खाद्य उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जायेगा। आज खाद्य उत्पादन के संबंध में हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हमारे पास कृषि के लिये अनुभवी, प्रशिक्षित और प्राविधिक कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। हमारे पास कृषीय उत्पादन के लिये अपेक्षित उर्वरकों, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट आदि की बड़ी कमी है। हमने यह भी महसूस किया कि देश के दो-तिहाई भाग में इस कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिये सुधार करने के लिये, शेष एक तिहाई भाग को बिलकुल ही अछूता छोड़ देना ठीक नहीं होगा।

शहरी और देहाती क्षेत्रों की प्रतियोगिता में, देहातों को बड़ी असुविधायें हैं। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम ही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने देहाती क्षेत्रों की जनता को कुछ राहत दी है। और अब संयुक्त राष्ट्र मिशन की सिफारिश है कि शेष एक तिहाई देश में इसे विस्तारित न किया जाये। अर्थात् देश के शेष एक तिहाई भाग की जनता को यह थोड़ी सी भी सुविधायें न जुटाई जायें। यह भी इसलिये कि वर्तमान दो तिहाई देश में जुटाई गई सुविधाओं को अधिक पूर्ण बनाया जा सके। हमें यह अव्यावहारिक लगा। शेष एक तिहाई देश इसे स्वीकार भी नहीं करेगा।

चूंकि जनता का पूरा ध्यान सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर केन्द्रित है, उसे इस कार्यक्रम से बड़ी बड़ी आशायें हैं, इसीलिये उस हद तक आशायें पूरी न होने पर लोक कार्यक्रम से संबंधित कर्मचारियों पर दोष लगा सकते हैं। देश के शेष भाग में जहां सामुदायिक विकास कार्यक्रम अभी चालू नहीं हुआ है, वहां सरकारी प्रशासन अभी भी बिना किसी उपयुक्त सम्पर्क या उचित सहकार्य के काम कर रहा है। इसीलिये कई स्थानों पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित कर्मचारियों पर कुछ ऐसे भी दोष लगाये जाते हैं जिसके लिये वे कतई उतरदायी नहीं है।

इसलिये कार्यक्रम से संबंधित कर्मचारियों की एक प्रवृत्ति यह बन गई है कि वे गैर खंडों वाले क्षेत्रों में काम करना ज्यादा पसन्द करते हैं, क्योंकि वहां उनकी उतनी कड़ी अलोचना नहीं होती। वहां लोग उन पर इतनी उंगलियां नहीं उठाते। वैसे सहकार्य का उपयोग तो यह होना चाहिये था कि वह सरकारी कार्यक्रम को पूरी तौर से कार्यान्वित करने में सहायता दें। लेकिन देश का एक काफी बड़ा भाग इस कार्यक्रम से बाहर होने के कारण, सहकार्य स्थापित करना ही खंड-संगठन का मुख्य और प्राथमिक कार्य बन गया है। कार्यक्रम से बाहर रहने वाले क्षेत्रों में सरकारी विभाग अपने ढंग से काम कर सकते हैं, एक हद तक अपनी मनमानी कर सकते हैं। उनके लेखे की जांच इतनी बारीकी से नहीं की जाती। लेकिन सामुदायिक विकास वाले क्षेत्रों में तो यह संभव नहीं होता। उन पर तो सरकार और जनता—दोनों ही की आंखें जमी रहती हैं।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी भारत दो भागों में बंटा है—एक वह जहां प्रशासन में सहकार्य स्थापित किया जा चुका है, और दूसरा वह जहां अभी सहकार्य नहीं है। यह दूसरा भाग, पहले भाग पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वाले भाग पर काफी दवाब डाल रहा है। जितने ही शीघ्र इस खाई को पाटा जा सके, दोनों भागों के इस अन्तर को दूर किया जा सके, उतने ही शीघ्र और उतनी ही आसानी से समूचे देश के प्रशासन में एक सहकार्य, एक सहयोजना पैदा की जा सकती है, और तब वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य कार्य भी नहीं रह जायेगा।

इसके अतिरिक्त, अब सभी राज्यों में पंचायती राज कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। आंध्र और राजस्थान में इसे कार्यान्वित किया जा चुका है। १ अप्रैल के आसपास इसे मद्रास मैसूर, आसाम और उड़ीसा में भी कार्यान्वित कर दिया जायेगा। कुछ अन्य राज्यों के विधान मंडलों में यह विधान रखा जा रहा है। यह पंचायती राज कार्यक्रम सामुदायिक विकास खंडों वाले क्षेत्रों पर भी लागू होगा। अन्य क्षेत्रों पर तो होगा ही। जहां भी सामुदायिक विकास खंड मौजूद हैं वहां नयी चुनी जाने वाली खंड पंचायत समितियां या जिला परिषदें एक उचित संगठन के जरिये काम कर सकेंगी। उनकी अपनी कुछ निधि भी होगी और उनको ऊपर से भी कुछ सहायता मिलेगी लेकिन जहां खंड मौजूद नहीं हैं, उन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को बड़ी अड़चनें पड़ेंगी। जब भी सरकार किसी ऐसी जन संस्था को जन्म देती है जिसके कार्य के लिये वह पर्याप्त संसाधन नहीं जूटा पाती, तो वह सरकार के सिर पड़ जाती है। वह सरकार की सफलता नहीं बन पाती। इसीलिये, इन सभी बातों को देखते हुये, हमें खंडों की प्रगति की गति को कुछ अधिक तेज करना पड़ा है। एक प्रकार का समझौता सा करना पड़ा है कि जब तक पूरे देश में उनका विस्तार न हो जाये तब तक वर्तमान खंडों की सफलता पर ही सारा प्रयास केन्द्रित न किया जाये।

मैं मानता हूं कि बहुत तेजी से विस्तार करने से उनका प्रशासकीय नियंत्रण पूरी तौर से नहीं हो पायेगा। लेकिन आशा यह है कि अगले तीन चार वर्षों में इन नयी संस्थाओं के बनने से नियंत्रण की वह ढिलाई काफी हद तक दूर की जा सकेगी।

मेरा मतलब है कि जिला परिषद् के सभापति और पंचायत समिति के सभापति अपने नीचे के संगठनों का पथ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे और साथ ही कुछ गैर-सरकारी संगठन भी होंगे, जो सरकारी संगठनों के कार्य को सहारा देते रहेंगे। उनके काम से मदद मिलती रहेगी। प्रशासकीय नियंत्रण तथा पथ प्रदर्शन में कुछ ढिलाई तो आयेगी, जरूर आयेगी, लेकिन यदि इस पंचायती राज व्यवस्था का विकास स्वस्थ और स्वाभाविक ढंग से हुआ तो वह ढिलाई नहीं रहेगी। आशा तो यही है।

श्री सहाय ने आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया है। हम अभी तक इसका मूल्यांकन नहीं कर पाये कि परीक्षण कितने सफल रहे है। ये परीक्षण राज्यों में किये गये थे। राज्य सरकारों ने हमें आश्वासन दिया था कि आत्मनिर्भरता के इन परीक्षणों के आधार पर ही सभी विस्तार-पूर्व खंडों को प्रथम अवस्था वाले खंडों में परिवर्तित किया गया था।

राज्य सरकारों द्वारा दिया गया यह आश्वासन यदि भ्रामक भी हो, तो हम केवल उस पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। हम इसका एक नये सिरे से पुनरीक्षण करेंगे और हम अपने मूल्यांकन के आधार पर, उसके फलस्वरूप एक ऐसी प्रक्रिया बना सकेंगे जिससे कि आत्मनिर्भरता का ठीक ठीक पता लगाया जा सके। पंजाब के मूल्यांकन प्रतिवेदन के बारे में हमने सुना है। हमने पंजाब सरकार को लिखा है उस प्रतिवेदन की एक प्रति भेजने के लिये। आशा है कि वह जल्द ही आ जायेगा। पंजाब के माननीय सदस्यों को मैं बता दूं कि पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जिसके लिये हमने अक्तूबर महीने में खंडों का सामान्य आवंटन नहीं किया था, इसलिये कि कर्मचारियों की कमी थी। उसी के कारण, पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती करने में शीघ्रता की थी और उसके बाद हमें उसकी सूचना दी थी। उसके बाद ही, हमने जनवरी में पंजाब के लिये खंडों का आवंटन किया था।

राज्यों द्वारा अपनाई गई आत्मनिर्भरता संबंधी प्रक्रिया के मूल्यांकन के बाद हम देखेंगे कि विभिन्न राज्यों के लिये विभिन्न कसौटियां रखना चाहिये या नहीं। और यदि उन विभिन्न कसौटियों

[श्री सु० कु० डे]

के बाद भी हम देखेंगे कि राज्यों में कुछ खंडों को एक वर्ष से भी अधिक काल के लिये क्रमिक बनाना जरूरी है, तो अवश्य ही उनको १९६३ तक परिवर्तित नहीं किया जायेगा। वैसे केन्द्रीय मंत्रालय की योजना यही है कि १९६३ तक सारे देश में खंड स्थापित कर दिये जायें। अब यह राज्यों का कर्त्तव्य है कि वे इससे लाभ उठायें। राज्य सरकारों या अन्य संस्थाओं की असफलता के कारण हम देश के किसी क्षेत्र विशेष को दण्डित नहीं करना चाहते। हमें तो यही आशा है कि सभी क्षेत्र उत्साह, जोश और क्षमता के साथ अपने पूरे संगठनात्मक ढांचे के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा जुटाये जाने वाले इन संसाधनों का लाभ उठाने के लिये, धन और प्राविधिक तथा प्रशासकीय सहायता का लाभ उठाने के लिये आगे बढ़ेंगे।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा की अनुमति दी। कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में कुछ सन्देह अवश्य थे। बड़े खेद की बात है कि श्री सहाय कुछ ऐसा समझे जैसे कि मेरे सहयोगी ने उनके प्रश्न को टालने की कोशिश की थी। ऐसा कोई मंशा नहीं था। और इसमें प्रतिष्ठा का तो कोई प्रश्न ही नहीं। सभा ने मुझे इतना कठिन और महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है, इसे मैं अपना सम्मान समझता हूं। लोकतंत्र की बुनियाद, उसकी नींव बनाने का यह काम पूरा हो जाने पर भी सभा द्वारा अनुमोदित नीतियों और योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। मुझे अपनी प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं। मैं उसे बहुत पीछे छोड़ आया हूं —बम्बई के समुद्र में।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, ४ मार्च, १९६०/१४ फाल्गुन, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[दैनिक संक्षेपिका]

[गुरुवार, ३ मार्च, १९६०
१३ फाल्गुन, १८८१ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१८९२—१९१३
तारांकित प्रश्न संख्या		
५६८	निर्वाचन याचिका	१८९२—९५
५६९	वेतन नामावलि बचत योजना	१८९५—९७
५७०	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	१८९७—१९००
५७१	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	१९००—०३
५७२	बंगलौर निगम के भवन	१९०४
५७३	पिछड़े वर्ग निर्धारित करने की कसौटी	१९०५—०७
५७४	पूर्वी यूरोपीय देशों से इस्पात का आयात	१९०८—११
६०७	समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन	१९११—१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१९१३—४१
तारांकित प्रश्न संख्या		
५६७	बच्चे उठा ले जाने वालों के गिरोह	१९१३–१४
५७५	ट्रांजिस्टर रेडियो का निर्माण	१९१४–१५
५७६	सैनिक इंजीनियरिंग सेवा कानपुर के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	१९१५
५७७	केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का पुनर्गठन	१९१५
५७८	सम्मिलित रक्षित पुलिस बल	१९१५–१६
५७९	जापानी जीपों का क्रय	१९१६
५८०	बोलानी में लौह अयस्क की खानें	१९१६
५८१	सेना में अधिकारियों की कमी	१९१६–१७
५८२	सोने का तस्कर व्यापार	१९१७
५८३	जलियांवाला बाग के संबंध में महात्मा गांधी की रिपोर्ट की पांडुलिपि	१९१७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
५८४	भारत में पश्चिम जर्मनी की पूंजी का लगाया जाना	१९१७–१८
५८५	कलकत्ता और हावड़ा को कोयला भेजना	१९१८
५८६	रडार का उत्पादन	१९१८
५८७	आयकर भवन, कलकत्ता	१९१८–१९
५८८	विदेशी पूंजी के विनियोग केन्द्र	१९१९
५८९	त्रिपुरा में आदिम जातियां	१९१९
५९०	नौ सेना के पोतों का निर्माण	१९२०
५९१	भारतीय एवरेस्ट अभियान दल	१९२०
५९२	सैलम में निम्न उदग्र भट्टी	१९२०
५९३	दिल्ली में मोटरकारों की चोरी	१९२१
५९४	लद्दाख में भू-राजस्व की वसूली	१९२१
५९५	राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना	१९२२
५९६	सफेद सीमेन्ट	१९२२
५९७	शिक्षा संस्थाओं को सहायता	१९२२–२३
५९८	दिल्ली में प्राइवेट स्कूल	१९२३
५९९	मेमारी (पश्चिमी बंगाल) में तेल के लिये छिद्रण	१९२३
६००	समाज कल्याण बोर्ड	१९२३
६०१	उच्च न्यायालयों के जज	१९२४
६०२	महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम	१९२४
६०३	होम गार्ड	१९२४–२५
६०४	केन्द्रीय आयुध डिपो, छेवकी	१९२५
६०५	पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के लिय स्थायी फार्मूला	१९२५
६०६	कामगरों की शिक्षा के लिये सायंकालीन संस्था	१९२६
६०८	बिहार---पश्चिमी बंगाल सीमा विवाद	१९२६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६८०	पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिय कुएं	१९२६–२७
६८१	दिल्ली में जुआ	१९२७
६८२	पंजाब के हाई स्कूलों के मुख्याध्यापक	१९२७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
६८३	गुरुदासपुर में भूतपूर्व सैनिक . . .	१९२७
६८४	केन्द्रीय सरकार के विभागों में अनुसूचित जातियां .	१९२८
६८५	"बाद की देखभाल" कार्यक्रम .	१९२८
६८६	उड़ीसा के जिला गज़टियरों का प्रकाशन	१९२८–२९
६८७	पदक	१९२९
६८८	आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की काश्त	१९२९
६८९	आन्ध्र प्रदेश में राजस्व की वसूली . .	१९२९–३०
६९०	उड़ीसा में हॉल तथा आडीटोरियम . . .	१९३०
६९१	इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, खड़गपुर. . .	१९३०
६९३	उड़ीसा को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अनुदान . .	१९३०–३१
६९४	रांची में हिन्दुस्तान स्टील लि० का हेडक्वार्टर .	१९३१
६९५	इण्डिया आफिस लायब्रेरी	१९३१
६९६	उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की बैठकें	१९३१–३२
६९७	पाइप लाइन सम्बन्धी अध्ययन दल .	१९३२
६९८	निवेली में तापीय बिजली घर	१९३२
६९९	विश्वविद्यालयों में फ़िल्म क्लब .	१९३३
७००	सिरकीवालान (दिल्ली) में अग्निकाण्ड	१९३३
७०१	हिमाचल प्रदेश में तम्बाकू की खेती . .	१९३३–३४
७०२	सोने की खानें . . .	१९३४
७०३	कोयले का निर्यात	१९३५
७०४	पुस्तकालय आन्दोलन	१९३५
७०५	त्रिपुरा में सड़कें	१९३५–३६
७०६	मंत्रियों के दौरे . .	१९३६
७०७	आसाम में सरकारी कर्मचारी . .	१९३६–३७
७०८	पंजाब में स्मारकों की देखभाल . .	१९३७
७०९	बस्तर के भूतपूर्व शासक की गिरफ्तारी . .	१९३७
७१०	औद्योगिक प्रबन्ध पूल	१९३७
७११	त्रिपुरा में बुनियादी शिक्षा .	१९३८
७१२	त्रिपुरा में मनीपुरी पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी . .	१९३८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७१३	त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल .	१९३८
७१४	त्रिपुरा में राजनीतिक पीड़ित .	१९३९
७१५	केन्द्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालायें . . .	१९३९
७१६	राज्यों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त	१९३९ १९३९-४०
७१७	हिमाचल प्रदेश में पोलीटैक्निक . .	१९४०
७१८	कुडप्पा में खनिजों का भूतत्वीय सर्वेक्षण . .	१९४०
७१९	नासिक रोड में नया करेंसी नोट प्रेस	१९४१
७२०	हिमाचल प्रदेश में हत्या की घटनायें . .	१९४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र		

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :--

(१) सूती वस्त्र उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन ।

(२) दिनांक २ मार्च, १९६० का सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी-८ (७८) ।

(२) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम १९५७ की धारा २७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २० फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ४२८ की एक प्रति ।

(३) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन बन्ध-पत्रों की खरीद के बारे में वक्तव्य की एक प्रति ।

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :--

(क) दिनांक २० फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० १८३ ।

(ख) दिनांक १८ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० १९८ ।

(ग) दिनांक २० फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० २०१-क ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(५) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) दिनांक २० फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० १८५।

(ख) दिनांक २० फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० १८६।

(६) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति—

(क) दिनांक २० फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० १८७।

(ख) दिनांक २० फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० १८८।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .

श्री आसर ने जापान से आयात किये गये ट्रैक्टर दण्डकारण्य में बेकार पड़े होने के कारण भारत सरकार को हुई कथित हानि की ओर पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाया।

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सदस्य की गिरफ्तारी . . .

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें बैलहोंगल के डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस से दिनांक २ मार्च, १९६० का एक तार मिला है जिसमें यह बताया गया है कि श्री नाथ पाई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३४१ और ३५३ के अन्तर्गत २ मार्च, १९६० को गिरफ्तार किया गया था।

अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९६०-६१ . .

रेलवे के बारे में मांग संख्या २ से २० पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई। मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के बारे में प्रस्ताव

श्री दी० चं० शर्मा ने प्रस्ताव किया कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार सम्बन्धी वक्तव्य पर चर्चा की जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विषय पृष्ठ

आधे घंटे की चर्चा . . . . . .

श्री रघुवीर सहाय ने भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र दल के प्रतिवेदन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के १० फरवरी, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

शुक्रवार, ४ मार्च, १९६०/१४ फाल्गुन, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि

वर्ष १९६०–६१ के लिये रेलवे के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा, दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करना तथा उसे पारित करना तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर भी विचार।